SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की कार्यप्रणाली पर प्रतिवेदन
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु

मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 7
(निष्पादन लेखापरीक्षा-वाणिज्यिक)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का

मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की

कार्यप्रणाली पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 7

(निष्पादन लेखापरीक्षा-वाणिज्यिक)

विषय सूची		
	कंडिका क्रमांक	**पृष्ठ क्रमांक**
प्राक्कथन		vii
कार्यपालन सारांश		ix
"मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की कार्यप्रणाली" पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग)		
अध्याय-1: विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1	1
कंपनी की गतिविधियाँ	1.2	1
संगठनात्मक संरचना	1.3	2
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.4	2
लेखापरीक्षा मानदंड	1.5	2
लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं पद्धति	1.6	3
अभिस्वीकृति	1.7	3
अध्याय-2: कंपनी के उद्देश्यों के सापेक्ष उपलब्धियाँ		
कृषि उत्पादन में तेजी लाना और वृद्धि करना	2.1	5
पूरक आहार का उत्पादन एवं आपूर्ति	2.2	5
राज्य में खाद्य आपूर्ति की उपलब्धता बढ़ाना	2.3	6
मध्य प्रदेश के कृषि-औद्योगिक विकास में योगदान	2.4	6

विषय सूची

	कंडिका क्रमांक	**पृष्ठ क्रमांक**
निष्कर्ष	**2.5**	**8**
अनुशंसा	**2.6**	**9**
अध्याय-3: उपार्जन		
परिचय	3.1	11
आरक्षित वस्तुओं/ कंपनी के उद्देश्यों से परे व्यापार करना	3.2	12
ड्रिप एवं स्प्रिंकलर की आपूर्ति पर कमीशन न मिलने से हानि	3.3	13
अयोग्य बोलीदाताओं का चयन	3.4	15
आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति में पायी गयी विसंगतियां	3.5	17
गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में खामियाँ	3.6	19
विलंबित आपूर्ति के मामले में सुरक्षा निधि जब्त न किया जाना	3.7	21
निष्कर्ष	**3.8**	**22**
अनुशंसाएं	**3.9**	**22**
अध्याय-4: वित्तीय प्रबंधन		
परिचय	4.1	23
सावधि जमा (एफ.डी.)	4.2	26
गलत मूल्यांकन पद्धति अपनाने से हानि	4.3	27

विषय सूची		
	कंडिका क्रमांक	**पृष्ठ क्रमांक**
शासन से प्राप्त अग्रिम/सब्सिडी का उपयोग न करना	4.4	30
बायोगैस कार्यक्रम के पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी का वितरण न किया जाना	4.5	31
योजना निधि में ब्याज का लेखांकन न करना	4.6	32
आयकर बचाने के लिए लाभकारी विकल्प का लाभ न उठाना, ₹ 1.72 करोड़	4.7	33
निष्कर्ष	**4.8**	**34**
अनुशंसाएं	**4.9**	**35**
अध्याय-5: रेडी-टू-ईट उत्पादों का उत्पादन एवं आपूर्ति		
परिचय	5.1	37
पर्यवेक्षण शुल्क प्राप्त न होना	5.2	38
रेडी-टू-ईट उत्पादों की आपूर्ति के भुगतान अप्राप्त रहना	5.3	39
आधिक्य कटौती	5.4	39
भुगतान प्राप्त होने में देरी के कारण कारोबार एवं ब्याज की हानि	5.5	40
संयंत्र एवं मशीनरी के विक्रेता को अनुचित लाभ	5.6	42
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों से आवश्यक मात्रा का 30 प्रतिशत आरक्षण के संबंध में खंड का अनुपालन न करना	5.7	43

विषय सूची

	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
निष्कर्ष	**5.8**	**44**
अनुशंसाएं	**5.9**	**44**
अध्याय-6: यंत्रीकृत कृषि फार्म, बाबई का प्रदर्शन		
परिचय	6.1	45
यंत्रीकृत कृषि फार्म बाबई का वित्तीय प्रदर्शन	6.2	46
विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओ का कार्यान्वयन न होना	6.3	46
भूमि का कम उपयोग	6.4	48
नर्सरी का ख़राब प्रदर्शन	6.5	49
पेड़ों एवं उद्यानों की नीलामी/निविदा में अनियमितताएं	6.6	50
दो पौधों के बीच अंतराल संबंधी मानदंडों का पालन न होना	6.7	51
बाबई फार्म में बागवानी विशेषज्ञ की अनुपलब्धता	6.8	51
निष्कर्ष	**6.9**	**52**
अनुशंसा	**6.10**	**52**
अध्याय-7: राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम का कार्यान्वयन		
परिचय	7.1	53
टर्नकी जॉब कार्य	7.2	54
कार्यक्रम का प्रचार एवं प्रसार	7.3	55

विषय सूची		
	कंडिका क्रमांक	**पृष्ठ क्रमांक**
वारंटी कार्ड उपलब्ध नहीं कराए गए	7.4	56
पूर्णता प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में न होना	7.5	56
प्रशिक्षण आयोजित न होना	7.6	57
संयुक्त भौतिक सत्यापन	7.7	58
निष्कर्ष	**7.8**	**59**
अनुशंसा	**7.9**	**59**
अध्याय-8: जैव उर्वरक संयंत्र का प्रदर्शन		
परिचय	8.1	61
उत्पादन में गिरावट	8.2	61
निष्कर्ष	**8.3**	**63**
अनुशंसा	**8.4**	**63**
अध्याय-9: आंतरिक नियंत्रण प्रणाली		
परिचय	9.1	65
आपूर्ति की निगरानी के लिए प्रणाली न होना	9.2	65
दोषपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली	9.3	66
कॉर्पोरेट गवर्नेंस	9.4	66
त्रुटिपूर्ण भौतिक सत्यापन	9.5	67
मानव संसाधन प्रबंधन	9.6	68

विषय सूची

	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
निष्कर्ष	**9.7**	**70**
अनुशंसा	**9.8**	**70**
अध्याय-10: निष्कर्ष		
निष्कर्ष		**71**
परिशिष्ट		75

प्राक्कथन

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य की विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल को सौंपने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में अवधि अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक को आच्छादित करते हुए उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश से संबंधित "मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की कार्यप्रणाली" पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं। लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गयी है।

प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण वे हैं जो नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

यह अनुवादित संस्करण है। इस अनुवादित संस्करण में अंग्रेजी संस्करण से कोई भिन्नता पाए जाने पर, अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत तथ्य मान्य होंगे।

कार्यपालन सारांश

कार्यपालन सारांश

1. विहंगावलोकन

मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (कंपनी) की स्थापना मार्च 1969 में, ऐसी परियोजनाओं, योजनाओं, उद्योगों, व्यवसाय एवं गतिविधियों को बढ़ावा देने, विकसित करने, स्थापित करने, निष्पादित करने, संचालित करने एवं अन्य उद्देश्यों से की गई थी जो कृषि उत्पादन में तेजी लाने एवं बढ़ाने, सहायक एवं पूरक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में योगदान करने, मध्य प्रदेश में खाद्यान्न आपूर्ति की उपलब्धता बढ़ाने तथा राज्य के कृषि औद्योगिक विकास में योगदान करते हैं।

हमने यह आकलन करने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा किया कि क्या कुशलतापूर्वक, प्रभावी रूप से एवं कंपनी के उद्देश्यों के अनुरूप कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों की योजना बनाई गई एवं उन्हें क्रियान्वित किया गया तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ प्रभावी थीं। हमने कंपनी मुख्यालय, तीन क्षेत्रीय कार्यालयों (सात में से) एवं नौ शाखा कार्यालयों (प्रत्येक चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों से तीन), यंत्रीकृत कृषि फार्म, बाबई, होशंगाबाद तथा जैव उर्वरक संयंत्र, भोपाल के अवधि अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक के अभिलेखों का नमूना जाँच किया। क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखा कार्यालयों का चयन 2017-22 के दौरान उच्चतम, न्यूनतम एवं पांच वर्षों के कुल कारोबार के औसत के आधार पर किया गया। हमने बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना एवं कार्यप्रणाली को सत्यापित करने के लिए 90 बायो-गैस संयंत्रों का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया। निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

2. कंपनी के उद्देश्यों के सापेक्ष उपलब्धियाँ

कंपनी ने यंत्रीकृत कृषि फार्म (एम.ए.एफ.), बाबई का उपयोग गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन एवं वितरण तथा कृषकों के लिए नवीनतम कृषि मशीनरी/ उपकरणों एवं कृषि पद्धतियों के प्रदर्शन या किसानों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नहीं किया। आगे, कंपनी ने बाजार में पूरक खाद्य उत्पादों के उत्पादन एवं आपूर्ति की संभावनाएं नहीं तलाशी| इसके अलावा, कंपनी ने खाद्य आपूर्ति की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कृषि-रसद एवं कोल्ड स्टोरेज/गोदामों के विकास के लिए गतिविधियाँ/ पहल नहीं कीं। कंपनी राज्य में कृषि-औद्योगिक विकास में योगदान देने में विफल रही क्योंकि कंपनी ने कृषि उत्पादन में तेजी लाने/बढ़ावा देने या राज्य में कृषि-औद्योगिक विकास में योगदान देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इस प्रकार, कंपनी के मूल उद्देश्य अप्राप्त रहे।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि मध्य प्रदेश शासन एवं कंपनी को संयुक्त रूप से कंपनी के उद्देश्यों के अनुरूप अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करनी चाहिए तथा ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त रूप से काम करना चाहिए।

3. उपार्जन

कंपनी मध्य प्रदेश शासन के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग (एफ.डब्ल्यू.ए.डी.डी.) आदि को कृषि एवं अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आवश्यक वस्तुओं के उपार्जन हेतु दर अनुबंध प्रस्ताव (आर.सी.ओ.) जारी करती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने कंपनी को ऐसी गतिविधियाँ, जो राज्य में कृषि के विकास एवं प्रसार से संबंधित हैं, करने की अनुमति दी। चयनित 56 दर अनुबंध प्रस्तावों की लेखापरीक्षा से पता चला कि कंपनी ने मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम और सेवा उपार्जन नियम, 2015 का उल्लंघन करते हुए पानी के टैंकरों (मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के लिए आरक्षित वस्तु) का कारोबार किया। अप्रैल 2017 से सितंबर 2018 के दौरान, चयनित नौ शाखा कार्यालयों के शाखा अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए ₹ 10.29 करोड़ मूल्य के 864 पानी के टैंकर खरीदे। हमने आगे देखा कि कंपनी ने पूर्व-निर्मित बस आश्रयों, व्यायामशाला उपकरण, स्वागत द्वार आदि जैसी वस्तुओं का व्यापार किया जो कंपनी के उद्देश्यों से संबंधित नहीं थे। आगे, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर की आपूर्ति के बदले कमीशन ना मिलने के कारण कंपनी को ₹ 11.79 करोड़ का नुकसान हुआ। लेखापरीक्षा जांच से आगे पता चला कि कंपनी ने उन आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 1.22 करोड़ के पानी के टैंकर खरीदे, जिनके पास अनुमोदित डिजाइन से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं थे तथा दर अनुबंध प्रस्ताव के शर्तों का उल्लंघन करते हुए एक ही व्यक्ति (एक मामले में फर्म का मालिक एवं दूसरे में एक भागीदार) के दो फर्मों को पंजीकृत किया। इन दोनों फर्मों ने ₹ 3.68 करोड़ मूल्य के पानी के टैंकरों की आपूर्ति की। हमने एक निरस्त किए गए आदेश के सापेक्ष ₹ 13.84 लाख के अनियमित भुगतान तथा क्रय आदेश जारी होने से पहले वस्तुओं की आपूर्ति के मामले भी देखे।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि मध्य प्रदेश शासन को आरक्षित वस्तुओं में व्यापार के लिए जिम्मेदारी तय करनी चाहिए एवं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनी मुख्य रूप से अपने मूल उद्देश्यों के लिए काम करे। मध्य प्रदेश शासन को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर की आपूर्ति के सापेक्ष कंपनी को कमीशन भुगतान के मुद्दे को हल करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए तथा कंपनी को गैर-अनुमोदित डिजाइन के पानी के टैंकरों की आपूर्ति करने एवं निरस्त किए गए आदेशों के सापेक्ष आपूर्ति स्वीकार करने एवं क्रय आदेश जारी होने से पहले आपूर्ति के लिये जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

4. वित्तीय प्रबंधन

कंपनी का वित्तीय प्रबंधन एवं परिचालन प्रदर्शन अच्छा नहीं था क्योंकि 2015-20 के दौरान कंपनी का परिचालन लाभ लगातार कम हो रहा था तथा कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 17.36 करोड़ का परिचालन घाटा हुआ। आगे, 2011-20 के दौरान परिचालन मार्जिन अनुपात, इक्विटी पर रिटर्न अनुपात एवं कुल संपत्ति पर रिटर्न अनुपात में गिरावट आई थी जो परिचालन अकुशलता को दर्शाता है। हमने देखा कि कंपनी ने साधारण तरीके से धनराशि का निवेश किया जिसके परिणामस्वरूप सावधि जमा पर ₹ 1.17 करोड़ के ब्याज का नुकसान हुआ। आगे, कंपनी ने तीन संयुक्त उद्यम कंपनियों के मूल्यांकन में गलत मूल्यांकन पद्धति अपनाई जिससे ₹ 1.59 करोड़ का घाटा हुआ। कंपनी ने 2012-13 के दौरान शासकीय विभागों से (2013 तक) प्राप्त ₹ 5.60 करोड़ की निधि को लगभग 10 वर्षों तक निष्क्रिय रखा। हमने आगे देखा कि ₹ 3.35 करोड़ की बायो गैस सब्सिडी पांच से 29 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी लाभार्थियों को वितरित नहीं की गई थी। आगे, कंपनी ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए योजना निधि में ब्याज राशि ₹ 49.43 लाख का लेखांकन नहीं किया। लेखापरीक्षा जांच से आगे यह भी पता चला कि कंपनी धारा 115 बी.ए.ए. के अनुसार कम दरों पर कर के भुगतान करने के लिए पात्र थी। यद्यपि, कंपनी ने कम आयकर भुगतान करने के विकल्प का लाभ नहीं उठाया, परिणामस्वरूप ₹ 1.72 करोड़ का परिहार्य कर बोझ पड़ा।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि मध्य प्रदेश शासन को कंपनी की परिचालन दक्षता को सुदृढ़ करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए एवं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनी विभिन्न बैंकों से ब्याज दरें प्राप्त करके अपनी राशि को लाभकारी विकल्प में निवेश करे। आगे, मध्य प्रदेश शासन को निर्धारित उद्देश्यों के लिए निधि का उपयोग ना करने के लिए जिम्मेदारी तय करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनी निष्क्रिय पड़ी अव्ययित निधि को तुरंत शासन को वापस कर दे एवं सब्सिडी के भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदारी तय करे और पात्र लाभार्थियों को तत्काल भुगतान सुनिश्चित करे।

5. रेडी-टू-ईट वस्तुओं का उत्पादन एवं आपूर्ति

रेडी-टू-ईट (आर.टी.ई.) आहार के उत्पादन एवं आपूर्ति से संबंधित अभिलेखों की जांच से पता चला कि कंपनी पर्यवेक्षण शुल्क के लिए स्पष्ट निबंधन एवं शर्तों सहित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एस.आर.एल.एम.) के साथ कोई समझौता ज्ञापन/अनुबंध निष्पादित करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप ₹ 32.38 करोड़ का पर्यवेक्षण शुल्क प्राप्त नहीं हुआ। हमने आगे देखा कि सितंबर 2020 से भुगतान लंबित होने के बावजूद कंपनी ने रेडी-टू-ईट उत्पादों की आपूर्ति जारी रखी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.14 करोड़ की राशि अवरुद्ध हुई। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि कंपनी पांच साल व्यतीत हो जाने के बाद भी मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति

निगम (एम.पी.एस.सी.एस.सी.) से ₹ 4.34 करोड़ की वसूली नहीं कर सकी। विक्रेताओं के पंजीकरण के लिए निविदा शर्तों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों से न्यूनतम 30 प्रतिशत रेडी-टू-ईट उत्पादों के उपार्जन का प्रावधान था। यद्यपि, हमने देखा कि कंपनी ने इस निविदा शर्त का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि कंपनी को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संयंत्रों के संबंध में पर्यवेक्षण शुल्क के मुद्दे को मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए एवं मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से मार्जिन राशि की शीघ्र वसूली के लिए प्रभावी प्रयास करना चाहिए। आगे, कंपनी को कम से कम 30 प्रतिशत वस्तुएं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों से क्रय की जानी चाहिए।

6. यंत्रीकृत कृषि फार्म, बाबई का प्रदर्शन

यंत्रीकृत कृषि फार्म, बाबई के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि कंपनी निर्धारित उद्देश्यों के लिए यंत्रीकृत कृषि फार्म का उपयोग करने में विफल रही। आगे, कंपनी ने कृषि गतिविधियों में बदलाव के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं को लागू नहीं किया। 2017-22 के दौरान, यंत्रीकृत कृषि फार्म की नौ से 69 प्रतिशत भूमि अप्रयुक्त रही। हमने आगे देखा कि कंपनी राष्ट्रीय बागवानी मण्डल से यंत्रीकृत कृषि फार्म, बाबई में विकसित नर्सरी की मान्यता सुनिश्चित नहीं कर सकी परिणामस्वरूप मान्यता के अभाव में नर्सरी से कोई बिक्री नहीं हुई।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि मध्य प्रदेश शासन एवं कंपनी को संयुक्त रूप से निर्धारित उद्देश्यों के लिए यंत्रीकृत कृषि फार्म का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

7. राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम का कार्यान्वयन

राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा एवं संयंत्रों के संयुक्त भौतिक सत्यापन से पता चला कि 90 बायो गैस संयंत्रों में से 23 कार्यात्मक नहीं थे जो दर्शाता है कि बायो गैस संयंत्रों का आवश्यक रखरखाव नहीं किया गया था। आगे, हमने देखा कि कंपनी ने बायो गैस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से प्रचारित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप 2017-21 के दौरान लक्ष्य प्राप्त करने में कमी (33 एवं 68 प्रतिशत के मध्य) हुई।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि मध्य प्रदेश शासन एवं कंपनी को संयुक्त रूप से बायो गैस संयंत्रों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करना चाहिए तथा नए राष्ट्रीय बायोगैस एवं जैविक खाद कार्यक्रम को प्रचारित करने के लिए आवश्यक प्रयास करना चाहिए।

8. जैव उर्वरक संयंत्र का प्रदर्शन

जैव उर्वरक संयंत्र के अभिलेखों की जांच से पता चला कि संयंत्र 2016-17 से 2019-20 के दौरान घाटे में चल रहा था क्योंकि बिक्री 2015-16 में ₹ 197.96 लाख से घटकर 2019-20 में ₹ 64.12 लाख हो गई। कंपनी को जैव उर्वरक संयंत्र को पाउडर आधारित से तरल आधारित जैव उर्वरक में उन्न्त करने का निर्णय लेने में तीन वर्ष लग गए। आगे, कंपनी ने मरम्मत/रखरखाव कार्य में देरी की जिसके परिणामस्वरूप नई मशीनरी एक वर्ष तक निष्क्रिय पड़ी रही।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि मध्य प्रदेश शासन एवं कंपनी को संयुक्त रूप से संयंत्र की प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा करनी चाहिए।

9. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली दोषपूर्ण थी क्योंकि कंपनी ने सामग्री की समय पर आपूर्ति की निगरानी नहीं की जिसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति में देरी हुई। हमने देखा कि 15 मामलों में, विभाग ने वस्तुओं की आपूर्ति में देरी के कारण क्रय आदेश निरस्त कर दिया था। कंपनी के पास आंतरिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र, रिपोर्टिंग एवं निष्कर्षों पर की गयी कार्यवाही को विनियमित करने के लिए कोई नियमावली नहीं थी। शाखा कार्यालयों की आतंरिक लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रभावी निगरानी एवं अनुपालन के लिए प्रबंध निदेशक को संज्ञान में नहीं लाये जा रहे थे। इस प्रकार, कंपनी ने आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली के महत्व को कम किया। हमने आगे देखा कि मध्य प्रदेश शासन ने कंपनी के निदेशक मंडल एवं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी कमेटी में स्वतंत्र निदेशक, निदेशक मंडल में महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की एवं आवश्यक निदेशक मंडल की बैठकें सुनिश्चित नहीं की परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ। आगे, कंपनी के सभी संवर्गों में 59 प्रतिशत से 87 प्रतिशत के मध्य अधिकारियों/ कर्मचारियों की भारी कमी थी। भारी कमी के बावजूद एवं 76 अधिकारियों की नियुक्ति के निदेशक मंडल के निर्णय के तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद, कंपनी अभी भी भर्ती करने की प्रक्रिया में है जो कंपनी में दोषपूर्ण मानव संसाधन प्रबंधन को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि मध्य प्रदेश शासन एवं कंपनी को संयुक्त रूप से उपार्जन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए तथा निदेशक मंडल की नियमित बैठकें सुनिश्चित करनी चाहिए।

अध्याय-1

विहंगावलोकन

अध्याय-1

विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल (कंपनी) को 21 मार्च, 1969 को मध्य प्रदेश शासन (₹ 2.09 करोड़) और भारत सरकार (₹ 1.20 करोड़) के योगदान से ₹ 3.29 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। कंपनी उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (एच.एफ.पी.डी.), मध्य प्रदेश शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं, योजनाओं, उद्योगों, व्यवसाय और गतिविधियों को बढ़ावा देना, विकसित करना, स्थापित करना, निष्पादित करना, संचालित करना, और आगे बढ़ाना है जो:

(क) कृषि उत्पादन में तेजी और वृद्धि करता है;

(ख) सहायक और पूरक आहार के उत्पादन में योगदान देता है;

(ग) खाद्य चाहे वह मुख्य हो, सहायक पूरक हो या स्थानापन्न हो, की आपूर्ति की उपलब्धता विशेष रूप से मध्य प्रदेश राज्य में, बढ़ाता है; और

(घ) मध्य प्रदेश के कृषि-औद्योगिक विकास में योगदान देता है।

1.2 कंपनी की गतिविधियाँ

कंपनी निम्नलिखित कार्य करती है:

(क) उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन के अन्य विभागों को कृषि एवं अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए एक सुविधा एजेंसी के रूप में कार्य करना जिसके लिए कंपनी दर अनुबंध प्रस्ताव (आर.सी.ओ.) जारी करती है और सफल बोलीदाताओं के साथ अनुबंध करती है।

(ख) महिला एवं बाल विकास विभाग के लाभार्थियों को रेडी-टू-ईट आहार की आपूर्ति के लिए रेडी टू ईट संयंत्रों का संचालन तथा रखरखाव।

(ग) राज्य में भारत सरकार के नवीन राष्ट्रीय बायो गैस एवं जैविक खाद कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

(घ) यंत्रीकृत कृषि फार्म का संचालन एवं रखरखाव।

(ड.) जैव-उर्वरक संयंत्र का संचालन एवं रखरखाव।

1.3 संगठनात्मक संरचना

कंपनी का प्रबंधन एक निदेशक मंडल (बी.ओ.डी.) में निहित है। 31 मार्च 2022 की स्थिति में, निदेशक मंडल में सात निदेशक शामिल थे, जिनमें से मध्य प्रदेश शासन ने छ: निदेशक (एक अध्यक्ष और एक प्रबंध निदेशक सहित) नियुक्त किये तथा शेष एक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था।

प्रबंध निदेशक कंपनी का मुख्य कार्यकारी होता है जिसे पांच महाप्रबंधकों, 13 उप महाप्रबंधकों, 22 प्रबंधकों और पांच कार्यकारी अभियंताओं द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। कंपनी का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। इसके अलावा, कंपनी के पूरे राज्य में सात क्षेत्रीय कार्यालय और 49 शाखा कार्यालय हैं। आगे, कंपनी के पास बाबई, होशंगाबाद में एक यंत्रीकृत कृषि फार्म (एम.ए.एफ.), बाड़ी, रायसेन में एक रेडी-टू-ईट (आर.टी.ई.) उत्पादन इकाई और भोपाल में एक जैव-उर्वरक संयंत्र (बी.एफ.पी.) है।

1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हमने निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की, कि क्या:

(क) कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों की योजना बनाई गई तथा उन्हें कुशलतापूर्वक, प्रभावी रूप से एवं कंपनी के उद्देश्यों के अनुरूप क्रियान्वित किया गया; एवं

(ख) आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ प्रभावी थीं।

1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किये गए:

(क) सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर.), मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम और सेवा उपार्जन नियम, 2015 और समय-समय पर कंपनी/भारत सरकार/मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचनाएं, परिपत्र, निर्देश;

(ख) कंपनी के मेमोरेंडम एवं आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन, निदेशक मंडल (बी.ओ.डी.) की बैठकों के कार्यसूची एवं कार्यवृत तथा अंशधारकों के अनुबंध;

(ग) राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक खाद कार्यक्रम (एन.बी.ओ.एम.पी.) के दिशानिर्देश; एवं

(घ) निविदा दस्तावेज, अनुबंध, आपूर्ति आदेश, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रतिवेदन, निगरानी प्रतिवेदन, वार्षिक वित्तीय विवरण।

1.6 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं पद्धति

हमने कंपनी की गतिविधियों के दक्ष एवं प्रभावी निष्पादन का आकलन करने के लिए कंपनी मुख्यालय एवं आगे अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक की अवधि के उच्चतम, न्यूनतम और औसत पांच वर्षों के कुल कारोबार के आधार पर तीन क्षेत्रीय कार्यालयों (सात में से) तथा नौ शाखा कार्यालयों (प्रत्येक चयनित क्षेत्रीय कार्यालय में से तीन) का चयन करते हुए अभिलेखों की नमूना जांच की। इसके अतिरिक्त, हमने यंत्रीकृत कृषि फार्म, बाबई, होशंगाबाद एवं जैव उर्वरक संयंत्र, भोपाल के अभिलेखों की भी जांच की। नमूना चयन का विवरण ***परिशिष्ट-1.1*** में दिया गया है।

इसके अलावा, हमने बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना एवं कार्यशील होने की पुष्टि के लिए कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ 90 बायो-गैस संयंत्रों (प्रत्येक चयनित शाखा कार्यालय में 10) का संयुक्त सर्वेक्षण किया।

हमने लेखापरीक्षा उद्देश्यों, क्षेत्र, मानदंड एवं पद्धति पर चर्चा करने के लिए अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश शासन के साथ प्रवेश सम्मेलन (अक्टूबर 2022) आयोजित किया। प्रारूप प्रतिवेदन मई 2023 में शासन को भेजा गया। आगे, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश शासन के साथ निर्गम सम्मेलन आयोजित (जुलाई 2023) किया गया। शासन ने पैरा-वार उत्तर प्रस्तुत (जुलाई 2023) किया जिसे प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किया गया है। शासन के उत्तरों/टिप्पणियों एवं उचित संशोधनों उपरांत, संशोधित प्रारूप प्रतिवेदन मई 2024 में शासन को पुनः जारी किया गया। यद्यपि, शासन ने उत्तर/टिप्पणी नहीं दिया।

1.7 अभिस्वीकृति

हम निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन में कंपनी द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

अध्याय-2

कंपनी के उद्देश्यों के सापेक्ष उपलब्धियां

अध्याय-2

कंपनी के उद्देश्यों के सापेक्ष उपलब्धियाँ

हमने कंपनी के कार्य निष्पादन का इसके स्थापित उद्देश्यों के संबंध में आकलन किया तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

2.1 कृषि उत्पादन में तेजी लाना और वृद्धि करना

कंपनी ने गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन एवं किसानों को वितरण, खेती में नवीनतम कृषि मशीनरी/उपकरणों के उपयोग, खेती के तरीकों का प्रदर्शन और किसानों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से 1971 में यंत्रीकृत कृषि फार्म (एम.ए.एफ.), बाबई, होशंगाबाद की स्थापना की।

यद्यपि, हमने देखा कि कंपनी ने किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन एवं वितरण हेतु यंत्रीकृत कृषि फार्म का उपयोग नहीं किया। कंपनी ने नवीनतम कृषि मशीनरी/ उपकरणों का उपयोग नहीं किया तथा यंत्रीकृत कृषि फार्म की भूमि का उपयोग पारंपरिक कृषि गतिविधियों जैसे गेहूं एवं धान के फसल की खेती तथा आम, कटहल, आंवला, चीकू, अमरूद एवं नींबू के बगीचे के लिए किया जा रहा था। हमने आगे देखा कि कंपनी ने खेती के तरीकों के प्रदर्शन या किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में यंत्रीकृत कृषि फार्म का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार, कंपनी निर्धारित उद्देश्यों के लिए यंत्रीकृत कृषि फार्म का उपयोग करने में विफल रही एवं परिणामस्वरूप, कृषि उत्पादन में तेजी लाने और बढ़ाने का कंपनी का उद्देश्य अप्राप्त रहा।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति पर कोई टिप्पणी नहीं दिया।

2.2 पूरक आहार का उत्पादन एवं आपूर्ति

कंपनी ने छ: महीने से तीन वर्ष तक की उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं तथा किशोरियों के लिए महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यू.सी.डी.) विभाग को निर्दिष्ट गुणवत्ता के पूरक पोषण आहार का उत्पादन एवं आपूर्ति करने के लिए वर्ष 2006 से 2009 के बीच बाड़ी में रेडी-टू-ईट (आर.टी.ई.) सामग्री उत्पादन संयंत्र तथा संयुक्त उद्यम व्यवस्था के तहत तीन संयंत्र स्थापित (1995) किए। कंपनी ने 2019 में सभी संयुक्त उद्यमों से बाहर होने का विकल्प चुना।

हमने देखा कि कंपनी अपने रेडी-टू-ईट सामग्री की खरीद के लिए पूरी तरह से राज्य सरकार पर निर्भर थी एवं उसने अपने बाजार का विस्तार करने का प्रयास नहीं किया।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति पर कोई टिप्पणी नहीं दिया।

2.3 राज्य में खाद्य आपूर्ति की उपलब्धता बढ़ाना

केंद्रीय बजट 2018-19 में, भारत सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों, कृषि-रसद, प्रसंस्करण सुविधाओं एवं व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने और पात्र फसलों के उत्पादकों को संकटपूर्ण बिक्री से बचाने तथा फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने के लिए "ऑपरेशन ग्रीन्स" प्रारंभ किया। कंपनी ने परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी बनने के लिए आवेदन किया था तथा ₹ 32.68 करोड़ की आपेक्षित सब्सिडी के साथ ₹ 80.29 करोड़ की अनुमानित लागत पर इंदौर में आलू एवं प्याज के प्रसंस्करण के लिए संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव (अप्रैल/जुलाई 2019) दिया था। बाद में, कंपनी ने प्रस्ताव छोड़ (दिसंबर 2019) दिया क्योंकि कंपनी के पास लक्षित स्थानों पर आवश्यक बुनियादी ढांचा नहीं था।

इसी तरह, दिसंबर 2019 में, कंपनी ने उद्यानिकी वस्तुओं के उत्पादन एवं उनके प्रसंस्करण को बढ़ाने के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.) स्थापित करने पर विचार किया। कंपनी ने सलाहकार नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव निवेदन (आर.एफ.पी.) भी जारी किया तथा आयुक्त, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से प्रस्तावित परियोजना प्रबंधन इकाई के व्ययों की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया। यद्यपि, प्रस्ताव को छोड़ दिया गया क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने कंपनी को परियोजना प्रबंधन इकाई के व्ययों की प्रतिपूर्ति करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

इन असफल प्रयासों के अलावा, कंपनी ने खाद्यान्न की आपूर्ति की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कृषि-रसद और गोदामों के विकास जैसी कोई अन्य गतिविधि/ पहल नहीं किया।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति पर कोई टिप्पणी नहीं दिया।

2.4 मध्य प्रदेश के कृषि-औद्योगिक विकास में योगदान

2.4.1 राज्य में कृषि उद्योगों का विकास न होना

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन तथा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.) के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों[1] के अनुसार, मध्य प्रदेश सोयाबीन, चना, उड़द, तुअर मसूर, अलसी, टमाटर, लहसुन के उत्पादन में देश में शीर्ष पर, हरी मटर, तिल, रामतिल, मूंग, प्याज, मक्का के उत्पादन में दूसरे, गेहूं, जौ, धनिया, सूखी मिर्च के उत्पादन में तीसरे, संतरे के उत्पादन में चौथे और आलू एवं अनार के उत्पादन में पांचवें स्थान पर है। स्पष्टत:, राज्य में कृषि-उद्योगों के विकास की अपार संभावनाएं हैं। यद्यपि, हमने देखा कि कंपनी ने राज्य में कृषि-उद्योगों के विकास के लिए पहल नहीं किया।

[1] अप्रैल 2023 में विभागों और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की वेबसाइट से लिए गए आँकड़े।

आगे, मध्य प्रदेश शासन की औद्योगिक संवर्धन नीति, 2014 भी विशिष्ट वित्तीय सहायता जैसे बिक्री कर में छूट (10 साल की अवधि के लिए 100 प्रतिशत तक की छूट), अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिपूर्ति (₹ 5 लाख प्रति पेटेंट), बिजली की खपत पर सहायता (उत्पादन शुरू होने की तारीख से पांच साल के लिए ₹ 1 प्रति इकाई की रियायती दर पर), निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति (अंतर्देशीय कंटेनर डिपो तक परिवहन लागत का 30 प्रतिशत 10 लाख प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के साथ) परियोजना के आकार के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए पूंजीगत सब्सिडी (₹ 2.50 करोड़ की अधिकतम सीमा के साथ संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश का 25 प्रतिशत की दर पर) प्रदान करती है।

यद्यपि, कंपनी ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रचुर संभावनाओं एवं अत्यधिक अधिशेष निधि के बावजूद कृषि उत्पादन में तेजी लाने/ बढ़ावा देने या खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को विकसित करके राज्य के कृषि औद्योगिक विकास में योगदान देने के लिए 2017-22 के दौरान कोई कदम नहीं उठाया।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति पर कोई टिप्पणी नहीं दिया।

2.4.2 अन्य राज्यों की समान स्थिति वाली कंपनियों के कामकाज की तुलना

हमने अन्य राज्यों के समान संगठनों के साथ कंपनी की गतिविधियों की तुलना की और देखा कि महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड (एम.ए.आई.डी.सी.) ने अपने परिचालन का विस्तार किया और "नोगा" ब्रांड नाम के तहत नागपुर में खाद्य प्रसंस्करण डिवीज़न चला रहा था। महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड आम, अनानास, टमाटर एवं संतरे का प्रसंस्करण कर रहा था। महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड अपने प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सेना एवं नौसेना के कैंटीन स्टोर, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड, एयर कैटरर्स, होटलों, सरकारी निकायों और खाड़ी, यू.के. और नेपाल में भी बेचता है। आगे, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड गाय एवं भैंसों जैसे जानवरों के लिए पशु आहार, पोल्ट्री चारा, चूजों, अन्य चारा जैसे घोड़े का चारा, सूअर का चारा आदि भी बनाती है।

इसी प्रकार, केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (के.ए.आई.सी.एल.) के पास फल प्रसंस्करण इकाई यानी केरल कृषि फल उत्पाद थी जो आम का रस, अचार आदि का उत्पादन करती है एवं फसल कटाई के बाद प्रबंधन के लिए वायनाड में बुनियादी सुविधाओं का निर्माण भी किया जिसमें पेप्पर के भंडारण के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त गोदाम तथा सफेद पेप्पर के उत्पादन द्वारा पेप्पर का मूल्य संवर्धन किया जाना शामिल हैं।

कंपनी ने राज्य में कृषि उद्योगों के विकास के लिए पहल नहीं किया। आगे, कंपनी की गतिविधियाँ केवल पारंपरिक क्षेत्रों जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग को रेडी-टू-ईट आहार की आपूर्ति,

कृषि उपकरणों जैसे ड्रिप, स्प्रिंकलर, पौध संरक्षण उपकरण, छोटे उद्यान सम्बन्धी उपकरण, ट्रैक्टर एवं शक्ति चालित उपकरण की आपूर्ति, संबद्ध क्षेत्र में उपयोगी वस्तुएं जैसे प्लास्टिक केट्स, वर्मी-कम्पोस्ट बेड आदि तथा भारत सरकार की बायो-गैस योजना का कार्यान्वयन करना तक सीमित रही। कंपनी के निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप प्रदर्शन हेतु कंपनी की गतिविधियों में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हो सकते थे।

- गुणवत्तापूर्ण बीज खेती, नवीनतम कृषि मशीनरी/ उपकरणों के उपयोग, खेती के तरीकों का प्रदर्शन एवं आधुनिक खेती के तरीकों पर प्रशिक्षण प्रदान करके कृषि/ बागवानी उपज का मूल्यवर्धन;
- खाद्यान्न की आपूर्ति की उपलब्धता बढ़ाने एवं उचित श्रेणीकरण, प्री-कूलिंग अथवा कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने जैसे फसल कटाई के बाद के प्रबंधन हेतु कृषि-रसद, गोदामों का विकास;
- कृषि-उद्योगों को बढ़ावा देना, खाद्य प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना तथा कृषि उपज के घरेलू और साथ ही विदेशी विपणन; और
- अनुबंध खेती (एक स्थान पर प्रयोगशाला, कृषिक्षेत्र, कारखाने एवं बाजार उपलब्ध कराये जाने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण) एवं जैविक कृषि।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति पर कोई टिप्पणी नहीं दिया।

2.5 निष्कर्ष

कंपनी की स्थापना ऐसी परियोजनाओं, योजनाओं, उद्योगों, व्यवसाय और गतिविधियों को बढ़ावा देने, विकसित करने, स्थापित करने, निष्पादित करने एवं संचालित करने के उद्देश्यों के साथ की गई थी, जो कृषि उत्पादन में तेजी लाते हैं और बढ़ाते हैं, सहायक आहार के उत्पादन में योगदान करते हैं, भोजन की आपूर्ति की उपलब्धता बढ़ाते हैं और राज्य के कृषि औद्योगिक विकास में योगदान देते हैं। यद्यपि, कंपनी ने गुणवत्तापूर्ण बीज के उत्पादन एवं वितरण तथा किसानों के लिए नवीनतम कृषि मशीनरी/ उपकरणों और खेती के तरीकों के प्रदर्शन के लिए यंत्रीकृत कृषि फार्म का उपयोग नहीं किया। आगे, कंपनी ने बाजार में पूरक खाद्य उत्पादों का उत्पादन और आपूर्ति करने की संभावना नहीं तलाशी। इसके अलावा, कंपनी ने खाद्य आपूर्ति की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कृषि-रसद और कोल्ड स्टोरेज/ गोदामों के विकास के लिए गतिविधियाँ/ पहल नहीं किया। कंपनी राज्य में कृषि-औद्योगिक विकास में योगदान देने में भी विफल रही क्योंकि कंपनी ने 2017-22 के दौरान कृषि उत्पादन में तेजी लाने/ बढ़ावा देने या राज्य के कृषि-औद्योगिक विकास में योगदान देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

2.6 अनुशंसा

- ***मध्य प्रदेश शासन एवं कंपनी को संयुक्त रूप से कंपनी के उद्देश्यों के अनुरूप अल्प अवधि, मध्यम अवधि एवं दीर्घ अवधि योजनाएं तैयार करनी चाहिए तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त रूप से काम करना चाहिए।***

अध्याय-3

उपार्जन

अध्याय-3

उपार्जन

3.1 परिचय

कंपनी उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (एच.एफ.पी.डी.), किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग (एफ.डब्ल्यू.ए.डी.डी.) एवं मध्य प्रदेश शासन के अन्य शासकीय विभागों को कृषि एवं अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए एक सुविधा एजेंसी के रूप में कार्य करती है। कंपनी मांग करने वाले विभागों के विनिर्देशों तथा नियमों एवं शर्तों के अनुसार अपेक्षित वस्तुओं की खरीद के लिए दर अनुबंध प्रस्ताव (आर.सी.ओ.) जारी करती है। कंपनी आपूर्तियों पर कमीशन लेती है। कंपनी पर मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 लागू है।

दर अनुबंध प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के बाद, कंपनी अंतिम दरों तथा आपूर्तिकर्ताओं के नाम को क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखा कार्यालयों को प्रसारित करती है। विभागों से मांग प्राप्त होने पर, शाखा कार्यालय मांग को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित करते हैं जो नियुक्त आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश जारी करता है। 2017-22 के दौरान दर अनुबंध प्रस्ताव के माध्यम से खरीद की मात्रा का विवरण **तालिका-3.1** में दिया गया है।

तालिका- 3.1: 2017-22 के दौरान खरीद की मात्रा

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	वर्ष	दर अनुबंध प्रस्ताव की कुल संख्या	कंपनी का कुल परिचालन राजस्व (शुद्ध)	दर अनुबंध प्रस्तावों के माध्यम से कुल राजस्व	कुल परिचालन राजस्व की तुलना में दर अनुबंध प्रस्ताव से प्राप्त राजस्व का प्रतिशत
1	2017-18	19	966.69	154.01	15.93
2	2018-19	7	356.79	201.79	56.56
3	2019-20	27	504.23	321.81	63.82
4	2020-21	11	824.31	250.57	30.40
5	2021-22	24	1,188.63	588.52	49.51
कुल		**88**	**3,840.65**	**1,516.70**	

स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े

वर्ष 2017-22 के दौरान, कंपनी ने 88 दर अनुबंध प्रस्ताव जारी किये, जिनमें से हमने 56[1] दर अनुबंध प्रस्तावों की जांच की। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

[1] लेखापरीक्षा ने उन दर अनुबंध प्रस्तावों की जांच की जिनमें 2017-18 से 2021-22 के दौरान कुल कारोबार एक करोड़ रुपये से अधिक था।

3.2 आरक्षित वस्तुओं/कंपनी के उद्देश्यों से परे व्यापार करना

3.2.1 मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 का उल्लंघन कर पानी टैंकरों का व्यापार

मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 के अनुसार, पानी के टैंकर[2] मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम (एम.पी.एल.यू.एन.) के लिए एक आरक्षित वस्तु थी। आगे, मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के लिए आरक्षित मदों में से पानी के टैंकरों का आरक्षण रद्द (सितंबर 2018) कर दिया।

हमने देखा कि कंपनी ने मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 का उल्लंघन करते हुए पानी के टैंकरों का अनियमित रूप से कारोबार (सितम्बर 2018 तक) किया। अप्रैल 2017 से सितंबर 2018 के दौरान, चयनित नौ शाखा कार्यालयों के शाखा अधिकारियों ने नियमों का उल्लघंन करते हुए ₹ 10.29 करोड़ मूल्य के 864 पानी के टैंकर खरीदे।

शासन ने कहा (जुलाई 2023) कि कंपनी के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसियेशन के बिंदु क्रमांक (8) में वर्णित निर्धारित आकस्मिक उद्देश्य कहती है कि "अपनी सभी शाखाओं में ड्रिलिंग इंजीनियर्स कंपनी के व्यवसाय को करने हेतु तथा कुओं, ट्यूब-वेलों को खोदने एवं पंपिंग सेट, शाफ्ट स्थापित करने और जलाशयों, जल कार्यों, मुख्य लाइनों और अन्य पाइप और उपकरण को बनाने, निर्मित करने, बिछाने और रख-रखाव के लिए तथा पानी प्राप्त करने, भंडारण करने, वितरित करने, मापने एवं उससे संबंधित आवश्यक अन्य सभी कार्य और चीजें कर सकती है"। अतः पानी के टैंकर की आपूर्ति अनियमित व्यापार की श्रेणी में नहीं आती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 ने सितंबर 2018 तक केवल मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के लिए पानी के टैंकर की आपूर्ति आरक्षित की थी। आगे, कंपनी के उद्देश्य कंपनी को केवल उन्हीं गतिविधियों को करने की अनुमति देता हैं जो कृषि के विकास एवं संवर्धन से संबंधित हैं। वाटर टैंकरों का उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाना सत्यापित करने के लिए उत्तर के साथ कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य लेखापरीक्षा के सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया।

3.2.2 कंपनी के उद्देश्यों से परे व्यापार करना

मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी को ऐसी गतिविधियाँ जो राज्य में कृषि के विकास और संवर्धन से संबंधित हो, करने की अनुमति देता है।

[2] नियमावली के नियम 6 का परिशिष्ट ए

कंपनी के अभिलेखों की जांच से पता चला कि सितंबर 2016 में, कंपनी ने पारंपरिक व्यापार के अलावा अन्य वस्तुओं (मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के लिए आरक्षित वस्तुओं को छोड़कर) का व्यापार करने का निर्णय लिया। 2017-22 के दौरान, कंपनी ने पूर्व निर्मित बस शेल्टर, जिम उपकरण, स्वागत द्वार आदि जो कंपनी के उद्देश्यों से बिल्कुल भी संबंधित नहीं थे, में भी कारोबार किया। कंपनी के उद्देश्यों में स्पष्ट रूप से राज्य में कृषि के विकास और संवर्धन का प्रावधान था। आगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन किये बिना कंपनी ने अपने व्यवसाय में विविधता लायी और उन वस्तुओं का कारोवार प्रारंभ किया जो कृषि के विकास और संवर्धन से संबंधित नहीं थे।

शासन ने लेखा परीक्षा आपत्ति पर कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया।

3.3 ड्रिप एवं स्प्रिंकलर की आपूर्ति पर कमीशन न मिलने से हानि

कंपनी ने आई.एस.आई. चिन्हित ड्रिप एवं स्प्रिंकलर की उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को आपूर्ति के लिए दर अनुबंध प्रस्ताव को अंतिम (2013-14 के दौरान और आगे सितंबर 2019 में) रूप दिया। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग को भी आपूर्ति की गयी। दर अनुबंध प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार, कंपनी आपूर्तिकर्ताओं से पांच प्रतिशत मार्जिन वसूलने की हकदार थी। आगे, कंपनी तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से निर्णय (अगस्त 2019) लिया कि कंपनी प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर की आपूर्ति के मामले में कोई मार्जिन नहीं लेगी। बदले में, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भारत सरकार से प्राप्त[3] (2 प्रतिशत) होने वाले प्रशासनिक व्यय का 40 प्रतिशत साझा करेगा। तदनुसार, कंपनी ने आपूर्तिकर्ताओं से मार्जिन वसूलने की शर्त को निलंबित कर दिया। आगे, कंपनी ने मार्जिन प्रभार को हटाते हुये इसी उद्देश्य के लिए नवीन दर अनुबंध प्रस्ताव जारी (अगस्त 2021) किया।

अक्टूबर 2019 से मार्च 2022 के दौरान, कंपनी ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन के लाभार्थियों को ₹ 590.91 करोड़ के ड्रिप एवं स्प्रिंकलर की आपूर्ति की जैसा कि **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है।

[3] भारत सरकार उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को प्रशासनिक शुल्क (प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कुल व्यय का पांच प्रतिशत) प्रदान करती है

तालिका 3.2: 2019-20 से 2021-22 के दौरान ड्रिप एवं स्प्रिंकलर की आपूर्ति का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	वर्ष	आपूर्ति की मात्रा		ड्रिप एवं स्प्रिंकलर की कुल आपूर्ति
		ड्रिप	स्प्रिंकलर	
1	2019-20	70.79	46.12	116.91
2	2020-21	70.76	21.35	92.11
3	2021-22	220.72	161.17	381.89[4]
कुल		**362.27**	**228.64**	**590.91[5]**

स्रोत: कंपनी के वार्षिक खातों/ ई.आर.पी. पोर्टल से लिए गए आंकड़े

हमने देखा कि कंपनी को उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को राशि ₹ 589.73 करोड़ की आपूर्ति पर कोई कमीशन नहीं मिला। जैसा कि उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्रतिबद्ध था, कंपनी को 2019-22 के दौरान की गई आपूर्ति के विरुद्ध ₹ 11.79 करोड़[6] कमीशन मिलना था। यद्यपि, हमने देखा कि कंपनी को उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर की आपूर्ति के लिए कमीशन के बदले कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। हमने आगे देखा कि कंपनी ने किसान सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम (एफ.एस.टी.एस.) पोर्टल[7] के संचालन एवं रखरखाव के लिए उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के साथ समझौता (अक्टूबर 2016) किया, जिसके लिए उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भारत सरकार से प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय के लिए प्राप्त राशि का 20 प्रतिशत का भुगतान करेगा। अगस्त 2019 में, अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.), उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने निर्णय लिया कि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग कंपनी को दोनों यथा ड्रिप एवं स्प्रिंकलर की आपूर्ति के लिए कमीशन तथा किसान सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम पोर्टल के संचालन एवं रखरखाव के लिए प्रशासनिक खर्च का केवल 20 प्रतिशत ही भुगतान करेगा।

हमने आगे देखा कि कंपनी ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर की आपूर्ति के बदले आपूर्तिकर्ताओं से दो प्रतिशत कमीशन चार्ज

---

[4] किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन को ₹ 1.18 करोड़ की बिक्री शामिल है।

[5] ₹ 1.18 करोड़ की बिक्री किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन को एवं शेष ₹ 589.73 करोड़ उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लाभार्थियों को शामिल है।

[6] उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लाभार्थियों को राशि ₹ 589.73 करोड़ के ड्रिप एवं स्प्रिंकलर की कुल आपूर्ति के दो प्रतिशत की दर से।

[7] प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन के लिए एक पोर्टल

करने का निर्णय (मार्च 2022) लिया। आपूर्तिकर्ता कंपनी को उन दरों पर दो प्रतिशत कमीशन प्रदान करने पर सहमत हुए जिस पर उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को आपूर्ति की गई थी। आपूर्तिकर्ताओं ने किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग को ₹ 1.18 करोड़ मूल्य के ड्रिप एवं स्प्रिंकलर की आपूर्ति की एवं तदनुसार कंपनी को आपूर्तिकर्ताओं से दो प्रतिशत की दर से कमीशन प्राप्त हुआ।

इस प्रकार, कंपनी किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग को सहमति अनुसार ₹ 11.79 करोड़ कमीशन प्रदान करने हेतु सहमत करने में विफल रही।

शासन ने कहा (जुलाई 2023) कि कमीशन न मिलने के कारण कंपनी को घाटा हुआ। उत्तर में आगे कहा गया कि कंपनी नियमित रूप से उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से शेष एक प्रतिशत मार्जिन का भुगतान करने का अनुरोध कर रही थी।

उत्तर लेखापरीक्षा टिप्पणी की पुष्टि करता है। यद्यपि, उत्तर सहमति योग्य नहीं है क्योंकि कंपनी सहमत दो प्रतिशत कमीशन के बजाय एक प्रतिशत का दावा कर रही है।

3.4 अयोग्य बोलीदाताओं का चयन

कंपनी ने पानी के टैंकरों की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं को पंजीकृत करने हेतु दर अनुबंध प्रस्ताव (दिनांक 19.08.2019 और 14.10.2021) जारी किया। बोलीदाताओं के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड[8] के अनुसार, बोलीदाताओं के पास राज्य परिवहन आयुक्त से निविदाकृत वस्तुओं का स्वीकृत/ अनुमोदित डिजाइन होना चाहिए। कंपनी ने दर अनुबंध प्रस्ताव (19.08.2019) के संदर्भ में अस्वीकृत डिजाइन और व्यापार प्रमाणपत्र की अनुपलब्धता के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं में से एक[9] को अस्वीकार कर दिया था। आगे, दर अनुबंध प्रस्ताव[10] में एक शर्त[11] थी कि एक आवेदक/फर्म से केवल एक ही बोली स्वीकार की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति एक या अलग-अलग नामों से एक से अधिक फर्मों का प्रतिनिधित्व करते हुए बोली में भाग लेता है और यह किसी भी समय कंपनी के ध्यान में आता है, तो ऐसी सभी बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा एवं अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी।

[8] दर अनुबंध प्रस्ताव एन.आई.टी. दिनांक 19.08.19 एवं 14.10.21 के अनुलग्नक-IV के अंतर्गत

[9] हिंदुस्तान प्री-फैब्रिकेटर्स को अस्वीकृत डिज़ाइन के कारण अस्वीकार कर दिया गया था

[10] दर अनुबंध प्रस्ताव दिनांक 19.08.19 एवं 14.10.21

[11] खंड 1.2 के तहत

इन दर अनुबंध प्रस्तावों की जांच में पता चला कि:

(क) कंपनी ने 40 बोलीदाताओं को पंजीकृत किया[12] जिसमें से 10[13] बोलीदाताओं के पास राज्य परिवहन आयुक्त से निविदाकृत वस्तुओं के अनुमोदित डिजाइन के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं थे। चयनित नौ शाखाओं में, आठ आपूर्तिकर्ताओं ने ₹ 1.22 करोड़ मूल्य के 82 पानी के टैंकरों की आपूर्ति की जबकि आपूर्ति किए गए पानी के टैंकरों के डिजाइन राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा अनुमोदित नहीं थे।

(ख) एक आवेदक ने एक फर्म[14] के मालिक के रूप में आवेदन किया एवं दूसरे भागीदार के साथ साझेदारी फर्म[15] के माध्यम से भी आवेदन किया। हमने देखा कि कंपनी ने दोनों फर्मों को पंजीकृत किया एवं दोनों आपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौता (अक्टूबर 2019 और फिर फरवरी 2022 में) किया। हमने यह भी देखा कि इन दोनों आपूर्तिकर्ताओं के पास राज्य परिवहन आयुक्त से निविदाकृत वस्तुओं के अनुमोदित डिजाइन के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र भी नहीं था। इन दोनों आपूर्तिकर्ताओं ने ₹ 3.68 करोड़ मूल्य के 238 पानी टैंकरों की आपूर्ति की।

इस प्रकार, कंपनी ने दर अनुबंध प्रस्ताव को अंतिम रूप देते समय आपूर्तिकर्ताओं की पात्रता को नजरअंदाज किया। इसके परिणामस्वरूप अयोग्य आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ हुआ।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि प्रारंभ में 10 आपूर्तिकर्ताओं के साथ अनुबंध किया गया था। इन 10 आपूर्तिकर्ताओं में से नौ आपूर्तिकर्ता 5500 लीटर क्षमता के लिए परिवहन आयुक्त द्वारा पंजीकृत थे। समीक्षा के दौरान जब यह तथ्य संज्ञान में आया कि मेसर्स ट्रू विजन 5000 लीटर से अधिक क्षमता के लिए परिवहन आयुक्त द्वारा अधिकृत नहीं है, तो अगले वर्ष दर अनुबंध प्रस्ताव का नवीनीकरण नहीं किया गया| वर्ष 2019-20 में शुरुआती चरण में हुई गलती को वर्ष 2020-21 में सुधारा गया। आगे, प्रोपराइटर और पार्टनरशिप फर्म के माध्यम से आवेदन करने वाले आवेदक के पंजीकरण के मामले में, शासन ने कहा कि यह सत्य है कि आवेदक मेसर्स न्यू मालवा एग्रो एंड फैब्रिकेटर्स के मालिक होने के साथ-साथ नेशनल इंजीनियरिंग वर्क्स का हिस्सेदार भी था। लेकिन चूंकि मेसर्स नेशनल इंजीनियरिंग वर्क्स की

[12] दर अनुबंध प्रस्ताव दिनांक 19.08.2019 में 19 बोलीदाताओं तथा दर अनुबंध प्रस्ताव दिनांक 14.10.2021 में 21 बोलीदाताओं ने पंजीकरण कराया।

[13] 19 बोलीदाताओं में से आठ और 21 बोलीदाताओं में से दो (उन बोलीदाताओं को छोड़कर जो दर अनुबंध प्रस्ताव दिनांक 19.08.2019 में भी शामिल थे) के पास आवश्यक प्रमाणपत्र नही थे ।

[14] न्यू मालवा एग्रो एंड फैब्रिकेटर्स (एन.एस.आई.सी. द्वारा जारी प्रमाण पत्र, क्रमांक 0000607)।

[15] नेशनल इंजीनियरिंग वर्क्स(एन.एस.आई.सी. द्वारा जारी प्रमाण पत्र, क्रमांक 108166)।

मुख्य साझेदारी दुसरे साझेदार के पास निहित है, कंपनी ने दोनों दर अनुबंध प्रस्ताव पर विचार किया।

शासन ने 10 आपूर्तिकर्ताओं में से एक के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया। यद्यपि, शासन ने उत्तर के साथ यह सत्यापित करने के लिए कि शेष नौ आपूर्तिकर्ताओं के पास अनुमोदित डिजाइन का आवश्यक प्रमाण पत्र था, दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये। आगे, बोलीदाता द्वारा दो प्रस्ताव (एक मालिक के रूप में और दूसरा भागीदार फर्म के रूप में) प्रस्तुत करने के संबंध में, दोनों आवेदनों को दर अनुबंध प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार खारिज किया जाना था।

3.5 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति में पायी गयी विसंगतियां

3.5.1 रद्द किए गए आदेश के विरुद्ध अनियमित भुगतान

कंपनी ने नेपसैक हैंड स्प्रेयर - 16 लीटर (पौध संरक्षण उपकरण) की आपूर्ति के लिए मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) की दरों/आपूर्तिकर्ताओं को अपनाया था।

शाखा कार्यालय, विदिशा में अभिलेखों की जांच से पता चला कि क्षेत्रीय प्रबंधक, भोपाल ने मेसर्स पडगिलवार एग्रो को 1000 नैपसैक हैंड स्प्रेयर- 16 लीटर की आपूर्ति के लिए आपूर्ति आदेश जारी (फरवरी 2019) किया। यद्यपि, आपूर्ति में देरी के कारण, क्षेत्रीय प्रबंधक ने आपूर्ति आदेश रद्द (8 मार्च 2019) कर दिया एवं उसी दिन दूसरे आपूर्तिकर्ता (मैसर्स सतीश एग्रो) को उसी सामग्री की आपूर्ति का आदेश जारी कर दिया। हमने देखा कि मेसर्स पडगिलवार एग्रो, जिसका आपूर्ति आदेश रद्द कर दिया गया था, ने 29 मार्च 2019 को भिन्न विशिष्टता वाले 1000 स्प्रेयर आपूर्ति की। यद्यपि, अस्वीकार करने के बजाय, कंपनी ने आपूर्ति स्वीकार कर ली और अप्रैल 2019 में अपूतिकर्ता को ₹ 13.84 लाख का अनियमित भुगतान किया। इस प्रकार, शाखा कार्यालय, विदिशा के अधिकारियों ने रद्द किए गए आदेश के विरुद्ध भिन्न विशिष्टता वाले वस्तुओं की आपूर्ति स्वीकार किया, जो आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ दिया जाना दर्शाता है।

शासन ने कहा (जुलाई 2023) कि तत्काल मांग के कारण आदेश रद्द कर दिया गया था एवं अन्य आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया था तथा आपूर्ति वैकल्पिक स्रोत के माध्यम से पूरी की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रद्द किए गए आदेश के विरुद्ध एवं भिन्न विशिष्टता की आपूर्ति स्वीकार किया जाना दर्शाता है कि कंपनी के अधिकारियों ने आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाया।

3.5.2 क्रय आदेश जारी होने से पहले वस्तुओं की आपूर्ति

आपूर्तिकर्ता को क्रय आदेश जारी होने के बाद वस्तु की आपूर्ति करनी चाहिए। चयनित शाखा कार्यालयों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि चयनित नौ में से दो शाखा कार्यालयों में दो मामलों में आपूर्तिकर्ता ने क्रय आदेश जारी होने से पहले ही आदेश की गई वस्तु (यात्री प्रतीक्षालय) भेज दी। विवरण **तालिका-3.3** में दिया गया है।

तालिका 3.3 क्रय आदेश जारी होने से पहले की गई आपूर्ति का विवरण

स. क्र.	शाखा कार्यालय का नाम	क्रय आदेश संख्या एवं दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	उत्पाद के प्रेषण/ स्थापना की तिथि	आपूर्ति का मूल्य (₹ लाख में)
1	ब्यावरा	आदेश संख्या 1075 दिनांक 29-02-2020	मैसर्स फैब्रिकॉन इंडस्ट्रीज	25-02-2020[16]	15.14
2	विदिशा	आदेश संख्या 1045 दिनांक 23-03-2021	मैसर्स महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज	09-03-2021 एवं 13-03-2021 के बीच आपूर्ति और स्थापित किया गया	29.17
कुल					**44.31**

स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े

क्रय आदेश जारी होने से पहले वस्तुओं की आपूर्ति आपूर्तिकर्ताओं और कंपनी के अधिकारियों के बीच मिलीभगत का संकेत देती है।

शासन ने कहा (जुलाई 2023) कि आदेशों के निष्पादन की अत्यावश्यकता के कारण समानांतर कार्रवाई की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अपेक्षित इकाई द्वारा दी गई प्रशासनिक मंजूरी में कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया था। आगे, लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन के लिए उत्तर के साथ कार्य की अत्यावश्यकता को दर्शाने वाले दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए।

[16] छ: प्रेषणों में से, दो प्रेषण दिनांकित थे एवं 25-02-2020 को आपूर्ति किए गए थे तथा चार अदिनांकित थे।

3.6 गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में खामियाँ

3.6.1 अपेक्षित विशिष्टता की वस्तु की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं किया जाना

कंपनी ने जीवित केंचुओं (प्रजाति: ESSENA PHOETADA) की आपूर्ति के लिए मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) द्वारा परिचालित दरों/आपूर्तिकर्ताओं को अपनाया (जनवरी 2016) था। कंपनी ने मार्कफेड की दरों को क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को अग्रेषित किया। मार्कफेड द्वारा जारी दर आदेश में उल्लेखित था कि आपूर्ति आदेशों में जीवित केंचुओं की प्रजाति का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि निर्धारित प्रजातियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

शाखा कार्यालय, बालाघाट के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 2019-20 के दौरान, आपूर्तिकर्ता (मेसर्स नवभारत एग्रो) ने ₹ 1 करोड़ लागत के जीवित केंचुए की आपूर्ति की। हमने देखा कि क्षेत्रीय प्रबंधक, जबलपुर क्षेत्र ने आपूर्ति आदेश में जीवित केंचुए की प्रजाति का उल्लेख नहीं किया था। आगे, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए अभिलेखों में अपेक्षित प्रजातियों की आपूर्ति को दर्शाने वाला दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था। इस प्रकार, अपेक्षित प्रजातियों के जीवित केंचुओं की आपूर्ति सत्यापित नहीं की जा सकी।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि क्षेत्रीय प्रबंधक ने क्रय आदेश में जीवित केंचुए की प्रजाति का उल्लेख नहीं किया और आगे कहा कि क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश में मार्कफेड द्वारा जारी आदेश का संदर्भ था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मार्कफेड द्वारा जारी दर आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि आपूर्ति आदेशों में जीवित केंचुए की प्रजातियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

3.6.2 गुणवत्ता मापदंड को सत्यापित करने के लिए तंत्र नहीं होना

कंपनी ने जीवित केंचुओं के लिए दर अनुबंध प्रस्ताव जारी (मार्च 2020) किया जिसमें एक शर्त थी कि आपूर्ति की गई मात्रा में प्रति किलोग्राम 1000 केंचुए होने चाहिए और कम से कम 60 प्रतिशत वयस्क आबादी होनी चाहिए। यद्यपि, हमने देखा कि कंपनी के पास यह सत्यापित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था कि आपूर्ति किए गए जीवित केंचुओं में प्रति किलोग्राम 1000 केंचुए थे और कम से कम 60 प्रतिशत वयस्क आबादी थी। 2020-22 के दौरान, कंपनी ने आपूर्ति की गयी सामग्री की गुणवत्ता का सत्यापन किए बिना ₹ 3.26 करोड़ के जीवित केंचुओं की आपूर्ति की।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि कृषि विभाग के पास केंचुए की प्रजाति जानने की विशेषज्ञता है एवं कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी के पास आवश्यक गुणवत्ता की सामग्री की आपूर्ति को सत्यापित करने के लिए कोई गुणवत्ता जांच तंत्र होना चाहिए था।

3.6.3 तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी द्वारा निरीक्षण में अनियमितताएँ

मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियम 19.1 में प्रावधान है कि खरीदी जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उपार्जन एजेंसियां वस्तु की आपूर्ति से पहले वस्तुओं का निरीक्षण सुनिश्चित करेंगी। आगे, पानी के टैंकरों, प्री-फैब्रिकेटेड बस शेल्टरों और स्वागत द्वार की आपूर्ति के लिए दर अनुबंध प्रस्ताव के खंड 36 (ii) में प्रावधान है कि दर अनुबंध प्रस्ताव के तहत आपूर्ति की गई सभी सामग्री का इस उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा अनुमोदित तीसरे पक्ष द्वारा अनिवार्य रूप से निरीक्षण किया जाएगा। भुगतान के समय बोलीदाता को देयकों के साथ निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। निरीक्षण की लागत संबंधित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वहन की जाएगी। पानी के टैंकरों के क्रय आदेशों में कंपनी ने तीसरे पक्ष के निरीक्षण के लिए एजेंसी के रूप में मेसर्स आई.आर. क्लास सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (आई.आर. क्लास) का उल्लेख किया था। यद्यपि, हमने देखा कि आई.आर. क्लास को कंपनी द्वारा केवल ड्रिप एवं स्प्रिंकलर के निरीक्षण के लिए अनुमोदित किया गया था।

आगे, पूर्व निर्मित बस शेल्टरों और स्वागत द्वारों के आपूर्तिकर्ता को दिए गए क्रय आदेशों के अनुसार, उत्पाद का निरीक्षण उत्पाद की आपूर्ति से पहले किया जाना था। यद्यपि, चयनित नौ शाखा कार्यालयों में से तीन में हमने देखा कि आई.आर. क्लास ने 99 उत्पादों[17] का निरीक्षण उत्पादों की आपूर्ति के बाद किया। आगे, चूंकि निरीक्षण लागत का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाता है, इसलिए पक्षपातपूर्ण निरीक्षण रिपोर्ट की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह देखा जा सकता है कि इन 99 मामलों के निरीक्षण में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

इस प्रकार, कंपनी ने आई.आर. क्लास जिसे केवल ड्रिप एवं स्प्रिंकलर के निरीक्षण के लिए चुना गया था को पानी के टैंकरों के निरीक्षण की अनुमति दी। आगे, निरीक्षण एजेंसी ने आपूर्ति से पहले उत्पाद का निरीक्षण न करके क्रय आदेश में उल्लेखित निरीक्षण की शर्तों का उल्लंघन किया।

शासन ने कहा (जुलाई 2023) कि बस शेल्टर पूर्व-निर्मित वस्तु था और स्थायी रूप से जमीन में लगा हुआ था। अतः, कार्य पूरा होने के बाद तीसरे पक्ष की निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार किया गया था।

[17] दस आदेशों द्वारा आपूर्ति की गई, उत्पादों का निरीक्षण आई.आर. क्लास द्वारा किया गया

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्रय आदेश की शर्तो में आपूर्ति से पहले उत्पाद के निरीक्षण का प्रावधान था। आगे, स्थापना के बाद किया गया निरीक्षण पक्षपातपूर्ण हो सकता है क्योंकि निरीक्षण (स्थापित होने के बाद) में पाई गई कमियों के कारण उत्पाद विस्थापित/ क्षतिग्रस्त हो सकता है।

3.6.4 भुगतान सम्बन्धी खंड का उल्लंघन

हाइब्रिड सब्जी बीज की आपूर्ति के लिए दर अनुबंध प्रस्ताव (जून 2019) के खंड 19 में उल्लेखित था कि लाभार्थी विभाग से राशि प्राप्त होने एवं सत्यापित बिल प्राप्त होने के बाद आपूर्तिकर्ता को 80 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। शेष 20 प्रतिशत भुगतान लाभार्थी विभाग से संतुष्टि प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद किया जाएगा।

शाखा कार्यालय, विदिशा के अभिलेखों की जांच से पता चला कि शाखा प्रबंधक ने लाभार्थी विभाग से संतुष्टि प्रतिवेदन प्राप्त हुये बिना दो[18] आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 7.52 लाख का पूर्ण भुगतान (अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान) कर दिया। इस प्रकार, संतुष्टि प्रतिवेदन प्राप्त किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 1.50 लाख (20 प्रतिशत) का अनियमित भुगतान किया गया। जनवरी 2023 तक लाभार्थी विभाग से संतुष्टि प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

शासन ने कहा (जुलाई 2023) कि मैदानी कार्यालय से 30 दिनों में कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने पर, 100 प्रतिशत भुगतान जारी कर दिया जाता था। भविष्य में भुगतान से पहले उचित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया एवं सुधारात्मक कार्रवाई कर रही थी।

3.7 विलंबित आपूर्ति के मामले में सुरक्षा निधि जब्त न किया जाना

दर अनुबंध प्रस्ताव दस्तावेज़ बोलीदाताओं के लिए दंडात्मक शर्तें प्रदान करता है। दंडात्मक शर्त के अनुसार, सामग्री की आपूर्ति में विफलता/देरी की स्थिति में आपूर्तिकर्ता की सुरक्षा निधि जब्त कर ली जाएगी। हमने देखा कि 15 मामलों में पांच आपूर्तिकर्ताओं ने आदेश की गई वस्तुओं की आपूर्ति नहीं की एवं लाभार्थी विभाग ने इच्छित सामान नहीं मिलने के कारण आदेश निरस्त कर दिया। यद्यपि, कंपनी ने इन आपूर्तिकर्ताओं की ₹ **5** लाख मूल्य की सुरक्षा निधि जब्त नहीं की।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि पांच आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति में देरी के कारण आदेश निरस्त किये गए एवं अन्य आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से आपूर्ति की गई। दोषी आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

[18] मैसर्स इंडो यूएस (₹ 1.96 लाख) और मेसर्स असमी इंटरप्राइजेज (₹ 5.56 लाख)

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया एवं सुधारात्मक कार्रवाई कर रही थी।

3.8 निष्कर्ष

विभिन्न वस्तुओं की खरीद के लिए जारी किए गए दर अनुबंध प्रस्ताव की जांच में पता चला कि कंपनी ने मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम और सेवा उपार्जन नियम, 2015 का उल्लंघन करते हुए पानी के टैंकरों (मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के लिए आरक्षित सामग्री) का कारोबार किया। कंपनी ने पूर्व निर्मित बस शेल्टर, जिम उपकरण, स्वागत द्वार आदि जैसी वस्तुओं का व्यापार किया जो कंपनी के उद्देश्यों से बिल्कुल भी संबंधित नहीं थे। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर की आपूर्ति के बदले में कमीशन न मिलने से कंपनी को ₹ 11.79 करोड़ का घाटा हुआ। आगे, कंपनी ने ₹ 1.22 करोड़ के पानी के टैंकर उन आपूर्तिकर्ताओं से क्रय किये जिनके पास अनुमोदित डिजाइन के संबंध में आवश्यक प्रमाणपत्र नहीं थे। कंपनी ने दर अनुबंध प्रस्ताव की शर्तों का उल्लंघन करते हुए एक ही व्यक्ति (एक मामले में फर्म का मालिक और दूसरे में एक भागीदार) के दो फर्में पंजीकृत की। इन दोनों फर्मो ने ₹ 3.68 करोड़ मूल्य के पानी के टैंकरों की आपूर्ति की। हमने एक निरस्त किए गए आदेश के विरुद्ध ₹ 13.84 लाख के अनियमित भुगतान एवं क्रय आदेश जारी होने से पहले वस्तुओं की आपूर्ति के मामले देखे। गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में खामियों के कारण वस्तुओं की अपेक्षित विशिष्टता की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी। कंपनी के पास गुणवत्ता पैरामीटर को सत्यापित करने के लिए तंत्र नहीं था।

3.9 अनुशंसाएं

- ***मध्य प्रदेश शासन को आरक्षित वस्तुओं के व्यापार के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनी मुख्य रूप से अपने मूल उद्देश्यों के लिए काम करे।***
- ***मध्य प्रदेश शासन को कंपनी को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर की आपूर्ति पर कमीशन के भुगतान के मुद्दे का समाधान करने के लिए हस्ताक्षेप करना चाहिए।***
- ***कंपनी को गैर-अनुमोदित डिज़ाइन के पानी के टैंकरों की आपूर्ति एवं निरस्त किए गए आदेशों के विरुद्ध आपूर्ति स्वीकार करने तथा क्रय आदेशों के जारी होने से पहले आपूर्ति के संबंध में जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।***

अध्याय-4

वित्तीय प्रबंधन

अध्याय-4

वित्तीय प्रबंधन

4.1 परिचय

वित्तीय प्रबंधन किसी भी संगठन के वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन है। किसी संगठन की व्यावसायिक गतिविधियों के परिणाम संगठन के वार्षिक वित्तीय विवरणों के माध्यम से प्रतिवेदित किये जाते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः महीने के भीतर अपना वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करना चाहिए। दिसंबर 2022 तक, कंपनी 2019-20 तक के वित्तीय वर्षों के वार्षिक वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप दे चुकी थी तथा 2020-21 एवं 2021-22 के वार्षिक वित्तीय विवरण बकाया थे। 2017-20 के दौरान कंपनी की विस्तृत वित्तीय स्थिति एवं कामकाजी परिणाम **तालिका 4.1** में दिए गए हैं।

तालिका 4.1: कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं कामकाजी परिणाम

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विवरण	वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुसार		
		2017-18	2018-19	2019-20
1.	**कर पूर्व लाभ (पी.बी.टी.)**	**35.76**	**25.25**	**11.31**
2.	**कंपनी की अन्य आय**			
	(i) सावधि जमा पर ब्याज से अन्य आय	17.93	23.10	25.19
	(ii) सावधि जमा पर ब्याज के अलावा अन्य आय (लाभांश, आयकर प्रतिदाय पर ब्याज आदि)	1.38	1.60	3.48
	2. कुल अन्य आय	**19.31**	**24.70**	**28.67**
3.	**परिचालन लाभ (कर पूर्व लाभ - कुल अन्य आय) = (1-2)**	**16.45**	**0.55**	**(-) 17.36**
4.	**वर्ष के अंत में सावधि जमा**	**306.55**	**365.51**	**425.52**

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरण

तालिका 4.1 से, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कंपनी की लाभप्रदता में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से गिरावट आई और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान उसे ₹ 17.36 करोड़ का गंभीर परिचालन घाटा हुआ। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान लाभप्रदता में गिरावट जैव-उर्वरक संयंत्र में परिचालन हानि एवं कृषि विभाग द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के कार्यान्वयन के कारण कीटनाशकों, खाद आदि की बिक्री में गिरावट के कारण हुई। सावधि जमा (एफ.डी.) पर अर्जित ब्याज के कारण कर पूर्व लाभ (पी.बी.टी.) अधिक दिख रहा था।

वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान सावधि जमा पर अर्जित ब्याज कर पूर्व लाभ का क्रमशः 50.14 प्रतिशत, 91.49 प्रतिशत एवं 222.72 प्रतिशत था। 2019-20 के दौरान,

कंपनी को ₹ 17.36 करोड़ का परिचालन घाटा हुआ और नुकसान की भरपाई सावधि जमा पर अर्जित ब्याज से की गई। यह दर्शाता है कि परिचालन के मामले में, कंपनी का प्रदर्शन साल दर साल गिरता जा रहा था।

कंपनी ने वर्ष 2017-20 के दौरान सावधि जमा में ₹ 306.55 करोड़ से ₹ 425.52 करोड़ के मध्य अत्यधिक राशि रखी। यद्यपि, सावधि जमा का प्रबंधन अनौपचारिक था क्योंकि हमने सावधि जमा पर ब्याज की हानि देखा जैसा कि **कंडिका 4.2** में चर्चा किया गया है।

4.1.1 वित्तीय विवरणों का विश्लेषण

हमने कंपनी की समग्र परिचालन दक्षता का आकलन करने के लिए 2011-12 से 2019-20 तक कंपनी के वित्तीय विवरणों जैसे कि बैलेंस शीट तथा लाभ एवं हानि खातों का विश्लेषण किया। 2011-12 से 2019-20 के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति और कामकाजी परिणाम ***परिशिष्ट-4.1*** में विस्तृत हैं एवं नीचे **चार्ट-4.1** में रेखाचित्र रूप में दर्शाए गए हैं।

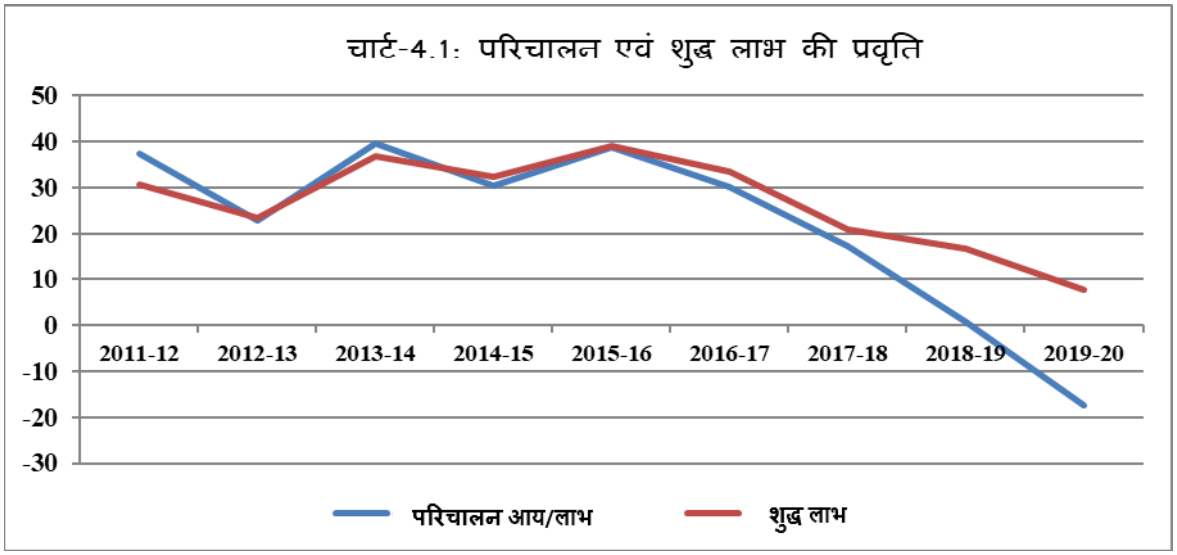

कंपनी की वित्तीय स्थिति और कामकाजी परिणामों की हमारी समीक्षा की चर्चा नीचे की गई है:

- कंपनी ने इस अवधि के दौरान किसी भी वित्तीय संस्थान से कोई उधार नहीं लिया था।
- कंपनी को 2011-12 से 2015-16 के दौरान परिचालन लाभ हुआ था। इसके बाद, परिचालन लाभ में लगातार गिरावट आई एवं कंपनी को 2019-20 के दौरान ₹ 17.36 करोड़ का परिचालन घाटा हुआ। परिचालन लाभ में गिरावट का कारण परिचालन राजस्व में गिरावट रहा जो 2011-12 में ₹ 1250.13 करोड़ से घटकर 2019-20 में ₹ 504.23 करोड़ हो गया।

- 2011-12 से 2019-20 के दौरान, कंपनी ने परिचालन राजस्व बढ़ाने के लिए कंपनी की गतिविधियों में निवेश के बजाय सावधि जमा में ₹ 171.86 करोड़ से ₹ 425.52 करोड़ तक की राशि का निवेश किया।

इस प्रकार, उपरोक्त तथ्य कंपनी के वित्तीय प्रबंधन और परिचालन प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाते हैं।

मामला शासन के संज्ञान में लाया गया (मई 2024), यद्यपि, उत्तर प्रतीक्षारत रहा।

4.1.2 वित्तीय अनुपात का विश्लेषण

हमने कंपनी की 2011-12 से 2019-20 के लिए वित्तीय स्थिति और कामकाजी परिणामों का उपयोग करके वित्तीय अनुपातों यथा परिचालन मार्जिन अनुपात (कंपनी के परिचालन लाभ की तुलना उसके मुख्य परिचालन के शुद्ध बिक्री से करता है), इक्विटी पर रिटर्न (अंशधारकों की इक्विटी/ निवल मूल्य) अनुपात (यह मापता है कि कोई कंपनी लाभ उत्पन्न करने के लिए अपने निवल मूल्य/ अंशधारकों की इक्विटी का कितनी कुशलता से उपयोग कर रही है) एवं कुल संपत्ति पर रिटर्न अनुपात (यह मापता है कि कंपनी लाभ उत्पन्न करने के लिए अपनी संपत्ति को कितनी कुशलता से उपयोग कर रही है) का विश्लेषण किया। ये अनुपात ***परिशिष्ट-4.2*** में विस्तृत हैं एवं नीचे **चार्ट-4.2** में रेखाचित्र रूप में दर्शाए गए हैं:

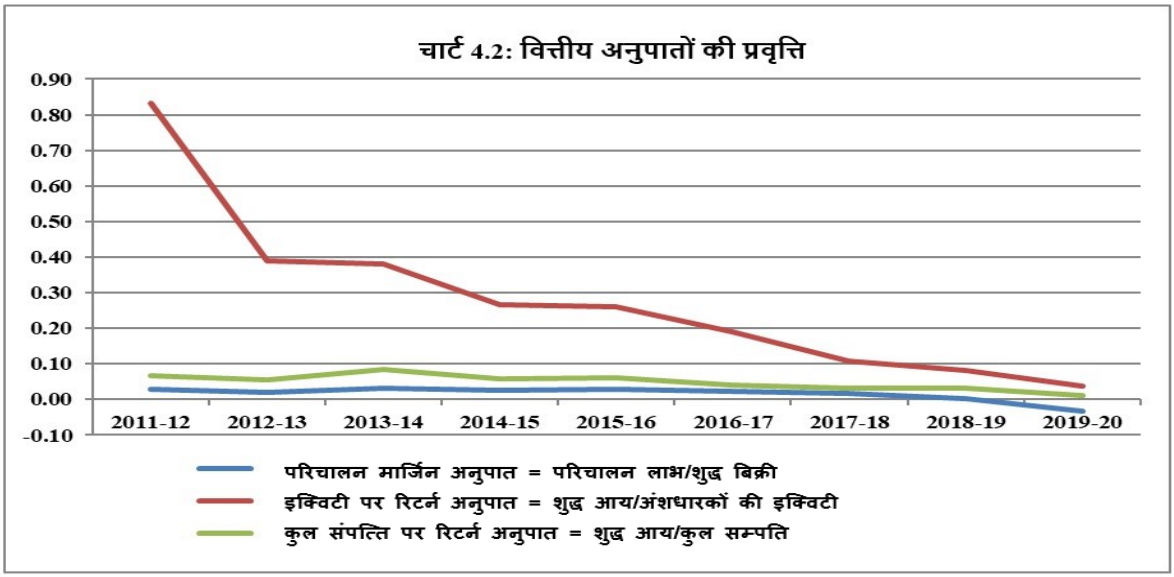

वित्तीय अनुपातों के विश्लेषण से निम्नलिखित पता चला:

- परिचालन मार्जिन अनुपात 2015-16 से लगातार घट रहा है। यह घटती परिचालन दक्षता को दर्शाता है (बिक्री की तुलना में कम परिचालन लाभ उत्पन्न हुआ)।
- इक्विटी पर रिटर्न अनुपात 2011-12 से लगातार घट रहा है। यह लाभ उत्पन्न करने के लिए अपनी इक्विटी का उपयोग करने में कंपनी की कम दक्षता को इंगित करता है।

- कुल संपत्ति पर रिटर्न अनुपात 2013-14 से लगातार घट रहा है। यह लाभ उत्पन्न करने के लिए अपनी परिसंपत्तियों का उपयोग करने में कंपनी की कम दक्षता को दर्शाता है।

इस प्रकार, परिचालन मार्जिन अनुपात, इक्विटी पर रिटर्न अनुपात एवं कुल संपत्ति पर रिटर्न अनुपात में साल दर साल गिरावट आ रही थी जो कंपनी की परिचालन अदक्षता एवं कमजोर वित्तीय प्रबंधन की ओर इशारा करती है।

मामला शासन के संज्ञान में लाया गया (मई 2024), यद्यपि, उत्तर प्रतीक्षारत रहा।

4.2 सावधि जमा (एफ.डी.)

कंपनी ने अधिशेष निधि को सावधि जमा में रखा। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 (31 मार्च तक) के दौरान सावधि जमा (शाखा कार्यालयों में ऑटो स्वीप के माध्यम से बनाई गई सावधि जमा को छोड़कर) में निवेश की गई निधि की स्थिति **तालिका 4.2** में दी गई है।

तालिका 4.2: सावधि जमा की स्थिति

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	वित्तीय वर्ष	नवीन सावधि जमा की संख्या	वर्ष के दौरान नवीनीकृत सावधि जमा	सावधि जमा की कुल संख्या	सावधि जमा में निवेशित निधि
1	2017-18	149	86 सावधि जमा	235 सावधि जमा	213.15
2	2018-19	07	179 सावधि जमा	186 सावधि जमा	241.21
3	2019-20	01	167 सावधि जमा	168 सावधि जमा	183.77
4	2020-21	01	167 सावधि जमा	168 सावधि जमा	194.15
5	2021-22	56	140 सावधि जमा	196 सावधि जमा	250.04

स्रोत: कंपनी के अभिलेखों से एकत्रित जानकारी

कंपनी के निवेश/ सावधि जमा से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित पता चला:

- कंपनी के पास निवेशित अधिशेष निधि एवं निवेश के लिए उपलब्ध अधिशेष निधि की समीक्षा करने के लिए कोई निगरानी तंत्र नहीं था। कंपनी के प्रबंधन ने नवीकरण सुविधा के माध्यम से नियमित तरीके से अधिशेष निधि का निवेश किया जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है।

- कंपनी के पास अपने अतिरिक्त निधि के प्रबंधन और निवेश के लिए कोई निवेश नीति नहीं थी। आगे, न तो प्रबंध संचालक और न ही निदेशक मण्डल ने निगरानी या प्रभावी प्रबंधन के उद्देश्य से सावधि जमा में निवेश की स्थिति की कभी समीक्षा की।

4.2.1 ब्याज की हानि

एक विवेकपूर्ण प्रथा के रूप में, सावधि जमा के नवीनीकरण या बनाते समय, प्रत्येक इकाई को प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों का लाभ उठाने के लिए विभिन्न बैंकों से प्रचलित ब्याज दरों की जानकारी लेनी चाहिए।

कंपनी के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि कंपनी के पास सावधि जमा करने/ नवीनीकरण के लिए विभिन्न बैंकों से ब्याज दरें मांगने की कोई प्रथा नहीं थी। इस प्रकार, कंपनी संभावित उच्च ब्याज दरों का लाभ नहीं उठा सकी क्योंकि उसने बैंकों से ब्याज दर उद्धरण कभी आमंत्रित नहीं किए। इसके अलावा, वर्ष 2013 से पहले की गई सावधि जमाओं को उसी बैंक में नवीनीकृत किया जा रहे थे। इस प्रकार, प्रबंधन का अधिशेष निधि के निवेश के प्रति उदासीन रवैया था जिसके कारण कंपनी को वित्तीय नुकसान हुआ जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- 2017-18 से 2021-22 से संबंधित 94 मामलों में, कंपनी को ₹ 35.72 लाख का नुकसान हुआ क्योंकि सावधि जमा कम दरों पर बनाई/ नवीनीकृत की गई थी, जबकि वही बैंक/ अन्य बैंक उसी दिन समान अवधि के लिए उच्च दरों की पेशकश कर रहे थे।
- 2019-20 से 2021-22 से संबंधित 18 मामलों में, कंपनी को ₹ 81.11 लाख का नुकसान हुआ क्योंकि सावधि जमा ₹ 2.00 करोड़ से अधिक मूल्यवर्ग के लिए बनाई/ नवीनीकृत की गई थी, जबकि बैंक ₹ 2.00 करोड़ से कम मूल्यवर्ग के सावधि जमा पर उच्च ब्याज दर की पेशकश कर रहे थे।

इस प्रकार, कंपनी ने उच्च ब्याज दरों की पेशकश करने वाले बैंकों में निधि निवेश करने के लिए विभिन्न बैंकों से ब्याज दरें मांगने की प्रथा नहीं अपनाई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.17 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

शासन ने कहा (जून 2023) कि ज्यादातर मामलों में सावधि जमा का नवीनीकरण उसी बैंक में परिपक्वता पर किया गया। अन्य बैंकों से प्रस्ताव लेते समय निधि के बचाव एवं सुरक्षा का पर्याप्त ध्यान रखा गया। कुछ मामलों में फैसले में देरी से बचने के लिए स्वत: नवीनीकरण प्रणाली में निवेश किया गया, इसकी वजह से कम दरें प्राप्त हुईं| यद्यपि, हम भविष्य में सुरक्षा के साथ अधिकतम लाभ का ध्यान रखेंगे।

शासन लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत हुई एवं आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

4.3 गलत मूल्यांकन पद्धति अपनाने से हानि

कंपनी ने तीन संयुक्त उद्यम कंपनियों यथा एम.पी. एग्रो न्यूट्री फूड्स लिमिटेड (एम.पी.ए.एन.एफ.एल.), इंदौर, एम.पी. एग्रो फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एम.पी.ए.एफ.आई.एल.), मंडीदीप और एम.पी. एग्रोटोनिक्स लिमिटेड (एम.पी.ए.एल.), मंडीदीप से अनुबंध (2006 और

2012 के बीच) किया और ₹ 1.44[1] करोड़ का निवेश किया। निजी पार्टियों के साथ अंशधारकों के अनुबंध में एक "एक्जिट क्लॉज" था जिसमें यह परिकल्पना थी कि 31 मार्च 2017 के बाद कंपनी की इच्छा पर संयुक्त उद्यम कंपनियां कंपनी की सम्पूर्ण अंशधारिता को खरीदने के लिए उत्तरदायी होंगी। अंशधारक अनुबंध में शेयरधारिता के मूल्यांकन के मानदंड भी निर्धारित किए गए थे। अंशधारकों से अनुबंध के अनुसार, कंपनी संयुक्त उद्यमों को लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस देकर अपनी हिस्सेदारी बेचने की पेशकश करेगी, जो उस समय के भीतर स्वीकृति या अन्यथा का संकेत देगा। सह-प्रवर्तक अगले तीन महीनों के भीतर अंश खरीदेंगे।

कंपनी के अभिलेखों की जांच से पता चला कि कंपनी ने वर्ष 2018-19 के लिए संयुक्त उद्यमों के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के आधार पर अंशधारकों से अनुबंध के अनुसार बाहर निकलने का रास्ता चुनने का फैसला (सितंबर 2018) किया। कंपनी ने संयुक्त उद्यमों को बाहर निकलने के लिए (जून 2019 और सितंबर 2019 के बीच) नोटिस जारी किया। दिसंबर 2019 में, कंपनी ने तीनों संयुक्त उद्यमों में अपने अंशों का मूल्यांकन ₹ 52.66[2] करोड़ आंका एवं तदनुसार संयुक्त उद्यमों के सह-प्रवर्तकों को मूल्यों के बारे में सूचित (दिसंबर 2019) किया तथा मूल्यांकित धनराशि की मांग की। महाप्रबंधक, वित्त ने निदेशक मंडल को अवगत कराया (दिसंबर 2019) कि कंपनी ने संयुक्त उद्यम कंपनियों को बकाया जमा करने के लिए नोटिस जारी किया था एवं निदेशक मंडल ने प्रबंधन को जनवरी 2020 तक अंशों का मूल्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। आगे, निदेशक मंडल ने राशि की शीघ्र वसूली करने का निर्देश (जून 2020) दिया। तदनुसार, कंपनी ने यह कहते हुये कि मूल्यांकन निर्विवाद और सच्चा, सही और सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य है, एम.पी. एग्रो न्यूट्री फूड्स लिमिटेड, एम.पी. एग्रो फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं एम.पी. एग्रोटोनिक्स लिमिटेड को ₹ 52.66 करोड़ का भुगतान करने के लिए अंतिम नोटिस (जुलाई 2020) भेजा।

हमने देखा कि प्रबंध निदेशक ने, निदेशक मंडल को सूचित किए बिना, अंशधारकों से अनुबंध (एवरेज नेट यील्ड विधि) में उपलब्ध निकास मार्ग के अनुसार इन संयुक्त उद्यम कंपनियों के अंशों के मूल्यांकन के लिए मेसर्स पीयूष बिंदल[3] को नियुक्त (जुलाई 2020) किया। यद्यपि, मेसर्स पीयूष बिंदल ने लाभ अर्जन क्षमता मूल्य पद्धति के आधार पर मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत (जुलाई 2020) किया जिसके अनुसार इन संयुक्त उद्यमों के अंशों का मूल्यांकन ₹ 51.14[4] करोड़

---

[1] प्रत्येक संयुक्त उद्यम में ₹ 48.00 लाख। इन संयुक्त उद्यमों में कंपनी की 30 प्रतिशत शेयरधारिता थी।

[2] एम.पी. एग्रो न्यूट्री फूड्स लिमिटेड, एम.पी. एग्रो फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं एम.पी. एग्रोटोनिक्स लिमिटेड के लिए क्रमशः ₹ 20.29 करोड़, ₹ 17.35 करोड़ और ₹ 15.02 करोड़

[3] भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के साथ पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता-वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रतिभूतियाँ

[4] एम.पी. एग्रो न्यूट्री फूड्स लिमिटेड, एम.पी. एग्रो फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं एम.पी. एग्रोटोनिक्स लिमिटेड के लिए क्रमशः ₹ 18.77 करोड़, ₹ 17.58 करोड़ और ₹ 14.79 करोड़

था, जो पहले के मूल्यांकन (₹ 52.66 करोड़) की तुलना में ₹ 1.52 करोड़ कम था। हमने आगे देखा कि सभी तीनों संयुक्त उद्यमों के सह-प्रवर्तकों ने कंपनी को अगस्त 2020 से सितंबर 2020 के दौरान ₹ 51.14 करोड़ का भुगतान किया।

महाप्रबंधक (लेखा) ने निदेशक मंडल को अवगत (सितंबर 2020) कराया कि सभी तीनों संयुक्त उद्यमों ने मेसर्स पीयूष बिंदल द्वारा तय की गई देय राशि जमा की। यद्यपि, निदेशक मंडल ने चार सदस्यीय समिति बनाने का निर्णय (सितंबर 2020) लिया साथ ही निर्देशित किया कि समिति का प्रतिवेदन निर्णय के लिए वित्त विभाग को भेजा जा सकता है। तदनुसार, एक समिति गठित की गई जिसने प्रस्तुत किया (सितंबर 2020) कि निदेशक मंडल ऐसे मामलों पर निर्णय लेने में सक्षम थी एवं शासन से मंजूरी लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

हमने देखा कि निदेशक मंडल ने फिर से निर्देश (जुलाई 2021) दिया कि एक अंश मूल्यांकनकर्ता को इस तरह से नियुक्त किया जाना चाहिए जिससे हितों का कोई टकराव न हो और मामला जल्द ही मंडल के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कंपनी ने निविदा प्रक्रिया को पूरा करने के बाद मेसर्स रिसर्जेंट वैल्यूअर्स प्राइवेट लिमिटेड को एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता के रूप में नियुक्त (सितंबर 2021) किया। मेसर्स रिसर्जेंट वैल्यूअर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अनुबंध में उल्लेखित निकास मार्ग (एवरेज नेट यील्ड विधि) को अपनाते हुए अंशों का ₹ 52.73 करोड़[5] का मूल्यांकन प्रस्तुत (सितंबर 2021) किया। मूल्यांकन में मेसर्स पीयूष बिंदल द्वारा किए गए मूल्यांकन की तुलना में ₹ 1.59 करोड़ की वृद्धि हुई।

हमने देखा कि मामला न तो अगली दो बैठकों[6] में निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही निदेशक मंडल के किसी भी सदस्य ने इन दो बैठकों में कोई चिंता व्यक्त की। कंपनी ने देय राशि की प्राप्ति के दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी संयुक्त उद्यमों के सह-प्रवर्तकों को अंश हस्तांतरित नहीं किए। अंतत:, निजी सह-प्रवर्तकों (एम.पी. एग्रो न्यूट्री फूड्स लिमिटेड के संबंध में) ने ब्याज सहित अपनी भुगतान की गई राशि की वापसी की मांग के लिए सितंबर 2022 में माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की।

इस प्रकार, कंपनी के प्रबंध निदेशक ने मेसर्स पीयूष बिंदल के गलत मूल्यांकन प्रतिवेदन को स्वीकार किया और संयुक्त उद्यम कंपनियों के सह-प्रवर्तकों से ₹ 51.14 करोड़ का अंश मूल्य प्राप्त किया, जिससे ₹ 1.59 करोड़ का नुकसान हुआ।

---

[5] एम.पी. एग्रो न्यूट्री फूड्स लिमिटेड, एम.पी. एग्रो फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं एम.पी. एग्रोटोनिक्स लिमिटेड के लिए क्रमशः ₹ 20.29 करोड़, ₹ 17.35 करोड़ और ₹ 15.09 करोड़

[6] निदेशक मंडल की दिनांक 24.03.2022 को आयोजित 194वीं बैठक एवं निदेशक मंडल की दिनांक 23.08.2022 को आयोजित 195वीं बैठक

शासन ने आंकड़ों की पुष्टि करते हुए कहा (जुलाई 2023) कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इसे पहले ही गंभीरता से लिया जा चुका है। मामला निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था एवं मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता तथा अन्य पेशेवरों से भी सलाह मांगी गई। निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार, कार्रवाई की जाएगी।

शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया।

4.4 शासन से प्राप्त अग्रिम/सब्सिडी का उपयोग न करना

कंपनी को विभिन्न अवसरों पर शासन से अग्रिम/सब्सिडी प्राप्त होती है। 2017-22 के कंपनी के खातों की जांच में पता चला कि लेखांकन अभिलेख मार्च 2022 तक शासकीय विभागों से ₹ 5.60 करोड़ के सब्सिडी या अग्रिम प्राप्ति दर्शा रहे थे एवं ये अग्रिम/ सब्सिडी अवधि 2012-13 या उससे पहले से संबंधित थे। कंपनी ने इन अग्रिमों के लिए स्वीकृति पत्र प्रदान नहीं किए, अतः, हम मंजूरी के उद्देश्य और अवधि सुनिश्चित नहीं कर सके। कंपनी ने अग्रिम राशि को न तो समायोजित किया और न ही वापस किया (नीचे चर्चा किए गए एक मामले को छोड़कर) तथा निधि लगभग 10 वर्षों तक कंपनी के पास निष्क्रिय पड़ी रही। इन मामलों की आगे की जांच से पता चला कि:

- कंपनी ने फूड पार्क (उद्यानिकी) हेतु सहायता के लिए अग्रिम के रूप में 2012-13 से पहले प्राप्त ₹ 1.80 करोड़ को आठ साल तक निष्क्रिय रखा और बिना किसी ब्याज के शासन को वापस (मार्च 2020) लौटा दिया। इससे पता चलता है कि कंपनी ने निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए शासकीय निधि का उपयोग नहीं किया तथा अप्रयुक्त निधि को सावधि जमा में निवेश किया एवं ब्याज अर्जित किया। इससे निधि का उद्देश्य विफल हो गया।

- ई.डी.पी. कार्यक्रम (उद्यानिकी) और खाद्य प्रसंस्करण सेमिनार के लिए शासन से क्रमशः ₹ 30.24 लाख और ₹ 60.26 लाख की अग्रिम राशि में से, कंपनी ने वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान बारह शासकीय एवं गैर-शासकीय संस्थानों को ₹ 29.85 लाख और ₹ 24.10 लाख अग्रिम के रूप में जारी किए। यद्यपि, आज तक इन संस्थानों से कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र या देयक नहीं मिला है। कंपनी ने मार्च 2021 में निदेशक मंडल की मंजूरी के बिना और निर्धारित उद्देश्य के लिए निधि का उपयोग सुनिश्चित किए बिना शासन से प्राप्त अग्रिमों के विरुद्ध इन अग्रिमों को समायोजित किया। निदेशक मंडल[7] द्वारा अनुमोदित शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार, प्रबंध निदेशक को एक वर्ष में अधिकतम ₹ 5 लाख बट्टे खाते में डालने का अधिकार था। इस प्रकार, प्रबंध निदेशक ने उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना और निदेशक मंडल की मंजूरी के बिना अनियमित रूप से निधि का समायोजन किया।

[7] दिनांक 27.9.2019 को आयोजित निदेशक मंडल की 188वीं बैठक

यह दर्शाता है कि कंपनी का वित्तीय प्रबंधन दोषपूर्ण था।

शासन ने कहा (जुलाई 2023) कि कंपनी का शासकीय निधि का उपयोग करने का कोई आशय नहीं था लेकिन परियोजना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त ना होने के कारण, लाभार्थियों का भुगतान लंबित रखा गया। ज्यों ही संबंधित अधिकारियों से पुष्टि प्राप्त होती है, कंपनी लाभार्थियों को सब्सिडी राशि की प्रतिपूर्ति करेगी। इस संबंध में, समाधान के संबंध में प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है एवं यदि कोई अप्रयुक्त राशि पाई जाती है तो उसे वापस कर दिया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भुगतान 10 वर्षों से लंबित थे। आगे, कंपनी ने कार्य पूर्ण न होने के कारण भुगतान लंबित होने का विवरण नहीं दिया था।

4.5 बायोगैस कार्यक्रम के पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी का वितरण न किया जाना

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.), भारत सरकार ने राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एन.बी.एम.एम.पी.) लागू (1981-82) किया। कंपनी राज्य में कार्यान्वयन एजेंसी थी एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कंपनी को सब्सिडी जारी की। कंपनी लाभार्थियों के बायो गैस संयंत्रों के सफल संचालन के बाद पात्र लाभार्थियों को बायो गैस सब्सिडी जारी करने के लिए जिम्मेदार थी।

कंपनी के अभिलेखों की जांच से पता चला कि कंपनी ने लाभार्थियों को ₹ 3.66 करोड़ (31 मार्च 2022 तक) की बायोगैस सब्सिडी का वितरण नहीं किया जिसमें से ₹ 3.35 करोड़ की सब्सिडी राशि 1993-94 से 2016-17 से संबंधित थी एवं पांच से 29 वर्ष व्यतित हो जाने के पश्चात भी लाभार्थियों को वितरित नहीं की गई।

चयनित शाखा कार्यालयों में आगे की जांच से पता चला कि शाखा कार्यालयों ने 285 मामलों में, ₹ 11.85 लाख की सब्सिडी हेतु लाभार्थियों को चेक जारी नहीं किए जबकि ₹ 65.60 लाख से जुड़े अन्य मामलों में, लाभार्थियों को चेक जारी किए गए, यद्यपि, लाभार्थियों ने निर्धारित समय में चेक बैंक में प्रस्तुत नहीं किए जिसके परिणामस्वरूप ये चेक वापस हो गए।

इस प्रकार, कंपनी के अधिकारियों के शिथिलता के कारण बायोगैस सब्सिडी के ₹ 3.66 करोड़ कंपनी के पास दशकों से पड़े रहे एवं लाभार्थी वंचित रह गये।

शासन ने कहा (जुलाई 2023) कि लाभार्थियों के के.वाई.सी. विवरण अद्यतन न होने के कारण बायोगैस सब्सिडी के अंतर्गत राशि के भुगतान में देरी दिखाई दे रही थी। अतः, जैसे ही के.वाई.सी. विवरण अद्यतन होगा, कंपनी सब्सिडी का वितरण करेगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि देरी के लिए जो कारण बताया गया वह पांच से 29 साल की देरी को उचित नहीं ठहराता।

4.6 योजना निधि में ब्याज का लेखांकन न करना

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार ने 2007-08 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) शुरू की। भारत सरकार ने किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन को राशि जारी की, जिसने जारी निधि को आगे उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश शासन को अग्रेषित किया। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने आगे राशि कंपनी को हस्तांतरित कर दिया।

2017-22 के दौरान, कंपनी को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से राशि प्राप्त हुई जैसा कि **तालिका 4.3** में विस्तृत है।

तालिका 4.3: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना योजना की वर्षवार प्राप्ति और व्यय

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	वर्ष	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से कंपनी को भेजी गयी निधि (कंपनी के अभिलेखों के अनुसार)	कंपनी को प्रदान की गई राशि से किया गया व्यय	वर्ष के अंत में कंपनी के पास अव्ययित राशि (संचयी)
1.	2017-18[8]	0	0	0
2.	2018-19	10.00	0	10.00
3.	2019-20	18.71	10.17	18.54
4.	2020-21	12.35	14.49	16.40
5.	2021-22	19.71	8.40	27.71

स्रोत: कंपनी के अभिलेखों/टैली/ई.आर.पी. सॉफ्टवेयर से लिए गये आँकड़े

प्राप्त निधि को प्राप्ति के वर्ष में खर्च नहीं किया गया एवं अव्ययित राशि को अगले वर्षों में अग्रेषित कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के अव्ययित शेष के पुनर्वैधीकरण (अप्रैल 2019 एवं अप्रैल 2020) के समय, भारत सरकार ने अर्जित बैंक ब्याज के साथ अव्ययित शेष को पुनर्वैधीकृत कर दिया। इस प्रकार, योजना की अव्ययित शेष राशि पर अर्जित ब्याज को योजना निधि में शामिल किया जाना चाहिए था।

यद्यपि, हमने देखा कि कंपनी ने 2018-19 और 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 15.88 लाख एवं ₹ 33.55 लाख की अव्ययित शेष राशि को सावधि जमा में निवेश करके न केवल ब्याज[9] अर्जित किया बल्कि इस ब्याज को भारत सरकार के निर्देशों के विरुद्ध अपनी स्वयं की आय के

[8] 2017-18 के दौरान कोई निधि प्राप्त नहीं हुयी।

[9] 2018-20 के दौरान सावधि जमा पर ब्याज दर 5.15 प्रतिशत से 7.50 प्रतिशत के बीच रही थी। यद्यपि, हमने परंपरागत रूप से अव्ययीत निधि पर ब्याज की गणना चार प्रतिशत की दर से की।

रूप में दर्ज किया। इस प्रकार, कंपनी ने अनियमित रूप से अव्ययित निधि पर ब्याज आय को कंपनी की आय के रूप में माना।

शासन ने कहा (जुलाई 2023) कि कंपनी ने प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि जैसे मदों में शासन से प्राप्त राशि से अधिक राशि व्यय हुई थी। कुछ मामलों में, कंपनी ने उद्यानिकी विभाग की ओर से स्वयं की निधि खर्च की है।

उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति के संगत नहीं है।

4.7 आयकर बचाने के लिए लाभकारी विकल्प का लाभ न उठाना, ₹ 1.72 करोड़

कंपनी वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक अर्जित लाभ पर लाभ के 30 प्रतिशत[10] की दर से आयकर का भुगतान कर रही थी। वर्ष 2021-22 में कंपनी को ₹ 6.13 करोड़[11] का घाटा हुआ, अतः, वह इस वर्ष के लिए आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थी।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 बी.ए.ए. में प्रावधानित था कि 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद शुरू होने वाले मूल्यांकन वर्ष से संबंधित किसी भी पिछले वर्ष की किसी व्यक्ति, एक घरेलू कंपनी होने पर, की कुल आय पर देय आयकर, ऐसे व्यक्ति के विकल्प पर, 22 प्रतिशत[12] की दर से गणना की जाएगी। आगे, विकल्प का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित थी।

कंपनी के अभिलेखों की जांच से पता चला कि कंपनी धारा 115 बी.ए.ए. के अनुसार कम दरों पर कर का भुगतान करने के लिए पात्र थी क्योंकि वह सभी निर्धारित शर्तों को पूरा कर रही थी। यद्यपि, पात्र होने के बावजूद, कंपनी ने धारा 115 बी.ए.ए. के तहत कम आयकर का भुगतान करने के विकल्प का लाभ नहीं उठाया, एवं **तालिका 4.4** में वर्णित प्रचलित दरों के अनुसार आयकर का भुगतान किया।

[10] साथ ही लागू अधिभार तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर

[11] जैसा कि कंपनी द्वारा आयकर प्रयोजन के लिए तैयार किया गया

[12] इसके अतिरिक्त लागू अधिभार तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर

तालिका 4.4: नए विकल्प के अनुसार देय एवं वास्तव में भुगतान किए गए आयकर की तुलना

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	वर्ष	कर योग्य कुल आय	प्रचलित दर पर भुगतान किया गया आयकर	धारा 115 बी.ए.ए. के तहत आयकर की गणना	विकल्प का लाभ न उठाने के कारण तुलनात्मक हानि
क	ख	ग	घ	ङ	च=घ-ङ
1	2019-20	13.16	4.60	3.31	1.29
2	2020-21	5.25	1.75	1.32	0.43
3	2021-22	(-) 6.13	0	0	0
कुल					**1.72**

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए कंपनी की आयकर विवरणियाँ।

इस प्रकार, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 बी.ए.ए. के तहत उपलब्ध लाभकारी विकल्प का लाभ न उठाने के कारण, कंपनी को ₹ 1.72 करोड़ का परिहार्य कर बोझ वहन करना पड़ा।

शासन ने कहा (जुलाई 2023) कि कंपनी ने बही खातों को अंतिम रूप न दिए जाने एवं लेखापरीक्षा की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण अनंतिम खातों के आधार पर रिटर्न दाखिल किया था। इन कारणों से, कंपनी ने विकल्प का लाभ नहीं उठाया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी अनंतिम खातों के आधार पर भी आयकर में छूट का लाभ उठा सकती थी।

4.8 निष्कर्ष

कंपनी का वित्तीय प्रबंधन एवं परिचालन प्रदर्शन अच्छा नहीं था क्योंकि 2015-20 के दौरान कंपनी का परिचालन लाभ लगातार गिर रहा था तथा कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 17.36 करोड़ का परिचालन घाटा हुआ। आगे, 2011-20 के दौरान परिचालन मार्जिन अनुपात, इक्विटी पर रिटर्न अनुपात एवं कुल संपत्ति पर रिटर्न अनुपात में गिरावट आई थी, जो परिचालन अक्षमता को दर्शाता है। कंपनी के प्रबंधन ने साधारण तरीके से निधि का निवेश किया जिसके परिणामस्वरूप सावधि जमा पर ₹ 1.17 करोड़ के ब्याज का नुकसान हुआ। कंपनी ने तीन संयुक्त उद्यम कंपनियों के मूल्यांकन के लिए गलत मूल्यांकन पद्धति अपनाई जिससे ₹ 1.59 करोड़ का नुकसान हुआ। कंपनी ने शासकीय विभागों से अग्रिम/सब्सिडी के रूप में प्राप्त ₹ 5.60 करोड़ की निधि को लगभग 10 वर्षों तक निष्क्रिय रखा। ₹ 3.35 करोड़ की बायोगैस सब्सिडी पांच से 29 वर्ष बीत जाने के बाद भी लाभार्थियों को वितरित नहीं की गई। कंपनी ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए योजना निधि में ₹ 49.43 लाख की ब्याज राशि

का लेखांकन नहीं किया। इसके अलावा, कंपनी ₹ 1.72 करोड़ का आयकर बचाने के लिए लाभकारी विकल्प चुनने में विफल रही।

4.9 अनुशंसाएं

- ***मध्य प्रदेश शासन को कंपनी की परिचालन दक्षता को सुदृढ़ करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए।***
- ***मध्य प्रदेश शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनी विभिन्न बैंकों से ब्याज दरें प्राप्त करके अपनी निधि को लाभकारी विकल्प में निवेश करे।***
- ***मध्य प्रदेश शासन को इच्छित उद्देश्यों के लिए निधि का उपयोग न करने के लिए जिम्मेदारी तय करनी चाहिए एवं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनी निष्क्रिय पड़ी अव्ययित निधि को तुरंत शासन को वापस करे।***
- ***मध्य प्रदेश शासन को सब्सिडी के भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदारी तय करनी चाहिए एवं पात्र लाभार्थियों को तत्काल भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।***

अध्याय-5

रेडी-टू-ईट उत्पादों का उत्पादन एवं आपूर्ति

अध्याय-5

रेडी-टू-ईट उत्पादों का उत्पादन एवं आपूर्ति

5.1 परिचय

कंपनी ने महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यू.सी.डी.) के साथ एक अनुबंध (दिसंबर 2011) किया जिसमें छ: महीने से तीन साल की उम्र के बच्चों, सबला योजना के अंतर्गत गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं के लिए निर्दिष्ट गुणवत्ता के पूरक पोषण आहार की आपूर्ति करने की शर्तें शामिल थीं। महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (एम.पी.एस.सी.एस.सी.एल.) के माध्यम से कंपनी को रियायती दर पर गेहूं और चावल प्रदान कराएगा एवं प्रति लाभार्थी प्रति दिन पूरक पोषण आहार की दर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कंपनी के परामर्श से मध्य प्रदेश शासन/ भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अंतर्गत होगी।

रेडी-टू-ईट उत्पाद की आपूर्ति के लिए, कंपनी के पास बाड़ी में एक उत्पादन संयंत्र था, जो 1995 में 6,600 मीट्रिक टन पूरक पोषण आहार की प्रारंभिक क्षमता के साथ स्थापित किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 18,000 मीट्रिक टन (2010) और आगे 20,500 मीट्रिक टन (2014) कर दिया गया। आगे, 2019-20 में खिचड़ी प्रीमिक्स की 400 मीट्रिक टन प्रति माह की अतिरिक्त क्षमता भी बनाई गई।

कंपनी द्वारा मार्च 2020 से मार्च 2022 की अवधि के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (पी.आर.डी.डी.), मध्य प्रदेश शासन द्वारा सौंपे (जनवरी 2020) गए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एस.आर.एल.एम.) के सात नए रेडी-टू-ईट संयंत्रों के संचालन एवं रखरखाव का प्रबंधन भी किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक अंतर-विभागीय समिति[1] का भी गठन किया गया था (मार्च 2020), जो रेडी-टू-ईट उत्पादों की रेसिपी, दरों एवं गुणवत्ता से संबंधित मामले पर निर्णय लेने के लिए अंतिम प्राधिकारी थी।

[1] प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग अध्यक्ष के रूप में, प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग सदस्य के रूप में और प्रबंध निदेशक, कंपनी समन्वयक के रूप में।

5.2 पर्यवेक्षण शुल्क प्राप्त न होना

हमने देखा कि कंपनी ने किसी भी समझौता ज्ञापन या अनुबंध निष्पादित किए बिना एवं प्राप्त होने वाले पर्यवेक्षण शुल्क को सुनिश्चित किए बिना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से सात संयंत्रों का संचालन एवं प्रबंधन लिया (फरवरी 2020)।

कंपनी ने जून एवं जुलाई 2021 में आयोजित अंतर-विभागीय समिति की बैठकों में इन रेडी-टू-ईट संयंत्रों के संचालन पर हुए वास्तविक व्यय पर तीन प्रतिशत कमीशन के भुगतान की मांग की। जुलाई 2021 में आयोजित बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि कंपनी सभी सात संयंत्रों के लेखापरीक्षित खातों के साथ वास्तविक व्यय पर गणना किए गए तीन प्रतिशत कमीशन का प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को प्रस्तुत करेगी, जो वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन के परामर्श से इसे अनुमोदित करेगा।

कंपनी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को ₹ 16.06 करोड़ की राशि के तीन प्रतिशत सेवा शुल्क के भुगतान का प्रस्ताव प्रस्तुत (जुलाई 2021) किया। इस बीच, मंत्रियों की समिति ने निर्णय (सितंबर 2021) लिया कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सभी सात संयंत्रों का संचालन एवं रखरखाव राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को वापस कर दिया जाए। तदनुसार, संयंत्रों को दिसंबर 2021 और फरवरी 2022 के बीच राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को वापस सौंप दिया गया।

हमने देखा कि कंपनी ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सात संयंत्रों के वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के खातों की लेखापरीक्षा नहीं करवाए (31 जनवरी 2023 तक) जिसके कारण समिति को इन शुल्कों के संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने में देरी हुई। इस बीच, प्रबंध निदेशक ने मार्च 2020 से मार्च 2022 की अवधि हेतु पर्यवेक्षण शुल्क के भुगतान के लिए ₹ 32 करोड़ का बजट प्रावधान करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से अनुरोध (दिसंबर 2021) किया। हमने देखा कि कंपनी की गणना अनुसार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से ₹ 32.38 करोड़ का पर्यवेक्षण शुल्क वसूल किया जाना था।

इस प्रकार, पर्यवेक्षण शुल्क के लिए स्पष्ट नियम एवं शर्तों सहित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन/ अनुबंध को निष्पादित करने में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 32.38 करोड़ के पर्यवेक्षण शुल्क की प्राप्ति नहीं हुई।

शासन ने कहा (जुलाई 2023) कि अंतर-विभागीय समिति द्वारा अभी निर्णय लिया जाना है।

यद्यपि, तथ्य कि अंतर-विभागीय समिति ने कंपनी को संयंत्रों के लेखापरीक्षित खाते (2020-21 एवं 2021-22) प्रस्तुत करने के लिए कहा था जिन्हें अब तक (जनवरी 2023) अंतिम रूप नहीं दिया गया, यथावत है।

5.3 रेडी-टू-ईट उत्पादों की आपूर्ति के भुगतान अप्राप्त रहना

महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ अनुबंध (दिसंबर 2011) के खंड 15 के अनुसार, रेडी-टू-ईट उत्पादों की आपूर्ति के देयकों का भुगतान सामान्यतः देयक प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

कंपनी ने अपने बाड़ी संयंत्र से मार्च 2020 के दौरान की गई आपूर्ति के सापेक्ष 25 अगस्त 2020 को ₹ 48.85 लाख का समेकित देयक प्रस्तुत किया, जिसका भुगतान 24.09.2020 तक (30 दिनों के भीतर) किया जाना था। यद्यपि, महिला एवं बाल विकास विभाग ने देयकों का भुगतान नहीं किया। हमने देखा कि कंपनी ने बकाया देयकों का भुगतान न होने का अनुशीलन नहीं किया एवं मई 2021 तक आपूर्ति जारी रखी। परिणामस्वरूप, महिला एवं बाल विकास विभाग पर बाड़ी संयंत्र से मार्च 2020 से मई 2021 के दौरान किशोरियों के लिए आपूर्ति किये गये रेडी-टू-ईट उत्पादों के ₹ 2.14 करोड़ बकाया थे। कंपनी के प्रबंध निदेशक ने महिला एवं बाल विकास विभाग से बकाया राशि के भुगतान के लिए यह कहते हुए अनुरोध (सितंबर 2021 और फरवरी 2022) किया कि कंपनी द्वारा अपने कोष से कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान पहले ही किया जा चुका था। यद्यपि, कंपनी को बकाया देयकों के विरुद्ध भुगतान नहीं मिला एवं महिला एवं बाल विकास विभाग ने सूचित किया (फरवरी 2023) कि उपरोक्त योजना के संबंध में अनुदान की मांग भारत सरकार से की गई थी एवं अनुदान प्राप्त होने पर भुगतान किया जाएगा।

हमने देखा कि कंपनी ने यह जानते हुये कि देयक सितंबर 2020 से लंबित थे आपूर्ति जारी रखी एवं भुगतान का अनुरोध करने में अत्यधिक देरी की। इसके परिणामस्वरूप कंपनी के ₹ 2.14 करोड़ की राशि अवरुद्ध रही।

शासन ने कहा (जुलाई 2023) कि सबला योजना 2019 से बंद थी और वह लगातार महिला एवं बाल विकास विभाग से राशि जारी करने का अनुरोध कर रही थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इतनी लंबी अवधि के लिए निधि के अवरुद्ध होने का कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आगे, सबला योजना बंद होने के बाद (अर्थात 2019 के बाद) की गई आपूर्ति के कारण अंततः कंपनी को भुगतान नहीं मिला/ निधि अवरुद्ध हुई एवं यह कंपनी के आंतरिक नियंत्रण तंत्र पर भी संदेह उत्पन्न करता है।

5.4 आधिक्य कटौती

मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा बी.पी.एल. गेहूं और चावल की आपूर्ति से संबंधित मार्जिन के पुनर्निर्धारण के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं कंपनी के बीच एक बैठक (सितंबर 2015) में

यह निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड पोषण आहार एवं किशोरियों के लिए योजना हेतु कंपनी को क्रमशः ₹ 415 और ₹ 565 प्रति क्विंटल के केंद्रीय निर्गम मूल्य पर गेहूं एवं चावल की आपूर्ति करेगा जो उपरोक्त वस्तुओं को सीधे मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदामों से उठाएंगे।

वर्ष 2016-17 के दौरान, भारत सरकार द्वारा सब्सिडी वाले गेहूं और चावल की दरें कम कर दी गईं एवं कंपनी को सूचित (मार्च 2017) किया गया। एकीकृत बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) के लिए गेहूं और चावल की नई दरें क्रमशः ₹ 247 और ₹ 347 प्रति क्विंटल थीं।

कंपनी ने गेहूं और चावल का भुगतान पुरानी दरों पर किया था जिससे मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को ₹ 8.01 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान (2016-17 के दौरान) हुआ। हमने देखा कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने कंपनी के देयकों से ₹ 8.01 करोड़ का समायोजन (फरवरी 2017) किया, जबकि कंपनी को मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से केवल ₹ 3.67 करोड़ की धनवापसी मिली एवं शेष ₹ 4.34 करोड़ को मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा कंपनी से वसूली योग्य मार्जिन राशि के विरुद्ध समायोजित किया गया। इस मामले को कंपनी ने महिला एवं बाल विकास विभाग के खिलाफ मध्यस्थता के माध्यम से अनुशीलन किया लेकिन फैसला कंपनी के विरूद्ध आया (23.10.2017)। मध्यस्थता के फैसले के बाद, कंपनी महिला एवं बाल विकास विभाग/ मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से राशि वसूल नहीं कर सकी।

शासन ने कहा (जुलाई 2023) कि मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से राशि की वसूली प्रक्रियारत थी।

तथ्य कि कंपनी पांच वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी राशि की वसूली नहीं कर सकी यथावत है।

5.5 भुगतान प्राप्त होने में देरी के कारण कारोबार एवं ब्याज की हानि

महिला एवं बाल विकास विभाग तथा कंपनी के बीच अनुबंध (दिसंबर 2011) के खंड 15 के अनुसार, महिला एवं बाल विकास विभाग कंपनी द्वारा समेकित देयक जमा करने के एक माह के भीतर रेडी-टू-ईट उत्पाद की आपूर्ति के लिए भुगतान करेगा। आगे, मध्य प्रदेश शासन के आदेश (अक्टूबर 2009) के अनुसार, महिला एवं बाल विकास विभाग कंपनी को 60 प्रतिशत अग्रिम में भुगतान करेगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने 2018-22[2] के दौरान कंपनी को रेडी-टू-ईट उत्पाद की आपूर्ति के लिए 42 आपूर्ति आदेश जारी किए। मध्य प्रदेश शासन के उपरोक्त आदेश के अनुसार, आदेश की गई मात्रा की कुल राशि का 60 प्रतिशत अग्रिम, आपूर्ति आदेश जारी करने के समय ही दिया जाना चाहिए एवं शेष 40 प्रतिशत कंपनी द्वारा समेकित बिल जमा करने की तारीख से एक माह के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए।

हमने देखा कि अग्रिम तब दिया गया जब आपूर्ति आदेश के विरुद्ध आंशिक या पूर्ण मात्रा प्रदाय की गई थी जैसा कि ***परिशिष्ट 5.1*** में विस्तृत है। आगे, कैबिनेट के फैसले (जनवरी 2020) के अनुसार, महिला एवं बाल विकास विभाग कंपनी को अग्रिम प्रदान करेगा जो तीन महीने के आपूर्ति आदेश का औसत होना चाहिए और इसे प्रत्येक महीने में जारी किए गए देयकों में समायोजित किया जाएगा। हमने देखा कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने मई 2020 में केवल एक बार ₹ 50 करोड़ का अग्रिम प्रदान किया और उसके बाद 2020-21 और 2021-22 के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिए गए 18 आदेशों के लिए कोई अग्रिम भुगतान नहीं दिया गया।

हमने शेष देयक राशि के भुगतान में देरी देखी क्योंकि महिला एवं बाल विकास विभाग निर्धारित समय के भीतर कंपनी द्वारा प्रस्तुत समेकित बिल का भुगतान करने में विफल रहा। हमने यह भी देखा कि 42 आदेशों में से 28 आपूर्ति आदेशों ***(परिशिष्ट 5.2)*** के देयकों के भुगतान में निर्धारित समय सीमा से एक से 96 दिनों तक की देरी हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि:

(क) कंपनी की कार्यशील पूंजी अवरुद्ध होने से ₹ 26.74 लाख के ब्याज की हानि हुई।

(ख) निविदा की शर्तों के अनुसार भुगतान के लिए अनुमत अधिकतम 30 दिनों की अवधि के बजाय कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान में चार से छ: महीने तक की देरी हुई। बदले में आपूर्तिकर्ताओं ने कच्चे माल की आपूर्ति के लिए उच्च दरें उद्धृत की क्योंकि उन्होंने कोटेशन प्रदान करते समय विलंबित अवधि के लिए ब्याज लागत पर विचार किया और इस तथ्य के कारण कि कंपनी द्वारा भुगतान में देरी होती है, ऐसे कोटेशन को कंपनी द्वारा स्वीकार करना पड़ा।

(ग) रेडी-टू-ईट उत्पाद के वितरण का शेड्यूल एक माह के निर्धारित समय-सीमा से एक माह आगे बढ़ा किया गया था जो एक से 97 दिनों के बीच था। इस तरह की देरी के परिणामस्वरूप पोषण आहार चक्र का विस्तार हुआ, जिसमें हर महीने रेडी-टू-ईट

[2] 2017-18 का डेटा शामिल नहीं किया गया क्योंकि इस वर्ष देयक का भुगतान अलग-अलग दिनांकों को जिलेवार किया गया था और इसके अलावा सभी चार संयंत्रों (एक स्वयं के एवं तीन संयुक्त उद्यम) से जिलों में समेकित आपूर्ति की गई थी और इसलिए बाड़ी प्लांट से आपूर्ति का मूल्य एवं दिनांक सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

उत्पादों का एक मांग आदेश शामिल होता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2020-21 और 2021-22 के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 12 आदेशों के स्थान पर केवल क्रमशः आठ एवं दस आदेश दिए गए।

शासन ने टिप्पणी स्वीकार (जुलाई 2023) किया एवं कहा कि समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के परामर्श से तंत्र विकसित किया जाएगा।

5.6 संयंत्र एवं मशीनरी के विक्रेता को अनुचित लाभ

कंपनी ने बाड़ी में खिचड़ी प्रीमिक्स के उत्पादन के लिए एक नया पूरक पोषण आहार संयंत्र के निर्माण का प्रस्ताव दिया। सयंत्र के निर्माण कार्य को दो पैकेजों में विभाजित किया गया था जिसमें क्रमशः (i) कारख़ाना भवन का निर्माण एवं (ii) सयंत्र एवं मशीनरी की स्थापना शामिल थे।

फैक्ट्री भवन के निर्माण का कार्य ठेकेदार मेसर्स गिरीश गोस्वामी को तीन माह में भवन निर्माण पूर्ण करने की समयावधि के साथ सौंपा (जून 2018) गया एवं सिविल कार्यों को पूरा करने के लिए कुल समय पांच महीने बरसात की अवधि सहित यथा 18.11.2018 तक अनुमत था। यद्यपि, भवन पूरा होने के बाद दिनांक 26.06.2019 को कंपनी को सौंपा गया। भवन निर्माण में देरी के निम्नलिखित कारण रहे:-

i. कंपनी तय समय के भीतर मशीनरी की स्थापना के लिए प्लेटफॉर्म के निर्माण हेतु संयंत्र का ले-आउट प्रदान करने में विफल रही।

ii. कंपनी ने छत पर लगाई जाने वाली शीट के रंग और विद्युत स्थापना की गुणवत्ता को अंतिम रूप देने में बहुत समय लिया।

iii. निर्माण सामग्री के भण्डारण हेतु उचित भंडारण की अनुपलब्धता।

iv. बरसात के मौसम में साइट पर भारी जलजमाव के कारण भवन की नींव भरने में बाधा आना।

कंपनी ने निम्नलिखित शर्तों के साथ बाड़ी, रायसेन में हर महीने 400 मीट्रिक टन खिचड़ी के उत्पादन के लिए पूर्ण स्वचालित संयंत्र के लिए निविदा जारी (जून 2018) की:

(क) समय सारिणी के अनुसार सभी सामग्रियों एवं उपकरणों को आदेश के दिनांक से 90 दिनों के भीतर गंतव्य स्थान पर आपूर्ति की जानी थी तथा आगे स्थापना के लिए 60 दिनों की अनुमति दी गई थी यानि आदेश की तारीख से परीक्षण के लिए कुल 150 दिनों की अनुमति दी गई थी। .

(ख) आदेश मूल्य के 50 प्रतिशत की बैंक गारंटी जमा करने पर संयंत्र की आपूर्ति के लिए आदेश के साथ समतुल्य अग्रिम भुगतान किया जाना था।

(ग) मैसर्स हिंदुस्तान इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर (विक्रेता) को सबसे कम बोली लगाने वाले के रूप में चुना गया और ₹ 2.30 करोड़ की कुल लागत पर काम सौंपा (जुलाई 2018) गया। संयंत्र की आपूर्ति और निर्माण का कार्य दिसंबर 2018 तक पूरा किया जाना था। आगे, उपरोक्त शर्त के अनुसार, कंपनी ने विक्रेता को कुल आदेश मूल्य का 50 प्रतिशत अग्रिम राशि ₹ 1.15 करोड़ प्रदान (अगस्त 2018) किया।

(घ) चूंकि संयंत्र का सिविल कार्य समय पर पूरा नहीं किया जा सका, प्रबंधन ने संयंत्र के निर्माण कार्य को पूरा करने की समय सीमा 15.08.2019 तक संशोधित कर बढ़ा (जुलाई 2019) दिया। संयंत्र से वास्तविक उत्पादन अंततः 13.12.2019 से शुरू हुआ। लेखापरीक्षा ने कार्य को पूरा करने में निम्नलिखित कमियाँ देखीं: -

- जबकि भवन निर्माण 26.06.2019 को पूरा हुआ, कंपनी ने सिविल कार्य की प्रगति की पुष्टि किए बिना अगस्त 2018 में संयंत्र एवं मशीनरी की स्थापना के लिए विक्रेता को अग्रिम भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की निधि अवरुद्ध हुई और परिणामस्वरूप ₹ 2.68 लाख[3] के ब्याज की हानि हुई।
- सिविल कार्यों में 10 महीने की देरी के कारण कंपनी ने प्रति माह लगभग ₹ 26 लाख का लाभ कमाने का अवसर भी खो दिया।

शासन ने कहा (जुलाई 2023) कि कंपनी ने देरी के लिए सिविल ठेकेदार पर ₹ 3.35 लाख तथा संयंत्र एवं मशीनरी के आपूर्तिकर्ता से ₹ 7 लाख का जुर्माना लगाया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध के अनुसार देरी के लिए जुर्माना लगाया गया। आगे, शासन ने सिविल कार्य की प्रगति का आकलन किए बिना संयंत्र की आपूर्ति एवं स्थापना के लिए जारी अग्रिम पर कोई टिप्पणी नहीं की।

5.7 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों से आवश्यक मात्रा का 30 प्रतिशत आरक्षण के संबंध में खंड का अनुपालन न करना

2018-22 के लिए रेडी-टू-ईट उत्पाद हेतु 12 कच्चा माल सामग्री की आपूर्ति हेतु विक्रेताओं के पंजीकरण (नवंबर 2018 और मार्च 2020) के लिए जारी किए गए निविदा दस्तावेजों में यह खंड शामिल था कि "राज्य शासन की नीति के अनुसार कंपनी के उपयोग के लिए वस्तुओं की खरीद के संबंध में, आवश्यक मात्रा की न्यूनतम 30 प्रतिशत की सीमा तक, खरीद प्राथमिकता, मध्य प्रदेश के उन विनिर्माण इकाइयों को दी जाएगी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों

[3] ₹ 1.15 करोड़ * 4 प्रतिशत * 7 माह - सितम्बर 2018 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार

से संबंधित हैं और कंपनी के साथ पंजीकृत हैं। इस संबंध में जिला व्यापार उद्योग केंद्र (डी.टी.आई.सी.) द्वारा जारी प्रमाण पत्र की एक स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए"।

हमने देखा कि 2017-22 के दौरान जारी निविदाओ में कंपनी ने उन आपूर्तिकर्ताओं की श्रेणी का उल्लेख नहीं किया जिन्हें रेडी-टू-ईट उत्पादों की आपूर्ति के लिए आपूर्ति आदेश जारी किए गए थे। इस प्रकार, महाप्रबंधक (पोषण आहार) ने न तो यह सुनिश्चित किया कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी के आपूर्तिकर्ताओं को आदेश का विशिष्ट प्रतिशत जारी किया गया और न ही कंपनी के पास इन विवरणों का कोई अभिलेख उपलब्ध था। इस प्रकार, कंपनी ने निविदा शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया।

शासन ने कहा (जुलाई 2023) कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी से प्रस्ताव न मिलने के कारण, अन्य श्रेणियों से खरीदारी की गई है और भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति आपूर्तिकर्ताओं सहित विभिन्न श्रेणियों के आपूर्तिकर्ताओं का विवरण नहीं संधारित किया।

5.8 निष्कर्ष

कंपनी ने अपने वित्तीय हितों का पर्याप्त रूप से अनुशीलन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से पर्यवेक्षण शुल्क की वसूली नहीं हो सकी एवं मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड से मार्जिन राशि में कटौती हुई। आगे, कंपनी के पास अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उद्यमियों से कम से कम 30 प्रतिशत वस्तुओं की खरीद सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी, जैसा कि रेडी-टू-ईट वस्तुओं के लिए कच्चे माल की खरीद के लिए निविदा में परिकल्पित थी।

5.9 अनुशंसाएं

- ***कंपनी को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संयंत्रों के संबंध में पर्यवेक्षण शुल्क के मुद्दे को मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए।***
- ***कंपनी को मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड से मार्जिन राशि की त्वरित वसूली के लिए प्रभावी प्रयास करना चाहिए।***
- ***कंपनी को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति सहित विभिन्न श्रेणियों के आपूर्तिकर्ताओं के विवरण संधारित करना चाहिए ताकि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उद्यमियों से कम से कम 30 प्रतिशत वस्तुओं की खरीद सुनिश्चित की जा सके।***

अध्याय–6

यंत्रीकृत कृषि फार्म, बाबई का प्रदर्शन

अध्याय-6

यंत्रीकृत कृषि फार्म, बाबई का प्रदर्शन

6.1 परिचय

मध्य प्रदेश शासन ने यंत्रीकृत कृषि फार्म (एम.ए.एफ.) की स्थापना के लिए कंपनी को बाबई, होशंगाबाद में 3,251.28 एकड़ भूमि आवंटित (वर्ष 1971) की थी। यंत्रीकृत कृषि फार्म की स्थापना का उद्देश्य किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन एवं वितरण, खेती में नवीनतम कृषि मशीनरी/ उपकरणों का उपयोग करना, खेती के तरीकों का प्रदर्शन एवं किसानों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करना था।

यद्यपि, कंपनी ने यंत्रीकृत कृषि फार्म से लाभ (वर्ष 1988-89, 2011-12 और 2012-13 को छोड़कर) नहीं कमाया एवं 31 मार्च 2022 तक संचित घाटा ₹ 12.98 करोड़[1] था। परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश शासन ने यंत्रीकृत कृषि फार्म की 1,678.73 एकड़ भूमि वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार (सी.आई. एंड ई.) विभाग को हस्तांतरित (2012) कर दी। कलेक्टर, होशंगाबाद ने पोषण आहार संयंत्र की स्थापना के लिए 1.75 एकड़ भूमि का अधिग्रहण (फरवरी 2018) किया और चिकित्सा उपकरण पार्क के विकास के लिए वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को 1,034.30 एकड़ भूमि हस्तांतरित (सितंबर 2020) की। मार्च 2022 तक, यंत्रीकृत कृषि फार्म के पास कुल क्षेत्रफल 536.5 एकड़ था जिसमें से 157.5 एकड़ गेहूं एवं धान की खेती के लिए विकसित किया गया था, 277.63 एकड़ उद्यानों के लिए तथा शेष 101.37 एकड़ पर मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन (एम.पी.डब्ल्यू.एल.सी.), एक मंदिर परिसर, कार्यालय भवन, गोदाम, सड़क आदि था।

6.1.1 यंत्रीकृत कृषि फार्म के उद्देश्यों की पूर्ति न होना

कंपनी यंत्रीकृत कृषि फार्म का उपयोग कृषि गतिविधियों जैसे गेहूं एवं धान की फसल की खेती तथा आम, कटहल, आंवला, चीकू, अमरूद एवं नींबू के बागानों के रखरखाव एवं अन्य गतिविधियों के लिए कर रही थी। इस प्रकार, कंपनी ने यंत्रीकृत कृषि फार्म का उपयोग उसके विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया।

शासन ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

---

[1] 1971 से 2016-17 के दौरान संचित हानि - ₹ 11.67 करोड़ (कंपनी के अभिलेखों के अनुसार) एवं 2017-22 के दौरान हानि - ₹ 1.31 करोड़, कुल ₹ 12.98 करोड़।

6.2 यंत्रीकृत कृषि फार्म बाबई का वित्तीय प्रदर्शन

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान यंत्रीकृत कृषि फार्म से कृषि एवं उद्यान उपज की बिक्री तथा बिक्री पर लाभ/हानि का विवरण **तालिका-6.1** में विस्तृत है।

तालिका 6.1: फार्म के उपज की बिक्री से लाभ एवं हानि

(₹ लाख में)

वर्ष	कृषि उपज से बिक्री	उद्यानों के उपज से बिक्री	नर्सरी से बिक्री	कुल बिक्री	कुल लागत	बिक्री पर लाभ/ हानि
2017-18	100.55	21.54	0	122.09	131.90	-9.81
2018-19	79.62	48.37	0	127.99	129.66	-1.67
2019-20	71.14	21.91	0	93.05	130.50	-37.45
2020-21	40.01	34.34	0	74.35	136.93	-62.58
2021-22	56.01	53.39	0	109.40	128.57	-19.17
योग	**347.33**	**179.55**	**0**	**526.88**	**657.56**	**-130.68**

स्रोत: कंपनी के अभिलेखों से लिये गए आंकड़े

तालिका-6.1 से देखा जा सकता है कि कंपनी को 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान कृषि एवं उद्यान उपज की बिक्री पर घाटा हुआ था। इसके कारणों पर आगामी कंडिकाओ में चर्चा की गई है:

6.3 विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओ का कार्यान्वयन न होना

कंपनी ने फार्म की गतिविधियों में बदलाव के लिए एक कार्य योजना बनाने हेतु एक विशेषज्ञ समिति[2] का गठन (नवंबर 2017) किया। विशेषज्ञ समिति ने पिछले 15 वर्षों में फसलों एवं बगीचों से उत्पादन, कर्मचारियों की स्थिति तथा फार्म के संधारण पर किए गए सभी व्ययों के अभिलेखों की समीक्षा की तथा स्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए फार्म का भौतिक निरीक्षण भी किया। विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओ (नवंबर 2017) एवं उनके कार्यान्वयन के लेखापरीक्षा विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य प्रगट हुये:

(क) विशेषज्ञ समिति ने अनुशंसा की थी कि बगीचे की उपज की बिक्री के लिए निविदाएं एक वर्ष के बजाय लंबी अवधि यानी 5 से 10 वर्षों के लिए बुलाई जानी चाहिए। यद्यपि

[2] (1) संयुक्त संचालक उद्यान, होशंगाबाद (2) उप संचालक उद्यान, होशंगाबाद, (3) प्रतिनिधि, उप संचालक कृषि, होशंगाबाद (4) अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, पवनखेड़ा, होशंगाबाद (5) डी.जी.एम., बाबई प्रोजेक्ट मुख्यालय एग्रो (6) डी.जी.एम., बाबई प्रोजेक्ट एम.पी. एग्रो (7) ओलंपिक बायो एग्रीटेक प्रा. लिमिटेड, इंदौर, सलाहकार बागवानी।

अनुशंसा को लागू करने के लिए मई 2018 में प्रयास किए गए थे, इसे अब तक लागू नहीं किया गया। जैसा कि पहले होता था निविदाएं एक वर्ष के लिए जारी की गईं जिससे कंपनी अधिक उपज देने वाली बागवानी फसलों के उद्यानों को फिर से तैयार करने हेतु समय प्राप्त करने, दूरी ख़त्म करने, सूखे/ खराब/ क्षतिग्रस्त पौधों को नए पौधों से बदलने के लाभों से वंचित रहा जैसा कि निविदा की शर्तों में परिकल्पित था।

(ख) विशेषज्ञ समिति ने अनुशंसा की थी कि भूमि की रेतीली प्रकृति के कारण कृषि संबंधी गतिविधियाँ लाभप्रद नहीं होंगी, इसलिए 1,570.8 एकड़ के पूरे क्षेत्र में उद्यानिकी संबंधी गतिविधियाँ संचालित करना उचित होगा। यद्यपि, हमने देखा कि प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान गेहूं एवं धान की फसल उगाने की पारंपरिक खेती जारी रखी एवं 2019-20 और 2020-21 के दौरान ₹ 22.83 लाख ***(परिशिष्ट–6.1)*** की हानि हुई।

(ग) विशेषज्ञ समिति ने बगीचे की उपज बढ़ाने के लिए कीटनाशकों एवं उचित खाद के उपयोग की अनुशंसा की। विशेषज्ञ समिति ने विभिन्न उद्यानों के लिए उनकी उम्र के अनुसार पोषण की समय सारणी बनाने की जोरदार अनुशंसा की। यद्यपि, हमने देखा कि कीटनाशकों एवं खाद की खरीद के लिए, बाबई फार्म के प्रभारी ने आवश्यकता के अनुसार वार्षिक आधार पर राशि की मांग की। यद्यपि, कंपनी ने समय पर राशि उपलब्ध नहीं कराई जिसके कारण पेड़ों में संक्रमण हुआ। हमने यंत्रीकृत कृषि फार्म, बाबई का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया और देखा कि आम एवं अमरूद के अधिकांश पेड़ दीमक से अत्यधिक संक्रमित थे ***(चित्र 1 एवं चित्र 2)*** जिसके परिणामस्वरूप फल देने वाले पेड़ जल्दी खराब हो गए एवं उत्पादन में कमी आई।

चित्र 1 (अमरुद का पेड़)	**चित्र 2 (आम का पेड़)**

(घ) विशेषज्ञ समिति ने खाली भूमि के उपयोग द्वारा वार्षिक आय उत्पन्न करने के लिए बांस और मोरिंगा के पौधे लगाने की भी अनुशंसा की क्योंकि इसे कम देखभाल एवं कम लागत की आवश्यकता होती है। यद्यपि, हमने देखा कि कंपनी ने बांस और मोरिंगा के पौधे नहीं लगाए जिसके परिणामस्वरूप संभावित राजस्व की हानि हुई।

(ङ) समिति ने खेतों में आवारा जानवरों के प्रवेश को रोकने एवं कृषि उपज के नुकसान को रोकने के लिए फार्म में बाड़ लगाने के विभिन्न सुझाव[3] भी दिए। यद्यपि, प्रबंधन द्वारा किसी भी सुझाव पर कार्य नहीं किया गया। हमने यह भी देखा कि उचित बाड़ के अभाव में, एक मामले में दिसंबर 2019 में मवेशियों द्वारा फसल चरने के कारण 10 एकड़ फसल क्षतिग्रस्त/नष्ट हो गई।

(च) विशेषज्ञ समिति ने अनुशंसा की थी कि चूंकि कृषि फसलें मानक के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर रही थी, इसलिए भूमि सीताफल, लीची, जामुन, इमली, बेल आदि जैसे विभिन्न नए उच्च मूल्य वाले उद्यान विकसित करने के लिए निजी पार्टी को दी जानी चाहिए। यद्यपि, प्रबंधन ने वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान नए उद्यान विकसित करने की पहल नहीं की। हमने यह भी देखा है कि पिछले आठ वर्षों में कोई नया पौधरोपण नहीं किया गया था।

इस प्रकार, कंपनी समिति की किसी भी अनुशंसा को लागू करने में विफल रही।

शासन ने कहा (जुलाई 2023) कि विशेषज्ञ समिति द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रतिवेदन तत्कालीन परिस्थितियों एवं उस समय प्रचलित पर्यावरणीय स्थितियों को ध्यान में रख कर बनाई गई थी, अब जलवायु परिस्थितियाँ बदल गई हैं और इस बीच कई नयी कृषि प्रौद्योगिकियाँ उन्नत हुई हैं। अतः, कंपनी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर एक नवीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक नई विशेषज्ञ समिति गठित करने की प्रक्रिया में है।

उत्तर स्वीकार्य योग्य नही है क्योंकि कंपनी को प्रतिवेदन प्राप्त होने के तुरंत बाद विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा को लागू करना था।

6.4 भूमि का कम उपयोग

2017-20 के दौरान यंत्रीकृत कृषि फार्म के पास खेती के लिए 435 एकड़ भूमि (इकाई 1+2+3) उपलब्ध थी। 2020-22 के दौरान खेती का क्षेत्र घटकर 157.5 एकड़ (इकाई 1) रह गया। हमने देखा कि 2017-20 के दौरान खरीफ एवं रबी फसलों की खेती के

[3] पूरे खेत की सीमा/ मेड़ पर प्रथम पंक्ति में आँवला एवं शिकाकाई का रोपण, दूसरी पंक्ति में बांस का रोपण तथा तीसरी पंक्ति में मोरिंगा (ड्रम स्टिक) का रोपण करना चाहिए।

लिए भूमि का उपयोग क्रमशः 31 से 44 प्रतिशत एवं 68 से 91 प्रतिशत के बीच था। इस प्रकार, 2017-20 के दौरान, खेत में उचित सिंचाई सुविधा की अनुपलब्धता और पर्यवेक्षण के लिए पर्याप्त जनशक्ति की अनुपलब्धता के कारण उपलब्ध भूमि का नौ प्रतिशत से 69 प्रतिशत तक कम उपयोग हुआ। हमने आगे देखा कि नवंबर 2017 तक खेत में कुल 36 ट्यूबवेल (नल-कूप) स्थापित थे, जिनमें से 10 ट्यूबवेल गैर-कार्यशील स्थिति में थे। इस प्रकार, सिंचाई सुविधा में सुधार करने में कंपनी की विफलता एवं अपर्याप्त जनशक्ति के परिणामस्वरूप उपलब्ध भूमि का अल्प उपयोग हुआ।

शासन ने कहा (जुलाई 2023) कि नई विशेषज्ञ समिति का गठन प्रक्रियाधीन है। समिति की अनुशंसा के आधार पर भूमि के बेहतर उपयोग के लिए सिंचाई सुविधा विकसित की जायेंगी।

शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया।

6.5 नर्सरी का ख़राब प्रदर्शन

यंत्रीकृत कृषि फार्म बाबई ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से प्राप्त ₹ 18 लाख के एकमुश्त अनुदान से कुल 9.88 एकड़ क्षेत्रफल में इस शर्त के साथ एक नर्सरी विकसित (अक्टूबर 2006) की, कि नर्सरी हर वर्ष चार लाख पौधे तैयार करेगी एवं उत्पादित पौधों की बिक्री के माध्यम से आवर्ती लागत की भरपाई होगी।

पौधों की बिक्री के लिए नर्सरी को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.) द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यंत्रीकृत कृषि फार्म के प्रभारी ने मान्यता प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को आवेदन प्रस्तुत (दिसम्बर 2015) किया। कंपनी के अनुरोध पर कुछ स्थगनों के बाद (चूंकि आदर्श नर्सरी के लिए आवश्यक सुविधाएं एवं नए पौधे विकसित नहीं किए गए थे), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के आकलन दल ने अंततः अक्टूबर 2021 में नर्सरी का दौरा किया और बताया कि नर्सरी किसी भी रेटिंग के लिए पात्र नहीं थी क्योंकि प्राप्त अंक अर्हक अंक से कम थे। आकलन दल ने नर्सरी में आगे सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए जैसे मातृ पौधों पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव, वृद्धि के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, नर्सरी क्षेत्र को खरपतवारों से मुक्त रखना एवं मातृ पौधों के वंशावली अभिलेख के लिए पंजी संधारित किया जाना तथा संचालन का फ्लो चार्ट/ कैलेंडर तैयार किया जाना।

हमने देखा कि यंत्रीकृत कृषि फार्म, बाबई के प्रबंधन ने आकलन दल के सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया। परिणामस्वरूप, मार्च 2022 तक नर्सरी को मान्यता नहीं मिली। हमने आगे देखा कि आदर्श नर्सरी में 2015-16 में 54,850 पौधे थे एवं मान्यता न होने के कारण नर्सरी से कोई बिक्री नहीं हुई थी।

शासन ने कहा (जुलाई 2023) कि सुझावों और टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए नर्सरी में सुधार के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

शासन ने लेखापरीक्षा आपति को स्वीकार कर लिया एवं सुधारात्मक कार्रवाई कर रही है।

6.6 पेड़ों एवं उद्यानों की नीलामी/निविदा में अनियमितताएं

यंत्रीकृत कृषि फार्म ने 436.50 एकड़ भूमि पर फलों एवं सब्जियों के उद्यान विकसित किए एवं निविदाओं के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित करके उपज बेचीं। 2017-22 के दौरान, निविदा के माध्यम से उद्यानों की उपज ₹ 1.80 करोड़ ***(परिशिष्ट 6.2)*** में बेची गई। बागों की उपज की बिक्री से संबंधित अभिलेखों की जांच में निम्नलिखित कमियां सामने आईं:

(क) निविदा शर्तों के अनुसार, निविदाकर्ता को प्रतिदिन उद्यानों से निकाले गए/एकत्रित फलों के वजन की वास्तविक जानकारी क्षेत्र प्रभारी को देनी होगी जिससे वह भविष्य हेतु प्रत्येक उद्यान का वार्षिक उत्पादन प्रतिवेदन तैयार कर सके, जो आगामी वर्षों के मूल्यांकन प्रतिवेदन का आधार बनेगा। हमने देखा कि प्रबंधन के पास इस शर्त को पूरा करने के लिए अपना स्वयं का वजन मशीन नहीं था एवं निविदाकर्ता ने 2017-22 के दौरान उद्यान प्रभारी को निकाले गए फलों के वजन के बारे में दैनिक प्रतिवेदन भी उपलब्ध नहीं कराई थी। हमने देखा कि उद्यान प्रभारी ने निविदा शर्त का पालन न करने पर निविदाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इस प्रकार, यंत्रीकृत कृषि फार्म के पास वार्षिक उत्पादन के अभिलेख नहीं थे।

(ख) निविदा का आरक्षित मूल्य, मूल्यांकन प्रतिवेदनों एवं पिछले वर्ष की बिक्री पर आधारित होना था। समिति की अनुशंसाओं में से एक अनुशंसा के अनुसार, विभिन्न उद्यानों का उचित क्षमता प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए एवं उसका उचित विपणन किया जाना चाहिए, ताकि उच्च दरें प्राप्त की जा सकें। चूँकि यंत्रीकृत कृषि फार्म के पास पिछले वर्ष के उत्पादन के आंकड़े नहीं थे, इसलिए तैयार किये गये मूल्यांकन प्रतिवेदन केवल उत्पादन का अनुमान थे।

शासन ने कहा (जुलाई 2023) कि वर्तमान में कृषि उपज के वजन के लिए अधिकतम 150 किलोग्राम क्षमता वाली वजन मशीन स्थापित किया गया था। भविष्य की निविदाओं के उदेश्य से प्रभारी यंत्रीकृत कृषि फार्म, बाबई से उत्पादन अभिलेख मंगाया गया है।

शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया एवं सुधारात्मक कार्रवाई कर रही है।

6.7 दो पौधों के बीच अंतराल संबंधी मानदंडों का पालन न होना

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निर्धारण अनुसार दो पेड़ों के बीच उचित अंतराल रखा जाना चाहिए। इस संबंध में हमने निम्नलिखित बिन्दु देखे:

(क) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के मानदंडों के अनुसार दो अमरूद के पौधों के बीच की आदर्श दूरी 6*6 मीटर (एक एकड़ में 110 पौधे) होना चाहिए। हमने देखा कि यंत्रीकृत कृषि फार्म, बाबई में एक 25 एकड़ का उद्यान है एवं मानदंडों के अनुसार वहां 2750 अमरूद के पौधे होने चाहिए। यद्यपि, 30 सितंबर 2017 की स्थिति में बाग में केवल 1201 अमरूद के पौधे (44 प्रतिशत) थे एवं 1549 पौधों की कमी थी। इस प्रकार, यंत्रीकृत कृषि फार्म, बाबई भूमि का पूर्ण उपयोग करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप भूमि का कम उपयोग होने के साथ-साथ राजस्व की हानि हुई।

(ख) इसी प्रकार, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के मानदंडों के अनुसार दो आम के पौधों के बीच की आदर्श दूरी 10*10 मीटर (1 एकड़ में 63 पेड़) होना चाहिए। हमने देखा कि यंत्रीकृत कृषि फार्म, बाबई में 324 एकड़ भूमि में आम का उद्यान था एवं मानदंडों के अनुसार आवश्यक 20,412 आम के पेड़ों के विरूद्ध बगीचे में आम के पेड़ों की संख्या 4,400 (सितंबर 2017) थी। इस प्रकार, 16,012 पेड़ों की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप भूमि का कम उपयोग होने के साथ-साथ संभावित राजस्व की हानि हुई।

हमने देखा कि विशेषज्ञ समिति ने भी उद्यानों में खाली जगह को भरने के लिए पेड़ लगाने की अनुशंसा की थी, यद्यपि, कंपनी उचित उपाय करने में विफल रही।

शासन ने कहा (जुलाई 2023) कि संभाव्यता अनुसार बागवानी पौधे लगाने का प्रयास किया जाएगा ताकि फलोद्यान फार्म में खाली जगह का बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सके और यंत्रीकृत कृषि फार्म, बाबई का लाभ बढ़ाया जा सके।

शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया एवं सुधारात्मक कार्रवाई कर रही है।

6.8 बाबई फार्म में बागवानी विशेषज्ञ की अनुपलब्धता

स्वीकृत पदों के अनुसार, कंपनी के लिए केवल एक बागवानी विशेषज्ञ स्वीकृत है, वह भी, इसके मुख्यालय में। चूंकि यंत्रीकृत कृषि फार्म, बाबई में फलों एवं सब्जियों के उद्यान थे, इसलिए फार्म के रखरखाव के लिए विशेषज्ञ के रूप में बागवानी विशेषज्ञ की आवश्यकता थी। हमने देखा कि यंत्रीकृत कृषि फार्म का प्रमुख एक लेखा पृष्ठभूमि वाला अधिकारी था। इसके परिणामस्वरूप एक बागवानी विशेषज्ञ की बहुमूल्य तकनीकी सलाह से वंचित होना पड़ा।

शासन ने कहा (जुलाई 2023) कि आउटसोर्सिंग के आधार पर एम.एस.सी. बागवानी विशेषज्ञ की सेवाएं लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा जा रहा है।

शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया एवं सुधारात्मक कार्रवाई कर रही है।

6.9 निष्कर्ष

कंपनी निर्धारित उद्देश्यों के लिए यंत्रीकृत कृषि फार्म का उपयोग करने में विफल रही। इसके परिणामस्वरूप यंत्रीकृत कृषि फार्म का उद्देश्य ही प्राप्त नहीं हुआ। आगे, कंपनी ने कृषि गतिविधियों में बदलाव के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओ को लागू नहीं किया। 2017-22 के दौरान, यंत्रीकृत कृषि फार्म, बाबई की भूमि का उपयोग 31 से 91 प्रतिशत के बीच था जिसके परिणामस्वरूप भूमि का कम उपयोग हुआ। यंत्रीकृत कृषि फार्म, बाबई ने 2006 में एक नर्सरी विकसित की थी, लेकिन मार्च 2022 तक नर्सरी को मान्यता नहीं मिली। हमने पेड़ों एवं उद्यानों की नीलामी/निविदाओं में अनियमिततायें तथा पौधों के बीच अंतर के मानदंडों का पालन न करने के मामले देखे।

6.10 अनुशंसा

- ***मध्य प्रदेश शासन एवं कंपनी को संयुक्त रूप से निर्धारित उद्देश्यों के लिए यंत्रीकृत कृषि फार्म का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।***

अध्याय-7

राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम का कार्यान्वयन

अध्याय-7

राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम का कार्यान्वयन

7.1 परिचय

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.), भारत सरकार ने देश भर में राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एन.बी.एम.एम.पी.) लागू (वर्ष 1981-82) किया। कंपनी 1985-86 से राज्य में राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य नोडल एजेंसी थी। वर्ष 2017-18 तक, राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम को राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार लागू किया गया था और उसके बाद, 01.04.2018 से संशोधित दिशानिर्देशों यानी नए राष्ट्रीय बायोगैस एवं जैविक खाद कार्यक्रम (एन.एन.बी.ओ.एम.पी.) के अनुसार लागू किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे (i) खाना पकाने एवं अन्य घरेलू उद्देश्यों के लिए स्वच्छ ईंधन प्रदान करना, (ii) रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए जैव-उर्वरक/जैविक खाद प्रदान करना, (iii) ग्रामीण महिलाओं के कठिन परिश्रम को कम करना, (iv) जंगल पर दबाव कम करना, (v) सामाजिक लाभों पर जोर देना तथा (vi) ब्लैक कार्बन एवं मीथेन उत्सर्जन को रोककर जलवायु परिवर्तन को कम करना।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए एवं कंपनी (राज्य नोडल एजेंसी) ने किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग (राज्य नोडल विभाग) से अनुमोदन उपरांत जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किए। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने राज्य में अपने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान की। जिला स्तर के पदाधिकारियों ने संभावित लाभार्थियों की पहचान की एवं बायो-गैस संयंत्र की स्थापना के लिए कंपनी से संपर्क किया। कंपनी ने बायोगैस संयंत्र का निर्माण पूरा कराया एवं लाभार्थी के स्थल पर संयंत्र के सफल संचालन के बाद लाभार्थी को सब्सिडी हस्तांतरित की।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक शुल्क (वास्तव में निर्मित बायो-गैस संयंत्रों की संख्या के आधार पर) एवं टर्नकी कार्य शुल्क (निर्माण, पर्यवेक्षण, संयंत्रों को चालू करना तथा निर्मित संयंत्रों का पांच वर्ष के लिए नि:शुल्क संचालन एवं रखरखाव वारंटी) के रूप में कंपनी को वित्तीय सहायता प्रदान किया। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कार्यक्रम के संचार एवं प्रचार तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों (निर्माण सह रखरखाव प्रशिक्षण, टर्नकी श्रमिक एवं प्रबंधन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, कर्मचारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम) के लिए भी कंपनी को वित्तीय सहायता प्रदान की।

2017-18 से 2020-21 के दौरान, राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक उपलब्धि एवं केंद्रीय वित्तीय सहायता (टर्नकी शुल्क, प्रचार सहायता आदि सहित) **तालिका-7.1** में विस्तृत है।

तालिका 7.1: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से प्राप्त लक्ष्य, उपलब्धि एवं मांगों का विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	वर्ष	बायोगैस संयंत्रों का लक्ष्य संख्या में	बायो-गैस संयंत्र की उपलब्धि संख्या में (प्रतिशत में)	केंद्रीय सब्सिडी	प्रशा-सनिक शुल्क	टर्नकी शुल्क	शौचालय जोड़े जाने हेतु अतिरिक्त सब्सिडी	प्रशिक्षण	संपर्क एवं प्रचार	कुल
1	2017-18	8,500	5,230 (61.53)	495.66	18.31	78.45	3.37	10.41	0.88	607.08
2	2018-19	6,000	1,905 (31.75)	233.04	8.22	47.63	1.79	0	0	290.68
3	2019-20	5,800	3,614 (62.31)	443.41	12.65	90.35	1.58	4.70	0.07	552.76
4	2020-21	4,600	3,104 (67.48)	380.65	10.86	77.60	0.58	1.75	0	471.44
5	2021-22[1]	निरंक	निरंक (निरंक)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
कुल		**24,900**	**13,853**							**1921.95**

स्रोत: कंपनी से प्राप्त आँकड़े

लेखापरीक्षा के दौरान, हमने नवीन राष्ट्रीय बायोगैस एवं जैविक खाद कार्यक्रम के कार्यान्वयन में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाईं:

7.2 टर्नकी जॉब कार्य

दिशानिर्देशों में निर्माण, पर्यवेक्षण, संयंत्रों के चालू किया जाने एवं सुचारू संचालन तथा सभी स्तरों पर गुणवत्ता नियंत्रण सहित संयंत्रों के पांच वर्षों के निशुल्क संचालन एवं रखरखाव वारंटी के लिए कंपनी को टर्नकी जॉब शुल्क[2] का भुगतान करने की परिकल्पना की गई थी। टर्नकी जॉब श्रमिक को प्रत्येक वर्ष में दो बार संयंत्रों का निरीक्षण करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 49 शाखाओं में से, कंपनी ने 21 शाखाओं (2017-18 के दौरान), 18 शाखाओं (2018-19 के दौरान), 17 शाखाओं (2019-20 के दौरान) एवं 19 शाखाओं

[1] कार्यक्रम 2021-22 के दौरान लागू नहीं किया गया था।

[2] वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 1500 प्रति संयंत्र एवं 2018-19 से आगे ₹ 2500 प्रति संयंत्र

(2020-21 के दौरान) में टर्नकी श्रमिकों को नियुक्त किया तथा शेष शाखाओं में कंपनी स्वयं टर्नकी कार्य कर रही थी।

चयनित नौ शाखा कार्यालयों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि कंपनी ने 2017-18 से 2020-21 के दौरान चयनित शाखा कार्यालयों में 4,202 बायो गैस संयंत्र स्थापित किए। यद्यपि, 90 बायो गैस संयंत्रों (प्रति चयनित शाखा में 10 संयंत्र) के संयुक्त भौतिक सर्वेक्षण से पता चला कि 80 बायो गैस संयंत्रों (बालाघाट में 10 संयंत्रों को छोड़कर) के मामले में, कंपनी ने सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों या टर्नकी जॉब कार्य श्रमिकों के माध्यम से स्थापित बायो-गैस संयंत्रों का कोई निरीक्षण नहीं किया था।

हमने आगे देखा कि कंपनी ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान स्थापित बायोगैस संयंत्रों हेतु क्रमशः ₹ 78.45 लाख, ₹ 47.63 लाख, ₹ 90.35 लाख एवं ₹ 77.60 लाख के टर्नकी जॉब शुल्क का दावा किया एवं प्राप्त किया।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि कंपनी ने श्रमिकों को अनुबंध के आधार पर (टर्नकी/स्व-नियोजित) नियुक्त किया एवं जिन स्थानों पर ऐसे अनुबंधित श्रमिक उपलब्ध नहीं थे, वहां कंपनी के कर्मचारियों द्वारा काम का निरीक्षण/पर्यवेक्षण किया जा रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी के संविदा कर्मियों या कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किसी भी चयनित शाखा (बालाघाट को छोड़कर) में बायोगैस संयंत्र का निरीक्षण नहीं किया गया था। आगे विभाग ने किए गए निरीक्षणों के समर्थन में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया।

7.3 कार्यक्रम का प्रचार एवं प्रसार

कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में कंपनी द्वारा किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर संपर्क एवं प्रचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी। तदनुसार, कंपनी प्रति वर्ष अधिकतम ₹ 4 लाख तक का व्यय करने हेतु पात्र थी। यद्यपि, कंपनी ने वर्ष 2017-18 एवं 2019-20 के दौरान प्रचार के लिए क्रमशः केवल ₹ 88,385 एवं ₹ 7,000 का व्यय तथा दावा किया।

इससे पता चलता है कि कंपनी ने बायो गैस कार्यक्रम का प्रभावी ढंग से प्रचार नहीं किया। यह देखा जा सकता है कि कंपनी बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी एवं 2017-18 से 2020-21 के दौरान लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि 32 प्रतिशत से 67 प्रतिशत के मध्य रही जैसा कि **तालिका-7.1** में दिया गया है।

बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना के लक्ष्य की 100 प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी की बायो-गैस संयंत्र स्थापना के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करने हेतु युवा ग्रामीणों/सरपंचों/पंचों/

कृषि विभाग के कर्मचारियों को प्रति संयंत्र ₹ 75 प्रदान करने की नीति लंबे समय से थी। हमने देखा कि कंपनी ने पात्र प्रोत्साहनकर्ताओं के बकाये का भुगतान नहीं किया एवं मार्च 2018 के अंत में कंपनी के पास प्रोत्साहनकर्ताओं की राशि ₹ 9.21 लाख बकाया थे जो मार्च 2022 तक बढ़कर ₹ 9.88 लाख हो गई।

शासन ने टिप्पणी को स्वीकार (जुलाई 2023) किया और कहा कि शाखाओं को जल्द से जल्द भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

7.4 वारंटी कार्ड उपलब्ध नहीं कराए गए

कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक बायोगैस लाभार्थी को पांच वर्ष की नि:शुल्क वारंटी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। आगे, कंपनी को पांच वर्ष की वारंटी अवधि के दौरान बायोगैस संयंत्र के निष्क्रिय हो जाने की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने के लिए लाभार्थी को वारंटी कार्ड एवं 10 शिकायत कार्ड भी देने चाहिए। टर्नकी कार्य शुल्क का भुगतान तीन भागों में किया जाना था अर्थात संयंत्र स्थापना के समय (₹ 1500) एवं शेष (₹ 1000) का भुगतान तीसरे वर्ष और पांचवे वर्ष के अंत में सेवाओं के उचित सत्यापन के बाद दो समान किश्तों में किया जाना था। यह प्रत्येक वर्ष में दो बार संयंत्रों का निरीक्षण के शर्त पर भी था। यद्यपि, चयनित शाखाओं में संयंत्रों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान, हमने देखा कि कंपनी ने वारंटी कार्ड प्रदान नहीं किए थे। इस प्रकार, लाभार्थी आवश्यकता पड़ने पर सेवाओं से वंचित रहे।

शासन ने कहा (जुलाई 2023) कि वारंटी कार्ड शाखा कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं एवं लाभार्थियों से मोबाइल के माध्यम से भी संपर्क किया जाता है। वारंटी कार्ड उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 90 चयनित लाभार्थियों के संयुक्त सर्वेक्षण से पता चला कि किसी भी लाभार्थी को वारंटी कार्ड जारी नहीं किए गए थे।

7.5 पूर्णता प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में न होना

कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप निर्धारित किया गया था, जिसका उपयोग संयंत्र के सफल रूप से चालू करने के बाद किया जाना था एवं पूर्णता प्रमाण पत्र पर लाभार्थी के एक पड़ोसी सहित दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा हस्ताक्षर कराये जाने थे। पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद लाभार्थी को सब्सिडी जारी की जानी थी। यद्यपि, हमने देखा कि कंपनी ने पूर्णता प्रमाण पत्र के निर्धारित प्रारूप को नहीं अपनाया था एवं स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर के लिए कोई स्थान नहीं था तथा संयंत्र की विशिष्ट पहचान (संयंत्र के घटकों पर उभरी हुई) का भी प्रमाण पत्रों में उल्लेख नहीं किया गया था। विशिष्ट पहचान दोहराव/ गलत रिपोर्टिंग एवं झूठे दावों से बचने के लिए महत्वपूर्ण है।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि पूर्णता प्रमाण पत्र पर लाभार्थियों, ग्राम सरपंच, शाखा प्रबंधक, कृषि विभाग के अधिकारियों के हस्ताक्षर उपलब्ध थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी निर्धारित प्रारूप का पालन नहीं कर रही थी।

7.6 प्रशिक्षण आयोजित न होना

दिशानिर्देशों में कंपनी को निर्माण-सह-रखरखाव (सी.सी.एम.), उपयोगकर्ता पाठ्यक्रम, बायोगैस टर्नकी श्रमिक पाठ्यक्रम, कर्मचारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं कौशल विकास पाठ्यक्रम जैसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए लक्ष्य प्रदान किए गये थे। प्रशिक्षण निर्दिष्ट संस्थान (बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र-बी.डी.टी.सी.) में प्रदान किया जाना था तथा संस्थान द्वारा लिया गया प्रशिक्षण व्यय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कंपनी को निर्धारित दर[3] पर प्रतिपूर्ति योग्य था।

हमने देखा कि कंपनी ने निर्धारित संख्या में प्रशिक्षण आयोजित नहीं किए। कंपनी ने 2017-18 से 2020-21 के दौरान 197 उपयोगकर्ताओं के विरुद्ध 82 उपयोगकर्ताओं (42 प्रतिशत), चार टर्नकी श्रमिकों के विरुद्ध दो, 43 सी.सी.एम. के विरुद्ध 28 सी.सी.एम. को प्रशिक्षित किया एवं आगे दो प्रशिक्षुओं के लक्ष्य के विरूद्ध किसी भी कर्मचारी को प्रशिक्षित नहीं किया। प्रशिक्षण शुल्क नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से प्रतिपूर्ति योग्य होने के बावजूद कंपनी ने आवश्यक प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया। इस प्रकार, न केवल लाभार्थी बायो-गैस संयंत्रों के उचित उपयोग एवं लाभों से परिचित होने से वंचित रह गए बल्कि इसका असर कुशल श्रमिकों के विकास पर भी पड़ा।

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि वर्ष 2019-20 के दौरान कोविड के कारण लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ध्यान रखा जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने कोविड महामारी से पूर्व की अवधि 2017-20 के दौरान अपने प्रशिक्षण लक्ष्यों को पूरा नहीं किया था।

[3] उपयोगकर्ता पाठ्यक्रम - ₹ 4,000/- प्रति उम्मीदवार, ₹ 10,000 प्रत्येक कर्मचारी पाठ्यक्रम के लिए, ₹ 50,000 प्रत्येक सी.सी.एम.के लिए और ₹ 75,000 प्रत्येक टर्नकी श्रमिकों के लिए एवं प्रबंधन पाठ्यक्रम/कौशल विकास टी.के.डब्ल्यू./ आर.ई.टी./ एस.एच.जी./ एस.एन.डी. के अधिकारी के लिए।

7.7 संयुक्त भौतिक सत्यापन

हमने कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ नौ[4] चयनित शाखाओं में यादृच्छिक रूप से चयनित 90 बायोगैस संयंत्रों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया। हमने संयुक्त भौतिक सत्यापन में निम्नलिखित विसंगतियाँ देखीं:

क) हमने देखा कि सात शाखाओं (बालाघाट और भोपाल शाखाओं को छोड़कर) में गैस पाइप की चोरी, पानी की कमी, स्टोव न मिलने आदि के कारण 90 में से 23 संयंत्र निष्क्रिय स्थिति में थे। हमने आगे इन 23 गैर-कार्यात्मक संयंत्रों में निम्नलिखित विसंगतियाँ देखीं:

i) सागर शाखा कार्यालय के एक लाभार्थी[5] के संयंत्र के संबंध में पूर्णता प्रमाण पत्र 01.05.2021 को जारी किया गया था। यद्यपि, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान सयंत्र का निर्माण अधूरा पाया गया।

ii) एक लाभार्थी[6] बायोगैस संयंत्र का उपयोग नहीं कर रहा था एवं संरचना को शौचालय में बदल दिया था। यह दर्शाता है कि कंपनी न तो समय पर निरीक्षण कर रही थी और न ही जागरूकता फैलाने के लिए उचित कदम उठा रही थी।

ख) दिशानिर्देशों के अनुसार, पात्र लाभार्थी को सब्सिडी का भुगतान बायोगैस संयंत्र के चालू होने एवं पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के तुरंत बाद किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कटनी और डिंडोरी शाखाओं के क्रमशः तीन[7] लाभार्थियों एवं एक[8] लाभार्थी के संयंत्र के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र 14.07.2021, 04.06.2021, 10.07.2021 एवं 04.11.2019 को जारी किए गए थे। यद्यपि, लाभार्थियों को आज दिनांक (दिसंबर 2022) तक सब्सिडी राशि नहीं प्राप्त हुई थी।

ग) भोपाल शाखा के 10 चयनित लाभार्थियों में से:

i) शाखा कार्यालयों ने तीन[9] बायोगैस संयंत्रों के लिए सब्सिडी प्रदान की जिनके पूर्णता प्रमाण पत्र उप निदेशक, कृषि एवं कंपनी के शाखा प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थे। यद्यपि, इन सभी मामलों में सब्सिडी का भुगतान संबंधित लाभार्थियों को किया गया था। यह

---

[4] ब्यावरा, पन्ना, विदिशा, बालाघाट, छतरपुर, डिंडोरी, कटनी, भोपाल एवं सागर

[5] श्री देशराज लोधी- वर्ष 2020-21 के मास्टर बायो गैस रजिस्टर के सरल क्रमांक 12 पर (सागर शाखा के अंतर्गत)

[6] श्रीमती भगवती बाई अहिरवार मास्टर बायो गैस रजिस्टर (2017-18) के सरल क्रमांक 29 पर, विदिशा शाखा

[7] श्री अर्जुन सिंह लोधी, श्री जवाहर लाल लोधी एवं श्रीमती जयंती बाई- कटनी शाखा के 2020-21 के मास्टर बायो गैस रजिस्टर के सरल क्रमांक 6, 7 और 8 पर

[8] श्री धनिया सिंह, वर्ष 2018-19 के मास्टर बायो गैस रजिस्टर के सरल क्रमांक 03 पर (डिंडोरी शाखा)

[9] श्री मोहर सिंह मीना (2019-20), श्री प्रीतम सिंह (2019-20) एवं श्री छगन लाल (2020-21)

दर्शाता है कि कंपनी बायो-गैस संयंत्र की पूर्णता को सुनिश्चित किए बिना सब्सिडी जारी कर रही थी।

ii) चार[10] बायो-गैस संयंत्रों के संबंध में, शाखा प्रबंधक, भोपाल ने पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। तथापि, बायो गैस संयंत्र पूर्ण हो चुके थे एवं सब्सिडी जारी हो चुकी थी, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि सब्सिडी कार्य पूरा होने से पहले या बाद में प्रदान की गई थी।

घ) कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार, दोहराव/ गलत रिपोर्टिंग एवं झूठे तथा नकली दावों से बचने के लिए प्रत्येक संयंत्र को विशिष्ट पहचान संख्या देकर क्रमबद्ध किया जाना चाहिए एवं इस विशिष्ट पहचान को मुख्य बायोगैस पंजी में भी दर्ज किया जाना चाहिए। यद्यपि, हमने देखा कि निरीक्षण किए गए 90 संयत्रों में से किसी को भी विशिष्ट पहचान के साथ चिह्नित नहीं किया गया था।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया एवं कहा (जुलाई 2023) कि सभी संयंत्रों को कार्यात्मक बनाने के लिए सभी शाखा प्रबंधकों एवं क्षेत्रीय प्रबंधकों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

7.8 निष्कर्ष

कंपनी ने बायो गैस संयंत्रों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित नहीं किया जिसके कारण संयंत्र बंद पड़े रहे। आगे, कंपनी कार्यक्रम का उचित प्रचार करने में भी उदासीन थी जिसके परिणामस्वरूप 2017-21 के दौरान लक्ष्य प्राप्त करने (33 से 68 प्रतिशत के बीच) एवं संबंधितों को प्रशिक्षित करने में कमी हुई।

7.9 अनुशंसा

- ***मध्य प्रदेश शासन एवं कंपनी को संयुक्त रूप से बायो गैस संयंत्रों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करना चाहिए एवं नए राष्ट्रीय बायोगैस तथा जैविक खाद कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार करने हेतु आवश्यक प्रयास करना चाहिये।***

[10] श्री बापू लाल विश्वकर्मा, 2017-18, श्री भगवान सिंह, 2017-18, श्री ओमनारायण, 2017-18 एवं रेशमा बाई, 2017-18

अध्याय-8

जैव उर्वरक संयंत्र का प्रदर्शन

अध्याय-8

जैव उर्वरक संयंत्र का प्रदर्शन

8.1 परिचय

कंपनी के पास इंद्रपुरी, भोपाल में एक जैव उर्वरक संयंत्र (बी.एफ.पी.) है। जैव उर्वरक संयंत्र 1987 से प्रतिवर्ष 1000 मीट्रिक टन पाउडर आधारित जैव उर्वरक का उत्पादन करने की क्षमता के साथ कार्य कर रहा था। जैव उर्वरक संयंत्र मरम्मत/उन्नयन कार्य के कारण जनवरी 2020 से अगस्त 2022 के दौरान बंद रहा।

8.2 उत्पादन में गिरावट

जैव उर्वरक संयंत्र की क्षमता प्रतिवर्ष 1000 मीट्रिक टन पाउडर आधारित जैव उर्वरक का उत्पादन करने की थी। यद्यपि, 2015-16 से 2019-20 के दौरान संयंत्र ने 125.08 मीट्रिक टन से 395.91 मीट्रिक टन के बीच जैव उर्वरक का उत्पादन किया जैसा कि **तालिका-8.1** में विस्तृत है।

तालिका 8.1: संयंत्र के उत्पादन, बिक्री एवं शुद्ध लाभ/हानि का विवरण

स. क्र.	वित्तीय वर्ष	उत्पादन (पाउडर आधारित जैव उर्वरक) (मीट्रिक टन में)	प्रेषण/बिक्री (पाउडर आधारित जैव उर्वरक) (मीट्रिक टन में)	सकल बिक्री/ प्रेषण मूल्य (₹ लाख में)	पदस्थ अमला	वेतन एवं भत्ते पर व्यय (₹ लाख में)	शुद्ध लाभ या हानि (-) (₹ लाख में)
1	2015-16	395.91	354.92	197.96	उपलब्ध नहीं	91.09	22.32
2	2016-17	255.64	269.26	145.17	उपलब्ध नहीं	80.10	(-)6.81
3	2017-18	133.79	139.53	78.80	14	75.62	(-)32.07
4	2018-19	127.99	122.07	66.33	16	94.14	(-)62.88
5	2019-20	125.08	117	64.12	13	99.28	(-)71.47
6	2020-21	0	0	0.21	12	96.75	(-)114.56
7	2021-22	0	0	0	10	88.64	(-)103.40

स्रोत: कंपनी के अभिलेखों/टैली/ई.आर.पी. सॉफ्टवेयर से लिए गये आँकड़े

तालिका से यह देखा जा सकता है कि बिक्री में गिरावट के कारण संयंत्र 2016-17 से 2019-20 के दौरान घाटे में चल रहा था। इसके बाद, कंपनी ने तरल आधारित जैव-उर्वरक का उत्पादन

करने के लिए संयंत्र की मरम्मत एवं उन्नयन हेतु संयंत्र को बंद करने का निर्णय (सितंबर 2019) लिया।

8.2.1 संयंत्र के उन्नयन हेतु निर्णय लेने में विलंब

पाउडर आधारित जैव उर्वरकों की लोकप्रियता में गिरावट को देखते हुए, कंपनी ने पाउडर आधारित जैव उर्वरकों के उत्पादन से तरल आधारित जैव उर्वरक की ओर बदलाव करने का निर्णय (सितंबर 2019) लिया। तथापि जैव उर्वरक संयंत्र से 2015-20 के दौरान 125.08 मीट्रिक टन से 395.91 मीट्रिक टन (क्षमता का 12.50 प्रतिशत से 39.59 प्रतिशत) तक जैव उर्वरक का उत्पादन हुआ एवं 2016-17 से घाटे में भी चल रहा था, कंपनी को जैव उर्वरक संयंत्र को पाउडर आधारित से तरल आधारित जैव उर्वरक तक जैव उर्वरक संयंत्र में उन्नत करने का निर्णय लेने में तीन वर्ष लग गए।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि 2016 से सरकारी संगठनों/विश्वविद्यालयों आदि से सलाहकार खोजने का प्रयास किया गया। यद्यपि, संयंत्र द्वारा मांग के अनुसार उत्पादन किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उन्नयन का निर्णय लेने में तीन से पांच वर्षों की देरी के लिए बताया गया कारण संतोषजनक नहीं है।

8.2.2 मरम्मत/उन्नयन कार्य में विलंब

संयंत्र प्रभारी, जैव उर्वरक संयंत्र ने प्रबंधन से जीर्ण-शीर्ण जैव उर्वरक संयंत्र भवन एवं कर्मचारी आवास की मरम्मत कराने का अनुरोध (जून 2016) किया तथा दो अनुस्मारक[1] भी भेजे। कंपनी ने जैव उर्वरक संयंत्र में आवश्यक नवीकरण, मरम्मत एवं रखरखाव कार्य के लागत अनुमान प्रदान करने के लिए लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.), भोपाल को एक पत्र लिखा (जुलाई 2016)। लोक निर्माण विभाग ने मरम्मत एवं रखरखाव कार्य के लिए ₹ 214.54 लाख की अनुमानित लागत उद्धृत (मई एवं अक्टूबर 2017 के बीच) की। हमने देखा कि कंपनी ने दो साल की देरी के बाद मामला निर्देशक मंडल को प्रस्तुत (जून 2019) किया। कंपनी ने उपरोक्त कार्य के लिए राजधानी परियोजना प्रशासन, भोपाल (सी.पी.ए.) से भी मौखिक रूप से अनुमान मांगा। राजधानी परियोजना प्रशासन ने कंपनी को कार्य के लिए ₹ 197.19 लाख का अनुमान सूचित (नवंबर 2019) किया। निर्देशक मंडल ने उपरोक्त कार्य को राजधानी परियोजना प्रशासन के माध्यम से कराने का निर्णय (दिसंबर 2019) लिया। राजधानी परियोजना प्रशासन ने एक ठेकेदार[2] के साथ अनुबंध किया जिसने सितंबर 2020 में कार्य शुरू किया एवं कार्य छ: महीने में

[1] जैव उर्वरक संयंत्र के मरम्मत कार्य हेतु दिनांक 06.08.2016 एवं 26.04.2019 को

[2] मेसर्स आर.के. कंस्ट्रक्शन

(मार्च 2021 तक) पूर्ण किया जाना था। यद्यपि, कार्य की धीमी प्रगति के कारण कार्य निर्धारित समय सीमा यानी मार्च 2021 तक पूरा नहीं हो सका।

कंपनी ने मरम्मत एवं रखरखाव कार्य की पूर्णता सुनिश्चित किए बिना तरल जैव उर्वरक के उत्पादन के लिए संयंत्र के रूपांतरण हेतु मशीनरी की खरीद के लिए निविदा आमंत्रित (जनवरी 2020 और जून 2020) की। आपूर्तिकर्ता फर्म ने जैव उर्वरक संयंत्र को आवश्यक मशीनरी की आपूर्ति (अगस्त 2020 एवं अगस्त 2021) की। इस प्रकार, अगस्त 2021 तक सभी मशीनें जैव उर्वरक संयंत्र में प्राप्त हो गईं थीं, लेकिन स्थापित नहीं की जा सकीं क्योंकि संयंत्र की मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य प्रगतिरत था। ये मशीनें अंततः मार्च 2022 में स्थापित की गईं लेकिन अगस्त 2022 तक चालू नहीं की गईं। संयंत्र ने प्रायोगिक आधार पर 14.09.2022 से तरल जैव उर्वरक का उत्पादन शुरू किया।

इस प्रकार, निर्णय लेने में देरी के परिणामस्वरूप मरम्मत एवं रखरखाव कार्य शुरू होने में चार वर्ष की देरी हुई एवं इसके अलावा नई मशीनरी एक वर्ष तक बेकार पड़ी रही।

शासन ने कहा (जुलाई 2023) कि न्यूनतम कीमत पर काम सुनिश्चित करने के लिए सिविल कार्य का अनुमान लोक निर्माण विभाग के साथ-साथ राजधानी परियोजना प्रशासन से भी लिया गया था। राजधानी परियोजना प्रशासन ने सबसे कम कीमत उद्धत की जिससे ₹ 17.35 लाख की बचत हुई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी को राजधानी परियोजना प्रशासन से दरें लेने में दो वर्ष लग गए।

8.3 निष्कर्ष

बिक्री में गिरावट के कारण 2016-17 से 2019-20 के दौरान संयंत्र घाटे में चल रहा था। कंपनी को जैव उर्वरक संयंत्र को पाउडर आधारित से तरल आधारित जैव उर्वरक में उन्नत करने का निर्णय लेने में तीन वर्ष लग गए। आगे, कंपनी ने मरम्मत/रखरखाव कार्य में भी देरी की। जिसके परिणामस्वरूप नई मशीनरी एक वर्ष तक निस्प्रयोगी पड़ी रही।

8.4 अनुशंसा

- ***मध्य प्रदेश शासन एवं कंपनी को संयुक्त रूप से संयंत्र के प्रभावी रूप से कार्यरत होना सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से समीक्षा करनी चाहिए।***

अध्याय-9

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

अध्याय-9

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

9.1 परिचय

आंतरिक नियंत्रण एक कंपनी द्वारा धोखाधड़ी को रोकने, जवाबदेही को बढ़ावा देने एवं वित्तीय ऑकड़ों की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए लागू की जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रियाएँ हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रत्येक कंपनी के लिए विशिष्ट होते हैं तथा कंपनी के आकार एवं संरचना के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। प्रभावी एवं कुशल आंतरिक नियंत्रण का उद्देश्य कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करना तथा कंपनी के हितों की रक्षा करना है। आंतरिक नियंत्रण न केवल कंपनी के जोखिमों का पता लगाते हैं बल्कि अनावश्यक लागत या प्रयास को भी कम करते हैं। हमने कंपनी में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कमी का संकेत देने वाली कमियाँ देखीं जैसा कि अगली कंडिकाओं में विस्तृत है।

9.2 आपूर्ति की निगरानी के लिए प्रणाली न होना

कंपनी के दर अनुबंध प्रस्ताव दस्तावेज़ में प्रावधान है कि लाभार्थी विभाग से मांग प्राप्त होने पर, शाखा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्य कार्यालय को मांग भेजेगी। क्षेत्रीय कार्यालय चयनित आपूर्तिकर्ता को क्रय आदेश जारी करेगा।

कंपनी के अभिलेखों की जांच से पता चला कि कंपनी ने समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की गयी आपूर्ति की निगरानी के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी नहीं किए। क्षेत्रीय कार्यालयों (संभाग स्तर पर) ने क्रय आदेश जारी किये, जबकि आपूर्तिकर्ताओं ने शाखा कार्यालय (जिला स्तर पर) या सीधे लाभार्थियों को सामग्री की आपूर्ति की। क्रय आदेश जारी करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों के पास आदेशित की गई सामग्री की समय पर आपूर्ति की निगरानी के लिए स्थापित प्रणाली नहीं थी। हमने देखा कि 15 मामलों में, विभाग ने आपूर्ति में देरी के कारण क्रय आदेश रद्द किये थे (**कंडिका 3.7** में चर्चा की गई है)। इस प्रकार, कंपनी ने सामग्री की समय पर आपूर्ति की निगरानी के लिए प्रभावी प्रणाली नहीं बनाई।

शासन ने कहा (जुलाई 2023) कि क्षेत्रीय प्रबंधकों को समय पर आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया था। किसी भी देरी की स्थिति में उन्हें आपूर्तिकर्ता बदलने का भी अधिकार है।

उत्तर सामान्य है क्योंकि पूर्व में आपूर्ति में देरी होने के बावजूद भी कंपनी ने सामग्री की समय पर आपूर्ति की निगरानी के लिए कोई कार्यप्रणाली निर्धारित नहीं की।

9.3 दोषपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

कंपनी के पास आंतरिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र, रिपोर्टिंग एवं निष्कर्षों पर की गयी कार्यवाही को विनियमित करने के लिए कोई नियमावली नहीं थी। हमने देखा कि शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखापरीक्षा के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षक के निष्कर्ष प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत नहीं किए जा रहे थे बल्कि निष्कर्ष केवल वित्त अनुभाग के प्रमुख के पास थे। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की टिप्पणियों के अनुपालन एवं प्रभावी निगरानी के लिए प्रबंध निदेशक को निष्कर्ष प्रस्तुत न करना आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली के महत्व को कम करता है।

शासन ने कहा (जुलाई 2023) कि गंभीर प्रकृति के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रबंध निदेशक एवं कभी-कभी निदेशक मंडल के समक्ष भी रखा जाता था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के सत्यापन के लिए उत्तर के साथ कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं किये गए है।

9.4 कॉर्पोरेट गवर्नेंस

कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ-साथ कंपनी नियम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है। इस संबंध में जो कमियाँ देखी गईं वे इस प्रकार हैं:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) सहपठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 का नियम 5 प्रदान करता है कि यदि किसी कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी ₹ 10 करोड़ से अधिक है या टर्नओवर ₹ 100 करोड़ से अधिक है या अदत्त ऋण, ऋणपत्र एवं जमा ₹ 50 करोड़ से अधिक है तो उसे एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करना चाहिए। कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए थे क्योंकि समीक्षा अवधि के दौरान उसका कारोबार ₹ 100 करोड़ से अधिक था। यद्यपि, हमने देखा कि कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक नहीं था। आगे, इसके कारण, कंपनी के पास कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी कमेटी में अनिवार्य स्वतंत्र निदेशक नहीं था।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) सहपठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम 2014 का नियम 3 प्रदान करता है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी एवं प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कंपनी जिसका प्रदत्त अंश पूंजी ₹ 100 करोड़ या अधिक है; या टर्नओवर ₹ 300 करोड़ या उससे अधिक है के निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति करनी चाहिए। समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी का टर्नओवर ₹ 300 करोड़ से अधिक रहा। यद्यपि, इसके निदेशक मंडल में अपेक्षित महिला निदेशक नहीं थी।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(1) में परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निदेशक मंडल की कम से कम चार बैठकें आयोजित करनी चाहिए।

यद्यपि, 2017-22 के दौरान, कंपनी ने आवश्यक 20 बैठकों के विरूद्ध निदेशक मंडल की 15 बैठकें आयोजित कीं। निदेशक मंडल के बैठकों में कमी के कारण संयुक्त उद्यम से बाहर निकलने, व्यावसायिक गतिविधियों की समय पर समीक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने में देरी हुई, जिससे अंततः कंपनी को आर्थिक नुकसान हुआ।

कम संख्या में निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित करने पर टिप्पणी का जवाब देते हुए, शासन ने कहा (जुलाई 2023) कि कोविड-19 एवं कुछ अन्य व्यवधानों के कारण, निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित करने के स्थान पर सर्कुलर एजेंडे के माध्यम से निर्णय लिए गए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने आवश्यक बैठकें आयोजित न करके अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन किया। आगे, इसने 2018-19 एवं 2021-22 के दौरान निदेशक मंडल की केवल क्रमशः तीन एवं दो बैठकें आयोजित कीं जबकि उस समय कोविड-19 नहीं था।

9.5 त्रुटिपूर्ण भौतिक सत्यापन

कंपनी ने 2017-22 के दौरान अन्य शाखा के अधिकारी द्वारा शाखाओं का भौतिक सत्यापन करने के लिए आदेश (मई 2018, मार्च 2019, सितंबर 2020, मार्च 2021 एवं मार्च 2022) जारी किए। आदेश के अनुसार भौतिक सत्यापन 20.05.2018 (2017-18 के लिए), 15.04.2019 (2018-19 के लिए), 30.09.2020 (2019-20 के लिए), 15.04.2021 (2020-21 के लिए) एवं 15.04.2022 (2021-22 के लिए) तक पूरा किया जाना था। हमने देखा कि कंपनी ने वित्तीय वर्षों 2017-18 एवं 2019-20 हेतु भौतिक सत्यापन के आदेश दो से छः महीने की देरी से जारी किए जिसके कारण भौतिक सत्यापन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। हमने देखा कि शाखाओं का भौतिक सत्यापन 259 दिनों की देरी से किया गया था। आगे, विदिशा शाखा में अधिकारियों[1] ने वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए भौतिक सत्यापन उसी महीने में यानी जून 2021 में किया तथापि आदेश छः माह के अंतराल पर जारी किए गए थे जिससे भौतिक सत्यापन निरर्थक हो गया। आगे, वर्ष 2021-22 के लिए विदिशा शाखा का भौतिक सत्यापन फरवरी 2023 तक नहीं किया गया था। हमने आगे देखा कि भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में नियमित रूप से शाखाओं के पास पड़े पुराने अप्रयुक्त भंडार के निपटान के मुद्दे को इंगित किया गया। यद्यपि, कंपनी ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की जिससे भौतिक सत्यापन का उद्देश्य ही विफल हो गया।

शासन ने कहा (जुलाई 2023) कि पुराने भंडार के त्वरित निपटान के लिए, हम नियमित आधार पर भौतिक सत्यापन कर रहे थे एवं प्रतिवेदन के आधार पर समयबद्ध तरीके से निर्णय लिए गए परन्तु कोविड-19 के कारण कुछ सत्यापन में देरी हुई।

[1] भौतिक सत्यापन करने के लिए नामित

उत्तर सामान्य है क्योंकि कंपनी ने दो से छ: महीने की देरी से भौतिक सत्यापन करने का आदेश जारी किया एवं कंपनी ने पुराने अप्रयुक्त भंडार पर सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की।

9.6 मानव संसाधन प्रबंधन

प्रशासनिक विभाग अर्थात उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने कंपनी के लिए विभिन्न संवर्ग के 836 पदों सहित संगठनात्मक संरचना की स्वीकृति (दिसंबर 2008) दी थी। कंपनी के मानव संसाधन प्रबंधन की जांच से पता चला कि कंपनी में अधिकारियों/ कर्मचारियों की भारी कमी थी। हमने देखा कि नवंबर 2022 की स्थिति में, कंपनी के पास 836 अधिकारियों/ कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या के विरूद्ध 246[2] अधिकारी/कर्मचारी (29.43 प्रतिशत) थे, जैसा कि **तालिका-9.1** में विस्तृत है।

तालिका-9.1: स्वीकृत संख्या, कार्यरत स्थिति एवं कमी की स्थिति (नवंबर 2022 तक)

(संख्या में)

स. क्र.	श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत स्थिति	अधिकारी/कर्मचारी की कमी (प्रतिशत में)
1	प्रथम श्रेणी	56	11	45 (80.36)
2	द्वितीय श्रेणी	72	09	63 (87.50)
3	तृतीय श्रेणी	528	153	375 (71.02)
4	चतुर्थ श्रेणी	180	73	107 (59.44)
कुल		**836**	**246[3]**	**590 (70.57)**

स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑकड़ें

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि कंपनी में सभी संवर्गों में 59 प्रतिशत से 87 प्रतिशत के बीच मानव संसाधन की भारी कमी थी। हमने देखा कि कर्मचारियों की कमी के कारण, कंपनी को बालाघाट शाखा में अपने उर्वरक बिक्री केंद्र को बंद करना पड़ा एवं विभिन्न स्तरों पर कई अन्य कर्मचारियों के पास अन्य पदों/कार्यालयों का अतिरिक्त प्रभार था।

चयनित नौ शाखाओं में मानव संसाधन की तैनाती के आगे के विश्लेषण में दो से 10 कर्मचारियों के मध्य मानव संसाधन की कमी का पता चला। हमने ऐसे मामले भी देखे कि कर्मचारियों के पास अन्य कार्यालयों/पदों का अतिरिक्त प्रभार था। विवरण **तालिका 9.2** में दिया गया है।

---

[2] 224 नियमित कर्मचारी, 3 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर एवं 19 कर्मचारी अनुबंध के आधार पर (कुल 246 कर्मचारी)। आगे, कर्मचारियों की कमी को देखते हुए, कंपनी ने 88 कर्मचारियों को आउटसोर्स किया।

[3] आगे, कंपनी के पास 88 आउटसोर्स कर्मचारी भी थे।

तालिका 9.2: चयनित नौ शाखाओं में स्वीकृत संख्या एवं कर्मचारियों की तैनाती की स्थिति

स. क्र.	शाखा का नाम	कुल स्वीकृत संख्या	31.03.2022 तक कुल तैनाती	कमी	कर्मचारी जिनके पास अन्य इकाई का अतिरिक्त प्रभार था
1	भोपाल	16	12	4	1
2	व्यावरा	16	6	10	0
3	विदिशा	13	6	7	0
4	बालाघाट	8	5	3	1
5	सागर	8	5	3	1
6	पन्ना	8	5	3	0
7	कटनी	8	3	5	1
8	छतरपुर	8	6	2	0
9	डिंडोरी	8	2	6	1

स्रोत: इकाई की कुल स्वीकृत संख्या की गणना कंपनी द्वारा 2019 में किए गए इकाइयों के वर्गीकरण (प्रशासनिक विभाग के आदेश दिनांक 15-12-2008) के आधार पर की गई है।

हमने देखा कि प्रबंध संचालक ने निदेशक मंडल की बैठक[4] (सितंबर 2019) में कर्मचारियों की कमी का मुद्दा रखा। निदेशक मंडल ने विभिन्न संवर्गों के 76 अधिकारियों को नियुक्त करने एवं मामले को मध्य प्रदेश शासन के संज्ञान में लाने का निर्णय लिया। आगे की कार्रवाई के लिए प्रबंध निदेशक को अधिकृत किया गया। हमने आगे देखा कि कंपनी के पास अनुमोदित सेवा नियम नहीं थे एवं निदेशक मंडल के निर्णय के 20 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद, कंपनी ने अनुमोदन के लिए प्रशासनिक विभाग को प्रारूप सेवा नियम भेजे (जुलाई 2021)। विभाग ने प्रारूप नियम में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया एवं प्रबंधन ने संशोधित नियमों को अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल (24.03.2022 को आयोजित 194वीं बैठक में) को प्रस्तुत किया तथा संशोधित नियमों को प्रशासनिक विभाग को भेजा (सितंबर 2022)। प्रशासनिक विभाग ने दिसंबर 2022 में नियमों को स्वीकृति दी। कर्मियों की भर्ती के लिए आगे के कदम अभी उठाए जाने शेष थे (दिसंबर 2022)। इस प्रकार, अधिकारियों/कर्मचारियों की भारी कमी के बावजूद एवं निदेशक मंडल के निर्णय (सितंबर 2019) के तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी, कंपनी अभी भी 76 अधिकारियों की भर्ती करने की प्रक्रिया में है जो कंपनी में दोषपूर्ण मानव संसाधन प्रबंधन को दर्शाता है।

शासन ने टिप्पणी को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि प्रशासनिक विभाग से सेवा नियमों के अनुमोदन उपरांत भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

[4] निदेशक मंडल की 188 वीं बैठक (27 सितंबर 2019 को आयोजित)

9.7 निष्कर्ष

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली दोषपूर्ण थी क्योंकि कंपनी ने सामग्री की समय पर आपूर्ति की निगरानी के लिए प्रभावी प्रणाली नहीं बनाई थी जिसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति नहीं की गई एवं आपूर्ति में देरी हुई। कंपनी के पास आंतरिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र, रिपोर्टिंग एवं निष्कर्षों पर की गयी कार्यवाही को विनियमित करने के लिए कोई नियमावली नहीं थी। शाखाओं के लेखापरीक्षा पर आंतरिक लेखापरीक्षक के महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रभावी निगरानी एवं अनुपालन के लिए प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार, कंपनी ने आंतरिक लेखापरीक्षा के महत्व को कम किया। मध्य प्रदेश शासन ने निदेशक मंडल/कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी कमेटी में स्वतंत्र निदेशक, निदेशक मंडल में महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की एवं आवश्यक निदेशक मंडल बैठकें सुनिश्चित नहीं की जिसके परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ। कंपनी ने भौतिक सत्यापन की टिप्पणियों पर सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की जिससे भौतिक सत्यापन का मूल उद्देश्य विफल रहा। आगे, कंपनी के सभी संवर्गों में 59 प्रतिशत से 87 प्रतिशत के बीच अधिकारियों/ कर्मचारियों की भारी कमी थी। भारी कमी एवं 76 अधिकारियों की नियुक्ति के निदेशक मंडल के निर्णय के तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद, कंपनी अभी भी भर्ती करने की प्रक्रिया में है जो कंपनी में दोषपूर्ण मानव संसाधन प्रबंधन को दर्शाता है।

9.8 अनुशंसा

- ***मध्य प्रदेश शासन एवं कंपनी को संयुक्त रूप से उपार्जन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए एवं निदेशक मंडल की नियमित बैठकें सुनिश्चित करनी चाहिए।***

अध्याय-10

निष्कर्ष

अध्याय-10

निष्कर्ष

कंपनी की स्थापना (मार्च 1969) ऐसी परियोजनाओं, योजनाओं, उद्योगों, व्यवसाय एवं गतिविधियों को बढ़ावा देने, विकसित करने, स्थापित करने, निष्पादित करने एवं संचालित करने के उद्देश्यों से की गयी थी जो कृषि उत्पादन में तेजी लाने एवं बढ़ाने, सहायक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में योगदान करने, खाद्य आपूर्ति की उपलब्धता बढ़ाने तथा राज्य के कृषि औद्योगिक विकास में योगदान करते हैं। यद्यपि, कंपनी ने गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन एवं वितरण तथा कृषकों के लिए नवीनतम कृषि मशीनरी/उपकरणों एवं कृषि पद्धतियों के प्रदर्शन के लिए यंत्रीकृत कृषि फार्म (एम.ए.एफ.) का उपयोग नहीं किया। आगे, कंपनी ने पूरक खाद्य उत्पादों के उत्पादन एवं बाजार में आपूर्ति की संभावनाओं की खोज नहीं की। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने खाद्य आपूर्ति की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कृषि-रसद एवं कोल्ड स्टोरेज/गोदामों के विकास के लिए गतिविधियां/पहल नहीं कीं। कंपनी राज्य के कृषि-औद्योगिक विकास में योगदान देने में भी विफल रही क्योंकि कंपनी ने 2017-22 के दौरान कृषि उत्पादन में तेजी लाने/बढ़ावा देने या राज्य के कृषि-औद्योगिक विकास में योगदान देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

विभिन्न वस्तुओं के उपार्जन के लिए जारी दर अनुबंध प्रस्तावों की जांच से पता चला कि कंपनी ने मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 का उल्लंघन करते हुए पानी के टैंकरों (मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के लिए आरक्षित वस्तु) का कारोबार किया। कंपनी ने पूर्व निर्मित बस शेल्टर, जिम उपकरण, स्वागत द्वार आदि जैसी वस्तुओं का व्यापार किया जो कंपनी के उद्देश्यों से बिल्कुल भी संबंधित नहीं थे। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर की आपूर्ति के बदले कमीशन नहीं मिलने के कारण कंपनी को ₹ 11.79 करोड़ का नुकसान हुआ। आगे, कंपनी ने उन आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 1.22 करोड़ के पानी के टैंकर खरीदे जिनके पास अनुमोदित डिजाइन के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं थे। कंपनी ने दर अनुबंध प्रस्ताव के शर्तों का उल्लंघन करते हुए एक ही व्यक्ति (एक मामले में फर्म का मालिक एवं दूसरे में एक भागीदार) की दो फर्में पंजीकृत कीं। इन दोनों फर्मों ने ₹ 3.68 करोड़ मूल्य के पानी के टैंकरों की आपूर्ति की। हमने एक निरस्त किए गए आदेश के विरुद्ध ₹ 13.84 लाख के अनियमित भुगतान, तथा क्रय आदेश जारी होने से पहले वस्तुओं की आपूर्ति के मामले देखे। गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में कमियों के कारण, अपेक्षित विशिष्टताओं की वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित/पुष्टि नहीं की जा सकी। कंपनी के पास गुणवत्ता मापदण्ड को सत्यापित करने के लिए तंत्र नहीं था।

कंपनी का वित्तीय प्रबंधन एवं परिचालन प्रदर्शन अच्छा नहीं था क्योंकि 2015-20 के दौरान कंपनी का परिचालन लाभ लगातार कम हो रहा था तथा कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 17.36 करोड़ का परिचालन घाटा हुआ। आगे, 2011-20 के दौरान परिचालन मार्जिन अनुपात, इक्विटी पर रिटर्न अनुपात एवं कुल संपत्ति पर रिटर्न अनुपात में भी गिरावट आई जो

परिचालन अकुशलता को दर्शाता है। कंपनी के प्रबंधन ने सामान्य तरीके से निधियों का निवेश किया परिणामस्वरूप सावधि जमाओं पर ₹ 1.17 करोड़ के ब्याज का नुकसान हुआ। कंपनी ने तीन संयुक्त उद्यम कंपनियों के मूल्यांकन के लिए गलत मूल्यांकन पद्धति अपनाई जिसके कारण ₹ 1.59 करोड़ का नुकसान हुआ। आगे, कंपनी ने 2012-13 के दौरान शासकीय विभागों से अग्रिम/सब्सिडी के रूप में प्राप्त ₹ 5.60 करोड़ की निधि को लगभग 10 वर्षों तक निष्क्रिय रखा। पांच से 29 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी लाभार्थियों को ₹ 3.35 करोड़ की बायो गैस सब्सिडी वितरित नहीं की गई। कंपनी ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए योजना निधि में ₹ 49.43 लाख की ब्याज राशि का लेखांकन नहीं किया। इसके अलावा, कंपनी ₹ 1.72 करोड़ के आयकर की बचत करने के लिए लाभकारी विकल्प का चयन करने में विफल रही।

पर्यवेक्षण शुल्क के लिए स्पष्ट निबंधन एवं शर्तों सहित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एस.आर.एल.एम.) के साथ समझौता ज्ञापन/अनुबंध निष्पादित करने में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 32.38 करोड़ के पर्यवेक्षण शुल्क की वसूली नहीं हुई। सितंबर 2020 से भुगतान लंबित होने के बावजूद कंपनी ने रेडी-टू-ईट उत्पादों की आपूर्ति जारी रखी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.14 करोड़ अवरूद्ध रहा। आगे, कंपनी के पास अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों से कम से कम 30 प्रतिशत वस्तुओं की खरीद सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी जैसा कि रेडी-टू-ईट उत्पादों के लिए कच्चे माल की खरीद हेतु निविदा में परिकल्पित था।

कंपनी निर्धारित उद्देश्यों के लिए यंत्रीकृत कृषि फार्म का उपयोग करने में विफल रही। इसके परिणामस्वरूप यंत्रीकृत कृषि फार्म का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। आगे, कंपनी ने फार्म गतिविधियों में बदलाव के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं को लागू नहीं किया। 2017-22 के दौरान, यंत्रीकृत कृषि फार्म, बाबई की भूमि का उपयोग 31 से 91 प्रतिशत के बीच था परिणामस्वरूप भूमि का कम उपयोग हुआ। कंपनी यंत्रीकृत कृषि फार्म, बाबई में विकसित नर्सरी की राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से मान्यता सुनिश्चित नहीं कर सकी। हमने पेड़ों एवं उद्यानों की नीलामी/निविदा में अनियमितताएं तथा पौधों के बीच दूरी के मानदंडों का पालन ना करने के मामले देखे।

कंपनी ने बायो गैस संयंत्रों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र बंद पड़े रहे। बायो गैस संयंत्रों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पता चला कि 90 बायो गैस संयंत्रों में से 23 कार्यात्मक नहीं थे जो यह दर्शाता है कि कंपनी बायो गैस संयंत्रों के रखरखाव में विफल रही। आगे, कंपनी ने बायो गैस कार्यक्रम का प्रभावी ढंग से प्रचार नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप 2017-21 के दौरान लक्ष्य प्राप्त करने में कमी (33 से 68 प्रतिशत के बीच) हुई।

बिक्री में गिरावट के कारण 2016-17 से 2019-20 के दौरान जैव उर्वरक संयंत्र घाटे में चल रहा था। कंपनी को जैव उर्वरक संयंत्र को पाउडर आधारित से तरल आधारित जैव उर्वरक में

उन्नत करने का निर्णय लेने में तीन वर्ष लग गए। आगे, कंपनी ने मरम्मत/रखरखाव कार्य में भी देरी की जिसके परिणामस्वरूप नई मशीनरी एक वर्ष तक निष्क्रिय पड़ी रही।

कंपनी का आंतरिक नियंत्रण प्रणाली दोषपूर्ण था क्योंकि कंपनी ने सामग्री की समय पर आपूर्ति की निगरानी नहीं की जिसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति में देरी हुई। कंपनी के पास आंतरिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र, रिपोर्टिंग एवं निष्कर्षों पर की गयी कार्यवाही को विनियमित करने के लिए कोई नियमावली नहीं थी। शाखा कार्यालयों के आंतरिक लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियां प्रभावी निगरानी एवं अनुपालन के लिए प्रबंध निदेशक के ध्यान में नहीं लाए जा रहे थे। मध्य प्रदेश शासन ने निदेशक मंडल/कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी कमेटी में स्वतंत्र निदेशक, निदेशक मंडल में महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की एवं निदेशक मंडल की आवश्यक बैठकें सुनिश्चित नहीं की परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ। आगे, कंपनी ने भौतिक सत्यापन की टिप्पणियों पर कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की। कंपनी के सभी संवर्गों में 59 प्रतिशत से 87 प्रतिशत के बीच अधिकारियों/कर्मचारियों की भारी कमी थी। अमले की अत्यधिक कमी के बावजूद, कंपनी 76 अधिकारियों की नियुक्ति के निदेशक मंडल के निर्णय के तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद अभी भी भर्ती करने की प्रक्रिया में है जो कंपनी में दोषपूर्ण मानव संसाधन प्रबंधन को दर्शाता है।

भोपाल
दिनांक: 27 अक्टूबर 2024

(प्रिया पारिख)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 29 अक्टूबर 2024

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 1.6, पृष्ठ संख्या 3)

कंपनी के नमूना आधार पर चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखा कार्यालयों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम (चयन का आधार)	2017-22 के दौरान चयनित क्षेत्रीय कार्यालय का कुल कारोबार	स. क्र.	चयनित शाखा कार्यालयों के नाम (चयन का आधार)	2017-22 के दौरान चयनित शाखा कार्यालय का कुल कारोबार
1.	भोपाल (राज्य में सर्वाधिक कारोबार के आधार पर)	564.33	1	भोपाल (भोपाल क्षेत्र में सर्वाधिक कारोबार)	127.54
			2	विदिशा (भोपाल क्षेत्र में निकटतम औसत कारोबार के आधार पर)	62.75
			3	ब्यावरा (भोपाल क्षेत्र में सबसे कम कारोबार)	30.21
2.	जबलपुर (राज्य के निकटतम औसत कारोबार के आधार पर)	364.54	4	बालाघाट (जबलपुर क्षेत्र में सर्वाधिक कारोबार)	59.74
			5	डिंडोरी (जबलपुर क्षेत्र में निकटतम औसत कारोबार के आधार पर)	47.23
			6	कटनी (जबलपुर क्षेत्र में सबसे कम कारोबार)	25.24
3.	सागर (राज्य में न्यूनतम कारोबार के आधार पर)	209.90	7	सागर (सागर क्षेत्र में सर्वाधिक कारोबार)	70.97
			8	छतरपुर (सागर क्षेत्र में निकटतम औसत कारोबार के आधार पर)	42.63
			9	पन्ना (सागर क्षेत्र में सबसे कम कारोबार)	24.10
कुल		**1138.77**			**490.41**

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 4.1.1, पृष्ठ संख्या 24)

2011-12 से 2019-20 तक के वर्षों के लिए कंपनी के वित्तीय आँकड़े

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विवरण	वित्तीय वर्ष								
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	अधिकृत शेयर पूंजी	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2	प्रदत्त शेयर पूंजी	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29
3	रिज़र्व एवं अधिशेष	33.42	56.77	93.56	117.77	147.70	172.89	188.46	202.51	208.67
4	**निवल मूल्य/अंशधारकों की इक्विटी (पंक्ति-4=पंक्ति-2+पंक्ति-3)**	36.71	60.06	96.85	121.06	150.99	176.18	191.75	205.80	211.96
5	उधार/वित्तीय संस्थानों/बैंकों से ऋण	00	00	00	00	00	00	00	00	00
6	कुल संपत्ति	459.27	433.20	441.16	555.30	646.68	829.87	634.58	545.82	753.22
7	अन्य दीर्घकालिक देनदारियाँ (अग्रिम शामिल)	48.60	78.44	62.60	60.58	74.24	161.41	162.11	110.13	2.37
8	चालू देनदारियाँ	371.81	286.92	275.86	373.65	421.44	492.28	280.72	229.90	538.89
9	शुद्ध बिक्री (परिचालन से राजस्व)	1250.13	1226.38	1294.99	1162.76	1305.22	1340.79	966.69	356.79	504.23
10	कुल व्यय	1212.66	1203.57	1255.50	1132.37	1266.42	1310.77	949.41	356.08	521.56
11	बिक्री-व्यय अनुपात	1.03	1.02	1.03	1.03	1.03	1.02	1.02	1.00	0.97
12	अन्य आय	8.82	12.48	16.67	18.28	20.77	22.49	19.31	24.70	28.67

स. क्र.	विवरण	वित्तीय वर्ष								
		2011-12	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
13	अन्य आय में शामिल सावधि जमा पर ब्याज आय (पंक्ति-12)	8.63	12.03	16.07	17.79	20.45	19.77	17.93	23.10	25.19
14	कर पूर्व लाभ से सावधि जमा पर ब्याज का प्रतिशत (पंक्ति-13/पंक्ति-16*100)	18.65	34.10	28.64	36.72	34.28	37.51	50.14	91.49	222.72
15	कुल राजस्व (पंक्ति-9 + पंक्ति-12)	1258.95	1238.86	1311.66	1181.04	1325.99	1363.28	986.00	381.49	532.90
16	कर पूर्व लाभ	46.27	35.28	56.12	48.45	59.66	52.70	35.76	25.25	11.31
17	परिचालन आय/लाभ (पंक्ति 16 - पंक्ति 12)	37.45	22.80	39.45	30.17	38.89	30.21	16.45	0.55	(-) 17.36
18	शुद्ध लाभ	**30.60**	**23.40**	**36.85**	**32.34**	**39.12**	**33.53**	**20.83**	**16.69**	**7.74**

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरण

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ: कंडिका संख्या 4.1.2, पृष्ठ संख्या 25)

2011-12 से 2019-20 तक के वर्षों के लिए कंपनी के वित्तीय अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	परिचालन लाभ	शुद्ध लाभ	कुल बिक्री	अंशधारकों की इक्विटी[1]	कुल संपत्ति	वित्तीय अनुपात		
						परिचालन मार्जिन अनुपात = परिचालन लाभ/शुद्ध बिक्री	इक्विटी पर लाभ का अनुपात = शुद्ध लाभ/अंशधारक की इक्विटी	कुल संपत्ति पर लाभ का अनुपात = शुद्ध लाभ/कुल संपत्ति
2011-12	37.45	30.6	1250.13	36.71	459.27	0.03	0.83	0.07
2012-13	22.80	23.4	1226.38	60.06	433.2	0.02	0.39	0.05
2013-14	39.45	36.85	1294.99	96.85	441.16	0.03	0.38	0.08
2014-15	30.17	32.34	1162.76	121.06	555.3	0.03	0.27	0.06
2015-16	38.89	39.12	1305.22	150.99	646.68	0.03	0.26	0.06
2016-17	30.21	33.53	1340.79	176.18	829.87	0.02	0.19	0.04
2017-18	16.45	20.83	966.69	191.75	634.58	0.02	0.11	0.03
2018-19	0.55	16.69	356.79	205.8	545.82	0.00	0.08	0.03
2019-20	(-) 17.36	7.74	504.23	211.96	753.22	(-)0.03	0.04	0.01

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरण

[1] प्रदत्त शेयर पूंजी + फ्री रिज़र्व - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय।

परिशिष्ट-5.1

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 5.5, पृष्ठ संख्या 41)

उन मामलों का विवरण जिनमें कंपनी ने अग्रिम राशि प्राप्त किए बिना आपूर्ति की

(मात्रा मीट्रिक टन में)

स.क्र.	वर्ष	स.क्र.	आदेश संख्या	आदेशित मात्रा	आदेश दिनांक	योजना	60 प्रतिशत अग्रिम भुगतान की स्थिति	60 प्रतिशत अग्रिम भुगतान के लिए आपूर्ति की गयी मात्रा	60 प्रतिशत आग्रिम भुगतान के लिए आपूर्ति की गयी मात्रा का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9/5*100
2018-19									
1	2018-19	1	36	1738.836	03-04-2018	अन्य	हाँ	1738.836	100
2	2018-19	3	2584	1042.892	06-06-2018	अन्य	हाँ	532.092	51
3	2018-19	4	3186	1160.439	30-06-2018	अन्य	हाँ	1092.66	94
4	2018-19	5	4184	1075.112	30-07-2018	अन्य	हाँ	972.156	90
5	2018-19	6	4953	834.078	28-08-2018	अन्य	हाँ	814.38	98
6	2018-19	7	5498	1038.940	27-09-2018	अन्य	हाँ	1009.38	97
7	2018-19	8	5919	990.262	23-10-2018	अन्य	हाँ	962.13	97
2019-20									
8	2019-20	1	1598	1087.438	28-03-2019	अन्य	हाँ	1061.646	98
9	2019-20	2	2178	939.898	29-04-2019	अन्य	हाँ	912.54	97

स.क्र.	वर्ष	स.क्र.	आदेश संख्या	आदेशित मात्रा	आदेश दिनांक	योजना	60 प्रतिशत अग्रिम भुगतान की स्थिति	60 प्रतिशत अग्रिम भुगतान के लिए आपूर्ति की गयी मात्रा	60 प्रतिशत आग्रिम भुगतान के लिए आपूर्ति की गयी मात्रा का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9/5*100
10	2019-20	3	2659	954.203	30-05-2019	अन्य	हाँ	909.045	95
11	2019-20	4	3242	1204.487	27-06-2019	अन्य	हाँ	1106.364	92
12	2019-20	5	4072	940.131	27-07-2019	अन्य	हाँ	902.793	96
13	2019-20	6	4208	940.131	13-08-2019	अन्य	हाँ	902.793	96
14	2019-20	7	5208	971.616	28-09-2019	अन्य	हाँ	941.352	97
15	2019-20	8	6246	886.906	31-10-2019	अन्य	हाँ	863.163	97
16	2019-20	9	5717	1459.413	30-11-2019	अन्य	हाँ	1421.754	97
17	2019-20	10	6242	1208.500	27-12-2019	अन्य	हाँ	1158.152	96
18	2019-20	11	578	1143.160	28-01-2020	अन्य	हाँ	1103.163	97
19	2019-20	12	1315	15027.479	02-03-2020	अन्य	हाँ	15027	100

परिशिष्ट-5.2

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 5.5, पृष्ठ संख्या 41)

उन मामलों का विवरण जिनमें एक माह की निर्धारित समयावधि के बाद देरी से भुगतान हुए

(राशि ₹ में)

स. क्र.	आदेश संख्या	आदेश का दिनांक	आपूर्ति का दिनांक	राशि	बिल की दिनांक	भुगतान का दिनांक	भुगतान में विलम्ब (दिनों में)	ब्याज की हानि @ 3.15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018-19								
1.	4953	28-08-2018	29-09-2018	12,06,427	27-12-2018	28-01-2019	2	208
	4953	28-08-2018	29-09-2018	2,13,56,223	27-12-2018	28-01-2019	2	3686
2.	5498	27-09-2018	28-10-2018	2,64,65,162	28-12-2018	30-01-2019	3	6852
	5498	27-09-2018	28-10-2018	18,09,823	28-12-2018	28-01-2019	1	156
3.	7109	26-11-2018	21-12-2018	2,44,03,923	27-02-2019	30-03-2019	1	2106
4.	424	29-01-2019	20-02-2019	2,11,56,603	16-04-2019	27-05-2019	11	20084
	424	29-01-2019	20-02-2019	15,20,733	16-04-2019	27-05-2019	11	1444
योग								**34,536**
2019-20								
5.	1598	28-03-2019	25-04-2019	15,84,325	24-06-2019	03-08-2019	10	1367
	1598	28-03-2019	25-04-2019	2,78,26,460	24-06-2019	03-08-2019	10	24015
6.	2178	29-04-2019	27-05-2019	16,78,614	16-07-2019	28-08-2019	13	1883
	2178	29-04-2019	27-05-2019	2,39,28,599	16-07-2019	28-08-2019	13	26846
7.	2659	30-05-2019	25-06-2019	27,55,300	20-08-2019	26-09-2019	7	1665
	2659	30-05-2019	25-06-2019	2,38,42,954	20-08-2019	26-09-2019	7	14404

स. क्र.	आदेश संख्या	आदेश का दिनांक	आपूर्ति का दिनांक	राशि	बिल की दिनांक	भुगतान का दिनांक	भुगतान में विलम्ब (दिनों में)	ब्याज की हानि @ 3.15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से
8.	3242	27-06-2019	25-07-2019	26,33,598	16-09-2019	17-10-2019	1	227
	3242	27-06-2019	25-07-2019	2,90,36,521	16-09-2019	17-10-2019	1	2506
9.	4072	27-07-2019	22-08-2019	22,79,457	17-10-2019	20-12-2019	34	6688
	4072	27-07-2019	22-08-2019	2,36,80,218	17-10-2019	20-12-2019	34	69484
10.	4208	13-08-2019	22-09-2019	22,79,457	13-12-2019	23-01-2020	11	2164
	4208	13-08-2019	22-09-2019	2,36,80,774	13-12-2019	25-02-2020	44	89922
11.	5208	28-09-2019	24-10-2019	18,51,851	13-01-2020	25-02-2020	13	2078
	5208	28-09-2019	24-10-2019	2,46,82,658	13-01-2020	25-02-2020	13	27692
12.	6246	31-10-2019	24-11-2019	14,56,042	13-01-2020	25-02-2020	13	1634
	6246	31-10-2019	24-11-2019	2,26,41,318	13-01-2020	25-02-2020	13	25402
13.	5717	30-11-2019	30-12-2019	23,01,637	11-06-2020	29-07-2020	18	3575
	5717	30-11-2019	30-12-2019	3,70,51,206	11-06-2020	29-07-2020	18	57556
14.	6242	27-12-2019	27-01-2020	30,51,467	16-06-2020	29-07-2020	13	3423
	6242	27-12-2019	27-01-2020	3,01,74,415	16-06-2020	29-07-2020	13	33853
15.	578	28-01-2020	28-02-2020	24,19,000	11-06-2020	15-10-2020	96	20041
	578	28-01-2020	28-02-2020	2,87,41,524	11-06-2020	29-07-2020	18	44648
16.	1315	02-03-2020	02-06-2020	69,40,265	25-08-2020	15-10-2020	21	12578
योग								**4,73,651**
2020-21								
17.	2295	22-05-2020	30-07-2020	14,15,78,678	16-10-2020	27-11-2020	12	146621
18.	3410	10-08-2020	22-10-2020	5,85,15,494	18-11-2020	20-01-2021	33	166649

स. क्र.	आदेश संख्या	आदेश का दिनांक	आपूर्ति का दिनांक	राशि	बिल की दिनांक	भुगतान का दिनांक	भुगतान में विलम्ब (दिनों में)	ब्याज की हानि @ 3.15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से
19.	3965	16-09-2020	20-11-2020	7,42,42,698	30-12-2020	26-02-2021	28	179403
20.	101	08-01-2021	16-02-2021	6,18,88,586	09-04-2021	21-06-2021	43	229666
21.	923	11-02-2021	08-04-2021	6,42,70,321	24-06-2021	23-08-2021	30	166399
22.	1496	09-03-2021	31-05-2021	6,61,89,489	02-08-2021	20-09-2021	19	108533
योग								**9,97,271**
2021-22								
23.	3517	11-06-2021	27-08-2021	6,19,66,571	22-10-2021	08-12-2021	17	90913
24.	1315	27-04-2021	07-07-2021	6,58,13,228	09-09-2021	16-11-2021	38	215831
25.	3924	02-07-2021	30-09-2021	6,27,83,706	24-11-2021	15-02-2022	53	287171
26.	6285	11-11-2021	09-02-2022	6,33,67,680	05-05-2022	04-08-2022	61	333592
27.	3507	10-01-2022	11-03-2022	6,62,81,961	05-08-2022	12-10-2022	38	217369
28.	611	11-02-2022	07-06-2022	6,72,87,531	19-10-2022	22-11-2022	4	23228
योग							**1 से 96 दिवस**	**11,68,104**
महायोग								**26,73,562**

परिशिष्ट-6.1

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 6.3, पृष्ठ संख्या 47)

2017-22 के दौरान गेहूं, धान एवं मूंग की खेती से आय एवं व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	आय	व्यय	लाभ	हानि
2017-18	100.55	72.46	28.09	--
2018-19	79.62	63.05	16.57	--
2019-20	71.14	85.05	--	13.91
2020-21	40.01	48.93	--	8.92
2021-22	56.01	38.77	17.24	--
योग	**347.33**	**308.26**	**61.90**	**22.83**

(नोट- वेतन पर होने वाला खर्च शामिल नहीं है।)

परिशिष्ट-6.2

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 6.6, पृष्ठ संख्या 50)

बागों से उपज की बिक्री से प्राप्त आय का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	आय	व्यय	लाभ
2017-18	21.54	13.12	8.42
2018-19	48.37	11.12	37.25
2019-20	21.91	8.82	13.09
2020-21	34.34	12.79	21.55
2021-22	53.39	12.82	40.57
योग	**179.55**	**58.67**	**120.88**

(नोट- वेतन पर किया गया व्यय शामिल नहीं है। आगे, 2020-21 एवं 2021-22 हेतु यूनिट 2 एवं यूनिट 3 का व्यय शामिल नहीं है।)

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag2/madhya-pradesh/hi